₹ 20

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

दिसम्बर 2015



- हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) : एक परिचय
  –डॉ॰ मुहम्मद अहमद
- ब्याज-दर के कारण
  –मौलाना अबुल आला मौदूदी
- बढ़ती असहिष्णुता, सुकड़ता लोकतंत्र
  –एल॰ एस॰ हरदेनिया
- इस्लामी राज्य में वैचारिक स्वतंत्रता
  –प्रो॰ अब्दुल करीम ज़ैदान

With Best Wishes From :



QUALITY FOODS

Seafood Processors & Exporters
AN ISO 9001 : 2008 COMPANY

FACTORY

PLOT NOS. 5B 39 & 5B 50A, CUNCOLIM INDUSTRIAL ESTATE,
CUNCOLIM, SALCETE, GOA-403 703
TEL. : 91 832 2865610/11/12, FAX : 832 2865609
E-mail : qualityfoods@sancharnet.in/qualityfoods@rediffmail.com

QUALITY EXPORTS

SEAFOOD PROCESSORS & EXPORTERS

FACTORY

Plot Nos. 5B 64, 65 66 & 67 Cuncolim Industrial Estate
Cuncolim, Salcete, GOA-403 703
E-mail : qualityexportsgoa@yahoo.com/mmigoa@yahoomail.com

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 25 अंक 6 दिसम्बर 2015

रहमान के (प्रिय) बन्दे वही हैं जो धरती पर नम्रतापूर्वक चलते हैं और जब जाहिल उनके मुंह आएं तो कह देते हैं : "तुमको सलाम !" जो अपने रब के आगे सजदे में और खड़े रातें गुज़ारते हैं। –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 20/- विशेषांक रु० 30/-

वार्षिक रु० 220/-, दो वर्ष 425/-

पांच वर्ष 1000/-, आजीवन रु० 5000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–100 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–35 US डॉलर

वेब : www.kanti.in

चेक / ड्राफ्ट 'मासिक कान्ति' के नाम से बनवाएं

नारी चेतना

जब से आयी गर्भ में, झेल रही उत्पात
मम्मी-पापा कर रहे, गर्भपात की बात

क्यों समाज में लड़कियां, कहलाती अभिशाप
हीन समझते हैं, जिसे, खुद उसके मां-बाप

पूत तलहथी पर रखे, बेटी को फटकार
माताएं करने लगीं, क्यों ऐसा व्यवहार

कब तक झेलें बेटियां, परिजन का उपहास
माता यहां नकारती, वहां सताती सास

बेटी को भी चाहिए, बेटे जैसा प्यार
शिक्षा-दीक्षा-नौकरी, है उसका अधिकार

नारी में नारीत्व हो, श्रेष्ठ यही शृंगार
ऐसी नारी के लिए, सत्कार हज़ारों बार

नारी हंता हो गया, सारा पुरुष समाज
हुई कबूतर नारियां, और हुआ नर बाज

बेटी को भी चाहिए, बेटों जैसा प्यार
शिक्षा-दीक्षा, सम्मान है, उसका अधिकार

अगर चाहते आप हैं, समरस बने समाज
तो नारी को दीजिए, मान प्रतिष्ठा आज

जब दहेज के नाम पर, होती है तकरार
बढ़ने लगता द्वेष है, घट जाता है प्यार

विज्ञापन को देखकर, लगी लगाने लाज
लेकिन शर्माता नहीं, पश्चिममुखी समाज

विज्ञापन में नारियां, बिकती खुले बाज़ार
अंग प्रदर्शन हो गया, खुला देह व्यापार

महिलाएं इस देश की, होती है शालीन
नयी हवा की नारियां, अंग वस्त्र की हीन

नारी को अब सबों का, और चाहिए प्यार
होगा जन में 'अंजनी', तब नारी उद्धार ।

अंजनी कुमार शर्मा
भागलपुर (बिहार)



कहां क्या है ?

नारी चेतना (कविता)	–अंजनी कुमार शर्मा	3
कुरआन ज्योति		5
हदीस मंजरी		6
समान सिविल कोड और भारतीय समाज (संपादकीय)		7
मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों की कमी नहीं ! (आपके पत्र)		11
ईश्वरीय धर्म इस्लाम (आस्था)	–जमीला आली जाफ़री	15
जिहाद क्या है ?	–संपादन प्रभाग	17
ब्याज-दर के कारण	–मौलाना अबुल आला मौदूदी	23
हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) : एक संक्षिप्त परिचय	–डॉ० मुहम्मद अहमद	26-27
प्रेम पुष्प लुटाते चलो (कविता)	–क़मर रामनगरी	31
हाय वह मैच (कहानी)	–मुहम्मद क़य्यूम मेव	32
बढ़ती असहिष्णुता, सुकड़ता लोकतंत्र	–एल० एस० हरदेनिया	34
दोहे	–रोहित यादव	35
कॉमन सेंस (लघुकथा)	–राम प्रवेश रजक	36
आंतरिक भावों का महत्व (अभिमत)	–के० कविता	37
रईस मेकरानी का बड़ा कारनामा	–डॉ० मुहम्मद अहमद	39
इस्लामी राज्य में वैचारिक स्वतंत्रता	–प्रो० अब्दुल करीम ज़ैदान	41
परिणाम दिखाने का यह अवसर है (कविता)	–प्रो० शरद नारायण खरे	43
विरोधी भावों का त्याग (कैरियर)	–सीताराम गुप्ता	44
मानवता एवं देश-प्रेमी : शाह वलीउल्लाह (रह०)	–भरत राम भट्ट	45
मौसमी तापमान में वृद्धि ख़तरनाक (बालवीथी)	–डॉ० अनुराग श्रीवास्तव	48
नेपाल का नया संविधान	–कुतुबुद्दीन ख़ान	49

क़ुरआन ज्योति



(92) इसी तरह उन लोगों पर भी किसी आपत्ति की गुंजाइश नहीं है जिन्होंने स्वयं आकर तुमसे निवेदन किया था कि हमारे लिए सवारियां जुटाई जाएं और जब तुमने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सवारियों का प्रबंध नहीं कर सकता तो वे विवश होकर वापस गये और हाल यह था कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्हें इस बात का बड़ा दुख था कि वे अपने ख़र्च पर जिहाद में शरीक होने की सामर्थ्य नहीं रखते।[93] (93) अलबत्ता आपत्ति उन लोगों पर है जो धनवान हैं और फिर भी तुमसे निवेदन करते हैं कि उन्हें जिहाद में शरीक होने से माफ़ रखा जाए। उन्होंने घर बैठनेवालियों में शामिल होना पसन्द किया और अल्लाह ने उनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया, इसलिए अब ये कुछ नहीं जानते (कि अल्लाह के यहां उनके इस रवैये का क्या परिणाम निकलने वाला है।)

(94) तुम जब पलटकर उनके पास पहुंचोगे तो ये तरह-तरह के बहाने पेश करेंगे, मगर तुम साफ़ कह देना कि "बहाने न करो, हम तुम्हारी किसी बात पर भरोसा न करेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे हालात बता दिये हैं। अब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे काम के तौर-तरीक़े को देखेगा, फिर तुम उसकी ओर पलटाए जाओगे जो खुले और छिपे सबका जानने वाला है और वह तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो।" (95) तुम्हारी वापसी पर ये तुम्हारे सामने क़समें खाएंगे ताकि तुम उन्हें अनदेखा कर जाओ। तो निस्सन्देह तुम उन्हें अनदेखा ही कर लो[94], क्योंकि ये गन्दगी हैं और इनका वास्तविक स्थान जहन्नम है, जो इनकी कमाई के बदले में इन्हें मिलेगा। (96) ये तुम्हारे सामने क़समें खाएंगे ताकि तुम इनसे राज़ी हो जाओ, हालांकि अगर तुम इनसे राज़ी हो भी गये तो अल्लाह कदापि ऐसे अवज्ञाकारियों से राज़ी न होगा।

–क़ुरआन, 9 : 92-96

93. ऐसे लोग जो दीन की सेवा के लिए बेचैन हों, और अगर किसी वास्तविक मजबूरी की वजह से या साधन न होने के कारण व्यावहारिक रूप से सेवा न कर सकें, तो उनके दिल को उतना ही ज़बरदस्त सदमा हो जितना किसी दुनियापरस्त को रोज़गार छूट जाने या किसी बड़े लाभ के अवसर से वंचित रह जाने का हुआ करता है। उनकी गिनती अल्लाह के यहां सेवा करने वालों ही में होगी, भले ही उन्होंने व्यावहारिक रूप से कोई सेवा न की हो। इसलिए कि वे चाहे हाथ-पांव से काम न कर सके हों, लेकिन दिल से तो वे सेवा ही में लगे रहे हैं। यही बात है जो तबूक की लड़ाई से वापसी पर यात्रा के बीच नबी (सल्ल०) ने अपने साथियों को संबोधित करते हुए कही थी कि "मदीना में कुछ लोग ऐसे हैं कि तुमने कोई घाटी पार नहीं की और कोई कूच नहीं किया जिसमें वे तुम्हारे साथ-साथ न रहे हों।" सहाबा ने आश्चर्य से कहा, "क्या मदीना ही में रहते हुए ?" फ़रमाया, "हां, मदीना ही में रहते हुए, क्योंकि मजबूरी ने उन्हें रोक लिया था, वरना वे स्वयं रुकने वाले न थे।"

94. पहले वाक्य में अनदेखा करने से तात्पर्य क्षमा करना है और दूसरे वाक्य में ताल्लुक़ तोड़ना, अर्थात वे तो चाहते हैं कि तुम उनसे न उलझो मगर अच्छा यह है कि तुम उनसे कोई वास्ता ही न रखो और समझ लो कि तुम उनसे कट गये और वे तुमसे।

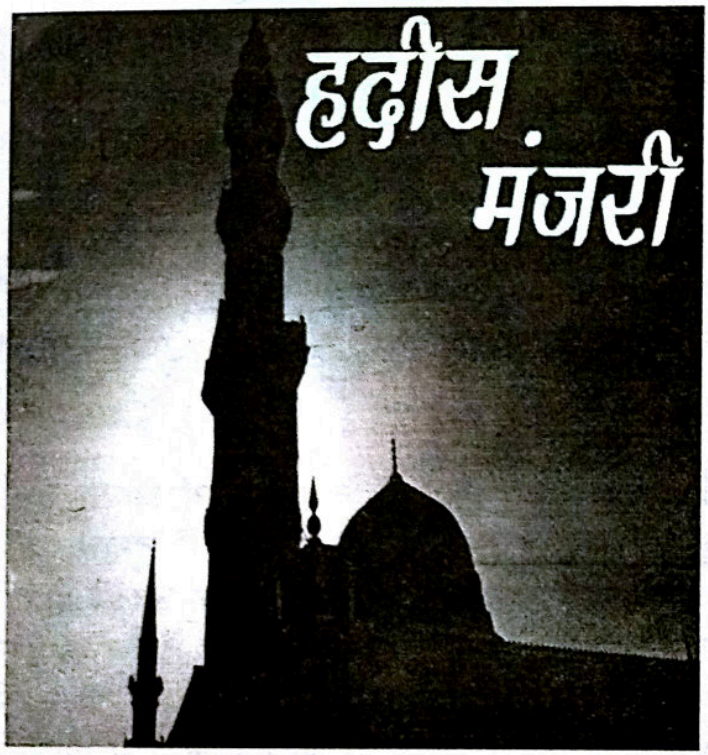

पहली सफ़ की अहमियत

पहली 'सफ़' को पूरा और सीधा करने और मिलकर खड़े होने का आदेश

● हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) बाहर हमारे पास आये और कहा : "क्या तुम सफ़ें उसी तरह नहीं बनाते जिस तरह फ़रिश्ते अपने रब के सामने सफ़ें बनाते हैं ?" हमने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), फ़रिश्ते अपने रब के सामने किस तरह सफ़ें बनाते हैं ? आपने कहा : "वे अगली सफ़ों को पूरा करते हैं । ओर सफ़ में एक-दूसरे से मिलकर खड़े होते हैं ।"

–मुस्लिम

● हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "यदि लोग जान लें कि अज़ान देने और नमाज़ की पहली पंक्ति में शामिल होने का कितना माहात्म्य है, फिर यदि वे इसको चिट्ठी डाले बिना प्राप्त न कर सकें तो इसे चिट्ठी डालकर हासिल करेंगे ।''

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू मसऊद (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) नमाज़ में हमारे कंधों पर हाथ रखते और कहते : "बराबर-बराबर रहो, पंक्ति से बाहर न हो अन्यथा तुम्हारे दिलों में विभेद पैदा हो जायेगा । तुममें जो बुद्धिमान और समझदार हों वे मेरे निकट रहें और फिर वे लोग जो उनके निकट हैं और फिर वे लोग जो उनके निकट ।''

● हज़रत अनस (रज़ि॰) से रिवायत है की अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "अपनी सफ़ों को सीधा रखो क्योंकि नमाज़ की पूर्णता को यह भी अपेक्षित है कि सफ़ को सीधा रखा जाय ।''

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) सफ़ में प्रवेश करके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते थे । हमारे सीनों और हमारे कांधों पर हाथ लगाते और कहते : पंक्ति से बाहर न रहो अन्यथा तुम्हारे दिलों मे विभेद पैदा हो जाएगा ।'' और कहा करते थे : "निस्सन्देह अल्लाह और उसके फ़रिश्ते अगली सफ़ों पर सलामती भेजते हैं ।"

–अबू दाऊद । अबू दाऊद ने इसे 'हसन' सनदों से रिवायत किया है ।

● हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा है : '' सफ़ों को सीधा रखो ओर कंधों के साथ कंधे मिलाओ । रिक्त स्थान को भरो और अपने भाइयों के हाथ में (अर्थात् उनके लिए) नर्म हो जाओ और शैतान के लिए रिक्त स्थान न छोड़ो । जिसने सफ़ को मिलाया, अल्लाह उसे मिलायेगा और जिसने सफ़ को तोड़ा, अल्लाह उसे तोड़ देगा ।''

–अबू दाऊद । अबू दाऊद ने इसे 'सहीह' सनदों से रिवायत किया है ।

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

समान सिविल कोड और भारतीय समाज

सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से एक बार फिर समान सिविल कोड पर अवांछित बहस छिड़ गयी है । उसने इस पर केन्द्र सरकार से रुख़ साफ़ करने को कहा है । कोर्ट ने गत 13 अक्तूबर 2015 को सरकार से पूछा, ''समान सिविल कोड पर आपको (सरकार) हो क्या गया ? अगर इसे लागू करना चाहते हैं तो लाइए । आप इसे फ़ौरन लागू क्यों नहीं करते ? देश में कई पर्सनल लॉ हैं । इससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है ।'' कोर्ट ने यह बात क्रिश्चियन डायवोर्स एक्ट की धारा 10ए(1) को चुनौती देने वाली अर्ज़ी की सुनवाई के दौरान कही । दिल्ली के अलबर्ट एंथोनी ने ये अर्ज़ी लगायी है । उनकी दलील है कि ''ईसाई दंपत्ति को तलाक़ के लिए कम से कम दो साल अलग रहना ज़रूरी है । जबकि हिन्दू मैरिज एक्ट में एक साल अलग रहने पर तलाक़ दे दिया जाता है । एक ही मामले में दो व्यवस्थाएं ग़लत हैं ।'' पिछली सुनवाई में सरकार धारा 10ए(1) को बदलने पर राज़ी थी । कहा था कि काम शुरू भी हो चुका है । 12 अक्तूबर 15 की सुनवाई में जस्टिस विक्रमजीत सेन और जस्टिस शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने नाराज़गी जतायी कि 3 महीने बाद भी इसे बदला नहीं गया है । जब सरकारी वकील ने और समय मांगा तो बेंच ने कहा, ''क्या हुआ ? किस वजह से ऐसा नहीं हो सका ? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको बताना चाहिए ।'' वकील के जवाब से नाख़ुश होने पर कोर्ट ने किसी और काम के लिए वहां मौजूद सॉलीसिटर जनरल रंजीत कुमार से मदद करने को कहा । उनसे सभी धर्मों के लिए तलाक़ के एक जैसे नियम पर सरकार की स्थिति के बारे में पूछा । साथ ही जवाब देने के लिए तीन हफ़्ते का वक़्त दे दिया । इससे पहले फ़रवरी 2015 में इसी मामले में जस्टिस विक्रमजीत सेन की बेंच ने कहा था, ''भारत अब तक सेक्युलर देश है, लेकिन हम नहीं जानते कि कब तक यह सेक्युलर रहेगा । हम नागरिक क़ानूनों से धर्म को बाहर करना चाहते हैं । यह बहुत ज़रूरी है ।'' आज देश के संविधान के तहत भारतीय समाज में कई पर्सनल लॉ प्रचलित हैं, जो अलग-अलग धर्मों के रीति-रिवाज और परंपरा के आधार पर बने हैं । यह ख़ास तौर पर शादी, तलाक़, विरासत और गुज़ारा भत्ता जैसे मामले में लागू होते हैं । सुप्रीम कोर्ट धारा 10ए(1) को ग़लत ठहरा चुका है । कोर्ट ने कहा था कि क़ानून से धर्म को अलग करना ज़रूरी है । कई हाईकोर्ट भी कह चुके हैं कि एक ही मामले में अलग-अलग क़ानूनी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14 और 21, यानी समानता और जीवन के अधिकार के ख़िलाफ़ है । संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में इस बात की परिकल्पना की गयी है कि सरकार समान सिविल कोड लागू करने की कोशिश करेगी । मगर इसे लागू करना सरकार के अनिवार्य और अपरिहार्य नहीं है । यह शराबबंदी की तरह की कल्पना है, जिसका संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में समावेश है । दूसरी ओर क़ानून मंत्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा ने सुप्रीम कोर्ट

की टिप्पणी के बाद राष्ट्र की अखंडता के लिए समान सिविल कोड की ज़रूरत पर बल दिया, लेकिन साथ ही कहा कि इस मुद्दे पर सभी पक्षों से राय हासिल करने एवं व्यापक चर्चा के बाद ही कोई फ़ैसला किया जा सकता है । गौड़ा ने कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा हलफ़नामा दाख़िल करने से पहले वह प्रधानमंत्री, कैबिनेट के सहयोगियों, अटार्नी जनरल और सालीसीटर जनरल के साथ विचार करेंगे । उन्होंने कहा कि समान सिविल कोड पर सहमति बनाने के लिए विभिन्न पर्सनल लॉ बोर्डों और संबंधित पक्षों के साथ व्यापक चर्चा की जाएगी । क़ानून मंत्री के अनुसार, देश के संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 44 में भी समान सिविल कोड की बात कही गयी है । लेकिन यह संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए बड़े पैमाने पर चर्चा ज़रूरी है । क़ानून मंत्री ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना एवं अनुच्छेद 44 की अवधारणा और राष्ट्र के हित में इस दिशा में क़दम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है । उन्होंने कहा कि अप्रैल में लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान उन्होंने यही बात कही थी । उन्होंने कहा कि कुछ विवाह क़ानूनों पर अपने फ़ैसले में केरल और कर्नाटक के हाईकोर्ट ने कहा है कि समान सिविल कोड देश की ज़रूरत है । ज्ञातव्य है कि 22 अप्रैल 1985 को मुहम्मद अहमद ख़ां बनाम शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामी शरीअत के विरुद्ध फ़ैसला सुनाया था, जिसको तत्कालीन राजीव गांधी सरकार द्वारा संसद में क़ानून बनाकर रद्द कर दिया था । इसके बावजूद इस्लामी शरीअत के विरुद्ध फ़ैसले आते रहे हैं, जो मुसलमानों के लिए गंभीर चिंता का विषय रहे हैं । सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा टिप्पणी पर भी मुसलमानों ने चिंता प्रकट की है और इसे देश के संविधान की आत्मा के विपरीत बताया है ।

जमाअत इस्लामी हिन्द ने ऐसी कोशिशों पर अफ़सोस और चिंता प्रकट की है और इसे संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरुद्ध क़रार दिया है । जमीअत उलमा हिन्द ने मौलवी अब्दुल हमीद नोमानी ने कहा कि भारत में समान नागरिक संहिता अव्यावहारिक है । उन्होंने कहा कि पूरा मुस्लिम समुदाय इसके ख़िलाफ़ है । भारत में धर्म और जाति में विविधता है । ऐसे में सभी को क़ानून द्वारा बांधना व्यावहारिक नहीं है । जो लोग ऐसा चाहते हैं वे देश की विविधता की अवहेलना कर रहे हैं ।' देश के मुसलमान ''मुस्लिम पर्सनल लॉ अनुप्रयोग अधिनियम, 1937 द्वारा शासित हैं ।'' यह मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को निर्देशित करता है, जिसमें शादी, महर, तलाक़, रखरखाव, उपहार, वक़्फ़ और विरासत शामिल है । देखा गया है कि अदालतों के कुछ फ़ैसले इस्लाम की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं होते । इस प्रकार यह मुस्लिम पर्सनल लॉ में सीधा हस्तक्षेप का विषय बन जाता है । कुछ लोग समान सिविल कोड की ज़रूरत जताते हैं । संघ परिवार इसके लिए बहुत लालायित दिखता रहा है, जबकि यह सच्चाई सबको पता है कि भारत जैसे बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश में इसे लागू कर पाना असंभव है यहां तक कि यह स्वयं हिन्दू समाज पर ही लागू नहीं हो सकता, लेकिन वोटों की राजनीति को चमकाने के लिए इसके लिए दुष्प्रयास किये जाते रहे हैं । मदनलाल खुराना जिन्हें भाजपा ने काम निकल जाने के बाद उपेक्षित कर दिया था, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस बाबत एक प्रस्ताव विधानसभा में पारित तक करवा लिया था । मध्य प्रदेश विधानसभा में भी भाजपा के लोगों ने भी ऐसे दुष्प्रयास किये, जो अंततः

नाकाम हो गये, क्योंकि ये नाकाम होने ही थे । यह संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त उनके मौलिक अधिकारों के सर्वथा विपरीत है । संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अंत:करण और धर्मानुसार अमल करने की आज़ादी देता है । ऐसी ही बात संविधान की प्रस्तावना में कही गयी है । संविधान में धाराओं 25 (1) और 26 के अंतर्गत जो बातें कही गयी है उनका सार यह है कि हर धार्मिक समुदाय को इसका अधिकार प्राप्त होगा कि अपने धर्म पर चले, तथा अपने तौर पर अपने धार्मिक क्रिया-कलाप अंजाम दे । अत: यह सिर्फ़ मुसलमानों (या अन्य अल्पसंख्यक समुदायों) का मामला ही नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रावधान का भी तक़ाज़ा है कि उसके अंतर्गत देश में समान सिविल कोड लागू न हो । मुसलमानों ने भी समान सिविल कोड को लागू नहीं किया । जब वे लगभग नौ सौ वर्ष देश के शासक रहे, कभी भी उन्होंने हिन्दू या अन्य धर्मानुयायी जनता पर अपना क़ानून नहीं थोपा । अंग्रेज़ों ने लार्ड मैकाले की अध्यक्षता में समिति बनकर भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय व्यवहार प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि बहुत-से क़ानून लागू कर दिये, लेकिन समान सिविल कोड की ओर नहीं बढ़े, क्योंकि वे ज़ालिम होने के बावजूद यह जानते थे कि यह किसी भी क़ीमत पर लागू नहीं हो सकता । उन्होंने मुसलमानों के लिए पारिवारिक क़ानून 1937 और अलग से मुस्लिम मैरिज डिज़ुलेशन एक्ट 1939 बनाया । देश के किसी भी ख्यातलब्ध विचारक एवं विद्वान ने समान सिविल कोड का समर्थन नहीं किया है । संविधान निर्माता डॉ॰ अंबेडकर ने संविधान निर्मात्री सभा में नीति निर्देशक तत्व की धारा 44 में इस बाबत रखे गये प्रावधान पर दक्षिण के कुछ मुस्लिम सदस्यों की आपत्ति का जवाब देते हुए कहा था कि जब तक सब देशवासी इसके लिए राज़ी नहीं होंगे, इसे कदापि लागू नहीं किया जाएगा । देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं॰ जवाहरलाल नेहरू ने कई बार इसी आशय का मत प्रकट किया था । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लंबे समय तक कमान संभालने वाले गुरु गोलवलकर जी भी इसके समर्थक हैं कि देश समान सिविल कोड लागू न हो । 20 अगस्त 1972 को दिल्ली स्थित दीनदयाल शोध संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने साफ़ कहा था कि देश में समान सिविल कोड अवांछित है । उन्होंने कहा था कि जो लोग समान सिविल कोड की बात करते हैं, वे भारत की ज़रूरत समझते ही नहीं हैं । गुरु जी ने इसी आशय के उद्गार एक इंटरव्यू में व्यक्त किये थे, जो 26 अगस्त 1972 को 'मदरलैंड' में छपा था । आश्चर्य की बात है कि संघ परिवारी अपने गुरु जी की बात का बार-बार अनादर करते हैं । भाजपा नेताओं द्वारा इसकी ज़रूरत बार-बार बताकर गुरु जी की आत्मा को ठेस पहुंचाई जाती है, यहां तक कि भाजपा इसे अपने घोषणा पत्र तक में शामिल कर लेती है । देश की अदालतें भी मुस्लिम पर्सनल लॉ को समुचित महत्व नहीं देतीं, जिसके कारण बार-बार समस्या पैदा होती है । एक ओर देश में मौजूद मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुत-सी ख़ामियां हैं, जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है, दूसरी ओर इन ख़ामियों को और नहीं बढ़ाया जाना चाहिए और इस मामले को स्थायी रूप से हल किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में मुस्लिम पर्सनल लॉ का अतिक्रमण न किया जा सके । अत: इस प्रकार की कोशिशों पर हमेशा के लिए विराम लगा देना चाहिए ।

हमारी पाठ्य पुस्तकें

🕮 **आसान कहानियाँ**	अफ़ज़ल हुसैन		10.00
🕮 अख़लाक़ी कहानियाँ – 1	अफ़ज़ल हुसैन		10.00
🕮 अख़लाक़ी कहानियाँ – 2	अफ़ज़ल हुसैन		10.00
🕮 अख़लाक़ी कहानियाँ – 3	अफ़ज़ल हुसैन		12.00
🕮 अख़लाक़ी कहानियाँ – 4	अफ़ज़ल हुसैन	[set 44.00]	12.00
🕮 क़ुरआन की बातें – 1(बच्चों के लिए)	सय्यद नज़र ज़ैदी		20.00
🕮 क़ुरआन की बातें – 2(बच्चों के लिए)	सय्यद नज़र ज़ैदी	[set 38.00]	18.00
🕮 नेक औरतें – 1	मतीन तरिक़ बाग़पती		15.00
🕮 नेक औरतें – 2	मतीन तरिक़ बाग़पती	[set 27.00]	12.00
🕮 नवीन सरल गणित – 1	सम्पादन समिति		30.00
🕮 नवीन सरल गणित – 2	सम्पादन समिति		35.00
🕮 नवीन सरल गणित – 3	सम्पादन समिति		50.00
🕮 नवीन सरल गणित – 4	सम्पादन समिति		50.00
🕮 नवीन सरल गणित – 5	सम्पादन समिति	[set 279.00]	114.00
🕮 प्यारे रसूल (सल्ल0)	अफ़ज़ल हुसैन		14.00
🕮 सामान्य ज्ञान (भाग – 1)	अफ़ज़ल हुसैन		08.00
🕮 सामान्य ज्ञान (भाग – 2)	अफ़ज़ल हुसैन	[set 18.00]	10.00
🕮 सच्चा दीन (पहला भाग)	अफ़ज़ल हुसैन		55.00
🕮 सच्चा दीन (दूसरा भाग)	अफ़ज़ल हुसैन		60.00
🕮 **सच्चा दीन (तीसरा भाग)**	मौलाना मुहम्मद यूसुफ इस्लाही		75.00
🕮 **सच्चा दीन (चौथा भाग)**	मौलाना मुहम्मद यूसुफ इस्लाही		80.00

MARKAZI MAKTABA ISLAMI PUBLISHERS

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 26981652, 26984347, Fax: 26987858
E-mail: mmipublishers@gmail.com Website: www.mmipublishers.net

मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों की कमी नहीं !

'कान्ति' का अक्तूबर 2015 का अंक पढ़ा । यह विशेषांक भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में मुसलमानों के योगदान पर आधारित है । इसमें अपने बहुत से मुस्लिम महानुभावों के आज़ादी में योगदान की सूचना दी है, जिसकी अभी तक लोगों को जानकारी नहीं थी । इसके लिए आप को मुबारकबाद !

आपके इस प्रयास के बावजूद हमारे ज़िले के बहुत से मुस्लिम लड़ाकों के नाम इसमें नहीं आ सके । मैं जौनपुर ज़िलो के कई लोगों का नाम लेता हूं ।

1857 ई॰ की लड़ाई में राजा इजारत ख़ां, मुबारकपुर अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हुए । वली शेख़ मंगली का लड़ते हुए सर कटा और मेहदी हसन ने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए अपनी जान दी ।

जौनपुर के मुज्तबा हुसैन क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हथियार लाने कनाडा गये थे, लेकिन वहां से वापस होते हुए जब कोलकाता में जहाज़ से बाहर निकले तो गिरफ़्तार कर लिये गये । पहले उन्हें फांसी की सज़ा सुनायी गयी, जो बाद में उम्रक़ैद में बदल दी गयी । उन्हें काला पानी भेज दिया गया, जहां 20 वर्षों की सज़ा काटने के बाद 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तो उन्हें छोड़ दिया गया । वे जौनपुर आये और यहीं उनका इन्तिक़ाल हुआ ।

मछली शहर के मक़बिल हुसैन बाबतपुर ट्रेन डकैती कांड में पटना से गिरफ़्तार हुए । काफ़ी समय जेल मेमं रहने के बाद आज़ादी के बाद उनका मछली शहर में इन्तिक़ाल हो गया ।

ख़िलाफ़त आन्दोलन में जौनपुर के अब्दुल हमीद मंत्री चुने गये । ये कांग्रेस के नेताओं के साथ कई बार जेल भी गये । वैसे जेल जाने वालों में मछली शहर के आग़ा ज़ैदी, रऊफ़ जाफ़री, सैयद एजाज़ अहमद, खेतासराय अब्दुल हमीद, हामिद हसन, मुहम्मद उमर, अब्दुल क़ादिर, निज़ामुद्दीन सिद्दीक़ी, अब्दुल ख़ालिक़, मुहम्मद शरीफ़, ज़ुल्फ़िक़ार रूदौली, इफ़्तिख़ार अहमद डेहरी, सैयद एस॰एम॰ जाफ़र कलांपुर आदि कई जियाले शामिल हैं ।

इसी ज़िला के कलांपुर गांव के सैयद अली ज़हीर, सज्जाद ज़हीर और हुसैन ज़हीर, तीनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के बेटे थे । आज़ादी के बाद सज्जाद ज़हीर कांग्रेस नेताओं की सलाह पर पाकिस्तान चले गये । वहां पाकिस्तान सरकार का तख़्ता पलटने के आरोप में गिरफ़्तार हुए, फिर जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप से भारत आये । सैयद अली ज़हीर पहले केन्द्र फिर उत्तर प्रदेश में मंत्री बने ।

कई शायरों ने भी हिन्दू मुस्लिम एकजुटता बढ़ाने में बहुमूल्य योगदान दिया । जिनमें 'शफ़ीक़' का नाम उल्लेखनीय है । इन्हें शायर मशरिक़ी भी कहते हैं । उन्होंने लिखा है–

हिन्दी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है
यह भी हमें प्यारी है, वह भी हमें प्यारी है
इक हाथ में है दर्पण, इक हाथ में आईना
इक ख़ालिदा ख़ानम है इक राजदुलारी है ।

मेरे कहने का मतलब है कि हर ज़िले में आज़ादी में भाग लेने वाले लोग रहे हैं, उनके बारे में जानकारियां एकत्र कर उन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की ज़रूरत है ।

डॉ॰ माता प्रसाद
(पूर्व राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश)
इंदिरा नगर, लखनऊ

स्वतंत्रता आन्दोलन में मुसलमानों की प्रमुख भूमिका

मासिक पत्रिका 'कान्ति' 2015 का विशेषांक पढ़ा । अत्यंत प्रसन्नता व ज्ञान की प्राप्ति हुई । आपके संपादकीय आलेख से मैं पूर्णतया सहमत हूं । इसके द्वारा आपने 1857 की क्रांति से लेकर 15 अगस्त 1947 तक स्वतंत्रता आन्दोलन ममें जिन मुस्लिम सेनानियों व क्रांतिकारियों ने भाग लिया उनका विस्तृत रूप से मात्र उल्लेख ही नहीं किया है बल्कि आपने इस अंक ममें मुस्लिम सेनानियों का

सटीक दिग्दर्शन कराया है ।

वस्तुतः सत्य है कि मुस्लिम सेनानियों का स्वाधीनता आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा जिनमें साहित्यकार कविगण बुद्धिजीवी व लेखक आदि थे । वे प्राणों की बाज़ी लगाकर स्वाधीनता आन्दोलन में कूद पड़े । इनकी उपेक्षा शिक्षाविदों, इतिहासकारों, लेखकों व विशेष रूप से राजनीतिज्ञों की सोच का परिणाम है ।

प्रमुख समाजसेवी, चिंतक व विचारक राम पुनियानी, जगदीशवर चतुर्वेदी आदि ने अपनी लेखनी द्वारा सिद्ध किया है कि मुस्लिम क्रांतिकारियों ने स्वाधीनता आन्दोलन में प्रमुख भूमिका निभायी है । आपने अपने संपादकीय आलेख में उन सात प्रमुख मुस्लिम संगठनों का भी दिग्दर्शन कराया है जिन्होंने स्वाधीनता आन्दोलन में प्रमुख भूमिका निभायी ।

जिन मुस्लिम सेनानियों ने स्वाधीनता आन्दोलन में प्रमुख भूमिका निभायी उनके नाम इस प्रकार हैं–मौलवी बरकतुल्लाह, फ़ाज़िल मुहम्मद ख़ां, आदिल मुहम्मद ख़ो, पीरअली ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ां, मौलवी शरीअतुल्लाह ख़ान, मुग़ल सम्राट बहादुरशाह ज़फ़र, फ़िरोज़शाह, नाना साहब पेशवा के प्रधानमंत्री अज़ीमुल्लाह ख़ां, अशफ़ाकुल्लाह बीवी इसमतुस्सलाह कर्नल अब्दुल हमीद ख़ान की पुत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि थे ।

मैं अपने इस आलेख में दो क्रांतिकारियों का संक्षिप्त रूप में वर्णन कर रहा हूं । बहादुरशाह ज़फ़र और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ।

बहादुरशाह ज़फ़र मुग़ल सल्तनत के अंतिम बादशह थे । उन्हें साहित्य एवं शेरो-शायरी से बहुत लगाव था । इनकी कुरबानी कम नहीं थी । उन्होंने 600 रुपये महीने का वज़ीफ़ा लेने से इन्कार कर दिया । शेष चार वर्ष उन्होंने बहुत ही कठिनाई से व्यतीत किये । 7 नवम्बर 1862 को अपने मालिके हक़ीक़ी से जा मिले ।

देश को आज़ादी दिलवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है । वे अच्छे किरदार के मालिक थे, ईमानदार, विद्वान, इन्साफ़पसन्द अपने वतन और इन्सानियत की सच्ची ख़िदमत करने वाले थे और अवाम को आज उनके जैसे सही रास्ता दिखाने वाले रहनुमा की ज़रूरत है ।

उपरोक्त मासिक 'कान्ति' अक्तूबर 2015 का विशेषांक आपके प्रयासों के कारण सराहनीय है । विशेष रूप से आपने इस अंक में स्वाधीनता आन्दोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले मुस्लिम सेनानियों की जानकारी दी ।

रामस्वरूप झैवर
9-10 शास्त्रीनगर विस्तार,
भीलवाड़ा (राज॰)

संग्रहणीय

मासिक 'कान्ति' का अक्तूबर का भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन और मुसलमान विषय पर आधारित विशेषांक पढ़ा । विशेषांक पठनीय, संग्रहणीय तथा ज्ञानवर्द्धक है । भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में हिस्सेदारी करने वाले देश भक्त मुसलमानों के संबंध में एक स्थान पर इतनी विपुल सामग्री जुटाना निश्चित रूप से प्रशंसनीय है तथा संपादकीय कौशल का परिचायक भी । मुझे हिन्दुस्तान की जंगे आज़ादी में भाग लेने वाले मुग़ल सम्राट बहादुरशाह ज़फ़र, अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ां, अशफ़ाकुल्लाह व अज़ीमुल्लाह ख़ां जैसे चन्द लोगों के अलावा अन्य किसी देश भक्त मुसलमान के बारे में पता ही नहीं था । विशेषांक पढ़कर नवीन जानकारी हुई । ऐसे उत्तम प्रयास के लिए मासिक के संपादकमंडल को बधाई । आशा है भविष्य में ऐसी शानदार परंपरा की कड़ी में पाठकों को और भी पठनीय सामग्री पढ़ने को मिलती रहेगी ।

विद्या प्रकाश
अचलाघाट मार्ग, सिपाह,
जौनपुर (यू॰पी॰)

महत्वपूर्ण विशेषांक

आपके कुशल एवं अनुभवी संपादन में प्रकाशित लोकप्रिय मासिक पत्रिका 'कान्ति' इस महत्वपूर्ण विशेषांक के लिए बहुत-बहुत बधाई और मुबारकबाद । 'दावत' ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब उमरी साहब और आपके संपादकीय से पूरी सहमति है कि अनेक कारणों से मुस्लिम स्वाधीनता सेनानियों और क्रांतिकारियों के अविस्मरणीय योगदान को आधुनिक इतिहासकारों द्वारा प्रायः नज़रअंदाज़ ही किया जाता है । कहीं ज़िक्र भी होता है तो नगण्य-सा ही होता है ।

इस दृष्टि से यह विशेषांक उपेक्षित देशप्रेमी स्वाधीनता सेनारियों की गाथा को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने में सफल रहा है । यद्यपि इसमें भी बहुत से मुस्लिम देशप्रेमी अपना कारनामा दर्ज कराने में असमर्थ रहे हैं । फिर भी

जितना शोधपरक उल्लेख हुआ है वह भी कम नहीं है । इसके आप, आपकी संपादकीय टीम और समस्त रचनाकार बधाई के पात्र हैं ।

आवरण आकर्षक एवं विषयानुरूप है । काश ! यह विशेषांक अगस्त में प्रकाशित होता तो और भी अच्छा रहता । देर आयद दुरुस्त आयद ! पुन: बधाई !

डॉ॰ हरिसिंह पाल

इंदिरा पार्क, नयी दिल्ली-45

किसका देश ?

इस बात को कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आधुनिक भारत बाबाओं और बाबुओं का देश है क्योंकि सरकार चाहे केन्द्र की हो या राज्य की हो लेकिन जिस-जिस विभाग में पब्लिक डीलिंग है वहां का चपरासी भी करोड़पति है और क्लर्कों अधिकारियों की संपत्ति की कोई थाह नहीं / एम॰पी॰॰ में पड़ते लोकायुक्त के छापे स्वयं प्रमाणिक करते हैं कि जिस काले धन को नरेन्द्र मोदी विदेशों में ढूंढ़ रहे हैं उससे कहीं अधिक काला धन तो इन राष्ट्रीय कुबेरों यानी बाबाओं और बाबुओं के पास है । ऐसा नहीं है कि काले धन के कुबेर बाबू केवल एम॰पी॰ में ही हैं शेष भारत के सरकारी कर्मचारी दूध जैसे सफ़ेद धन के स्वामी हैं बल्कि यू॰पी॰ तो एम॰पी॰ से कहीं बड़ा है ।

कुछ समय पहले यू॰पी॰ के मुज़फ़्फ़रनगर के एक लेखपाल की कमाई का क़िस्सा उसके ही विभाग के कर्मचारी ने ईर्ष्यावश क्या खोला कि वह लेखपाल कई करोड़ों का मालिक निकला और पन्द्रह दिन बीत जाने तक भी उसकी संपत्ति का आकलन न हो सका यानी जब एक लेखपाल का यह हाल है और यू॰पी॰ में कई हज़ार लेखपाल हैं तो इसी से केवल एक विभाग में ही काले धन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है जबकि लेखपाल अपने विभाग में सबसे छोटा पद है ।

यह अनुमान लगाना सहज है कि विभागीय उच्च अधिकारियों के पास क्या-क्या होगा क्योंकि चोर वही जो पकड़ा जाए वरना सारे ईमानदार हैं । विदेशों से काला धन वापस भारत लाने में मोदी जी के रास्ते में अन्तर्राष्ट्रीय संधि बाधा बन रही हैं लेकिन इन राष्ट्रीय धन कुबेरों से काला धन से निकालने में कोई संधि बाधा नहीं है लेकिन बाधा है भी और वह है नेताओं और बाबुओं का सिंडिकेट जिसको तोड़ना मोदी जी के लिए सरल नहीं है ।

ख़ैर बाबुओं से तो बाद में भी निबटा जा सकता है लेकिन राजनीतिक दृढ़शक्ति हो तो बाबाओं के लिए लाइसेंस प्रणाली अमल में लाना कोई कठिन काम न होगा और यदि बाबागीरी का धंधा पारदर्शी एवं जवाबदेही हो जाता है, तो भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की आधी लड़ाई तो स्वयं ही जीत लेंगे ।

रचना रस्तोगी

वेस्टर्न कचहरी रोड, मेरठ (उ॰प्र॰)

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

www.kanti.in

प्रचार-प्रसार मुहिम के लिए विशेष छूट

मासिक कान्ति के प्रचार-प्रसार हेतु एक मुहिम शुरू की गयी है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति 'मासिक कान्ति' के 5 नये ख़रीदार बनाता है तो उसे मुफ़्त में एक और ख़रीदार बनाने की छूट होगी । इस अवसर से लाभ उठाने के लिए एक साथ एक हज़ार एक सौ रुपये (Rs. 1100/-) सीधे कान्ति के कार्यालय में जमा करने होंगे । प्रचार-प्रसार की यह मुहिम आगामी कुछ महीनों तक चलती रहेगी । मासिक कान्ति के पाठक इस विशेष छूट का लाभ उठाने के लिए अपने-अपने इलाक़ों में अपने सगे-संबंधियों एवं अन्य साथियों को प्रेरित कर सकते हैं । विस्तार से जानने के लिए सम्पर्क करें :

मैनेजर

मासिक कान्ति

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव,
जामिया नगर, नई दिल्ली-110025
09818799223, 011-26949430
E-mail : kanti hindimonthly@yahoo.com

قال اللہ تعالیٰ

احل اللہ البیع وحرم الربوا (القرآن)

اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام فرمایا۔

HALAL
INVESTMENT & FINANCE

Eat Halal Earn Halal

HALAL
INVESTMENT & FINANCE

Best Concept For Bright Future & Best Economic Conditions

Nihal Co-Operative Credit Society Ltd.

Eat Halal Earn Halal
INTEREST FREE INVESTMENT & FINANCE

Regd No. TNA/(TNA)/RSR/1029 Year : 1998/99
Regd. Office : 3rd Floor, Nihal House,
N. H. School Road, Opp. Ideal Tower, Mira Road (E)

Contact Us : 9022665544, 9869641648

ईश्वरीय धर्म इस्लाम

■ जमीला आली जाफ़री

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने अल्लाह के आदेशानुसार लोगों को सदाचार की शिक्षा दी । उन्हें प्रशिक्षित कर आत्मशुद्धि का मार्ग प्रदर्शित किया और समाज को तथ्यहीन रीति-रिवाजों से मुक्त कर उच्च कोटि के नैतिक व्यवहार, संस्कृति, सामाजिकता और अर्थ के नये नियमों पर व्यवस्थित कर सुसंगठित किया । पारिवारिक संगठन के नियम, विवाह-तलाक़ के क़ानून, अनाथों और निर्बलों के अधिकारों की रक्षा, विरासत का विभाजन, लेन-देन के मामलों को सुधार, घरेलू झगड़ों को निबटाने के तरीक़े, शराब पीने पर पाबन्दी, ब्याज, जुआ और सट्टे की रोकथाम, शुद्धता और पवित्रता, संबंधी आदेश निर्धारित हुए, जिनके आधार पर एक उच्च संस्कृति और सभ्यता का शिलान्यास हुआ । इस्लामी आन्दोलन की प्रमुख विशेषता यह है कि वह व्यक्ति और संघ की परिष्कार प्रक्रिया के प्रत्येक पक्ष पर संपूर्ण ध्यान रखता है तथा उसके अंतर्गत यह प्रयत्न किया जाता है कि लोग अल्लाह के 'दीन' का संदेश लेकर आगे बढ़ें । उनमें नैतिक बल, ईश्वरभय और उच्च कोटि के मानवीय गुणों का विकास हो ।

वास्तव में इस्लाम ऐसी परिपूर्ण जीवन व्यवस्था है, जिसमें जीवन के सर्वतान्मुखी विकास का एक पूर्ण एवं पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम है और जीवन संबंधी संपूर्ण समस्याओं का पूर्ण समाधान भी । यह लक्ष्य करने की बात है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने उन अरबवासियों को जिन्हें संस्कृति, नैतिकता और ज्ञान के क्षेत्र में कोई स्थान प्राप्त न था, सभ्य और ज्ञान का अनुरागी बनाया और संसार विश्वबंधुत्व के सिद्धांतों से परिचित हुआ । यह कार्य क़ुरआन की शिक्षाओं के माध्यम से किया गया ।



पवित्र कुरआन मानवजाति की एक सर्वनिष्ठ आध्यात्मिक उपलब्धि है । यह ऐस महान क्रांतिकारी ग्रंथ है जिसमें व्यापक, सार्वकालिक एवं व्यावहारिक सिद्धांतों का संकलन है । यह 23 वर्ष की अवधि में सूरतों के रूप में विभिन्न अवसरों पर उतरा, जिन्हें कंठ के अतिरिक्त खजूर के पत्तों, हड्डियों और झिल्लियों पर सुरक्षित रपखा गया । हज़रत अबू बक्र (रज़ि॰) ने निरीक्षण में इसकी आयतों को हज़रत ज़ैद बिन साबित अंसारी (रज़ि॰) द्वारा संग्रहीत किया गया । इसमें छोटी-बड़ी 114 सूरतें हैं । इस ग्रंथ में साहित्य, शब्दों का मधुर विन्यास, संगीत के स्वर-प्रवाह के साथ विचारों की गहराई और ज्ञान की व्यापकता विद्यमान है ।

कुरआन शरीफ़ में तौहीद (एकेश्वरवाद), अल्लाह के गुण, आख़िरत (परलोक), रिसालत (हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की नुबूवत पर विश्वास करना) ईश्वर भय, धैर्य आदि का उल्लेख है । इसकी वार्ताओं में अत्यंत अनुकूलता और तार्किक समन्वय उपलब्ध होता है । इसी दृष्टि में मानवजाति के पथभ्रष्ट होने के मूल कारण हैं, मनुष्यों का आधारहीन अनुमानों पर निर्भर रहना, उनकी अज्ञानता, हठधर्मी तथा पक्षपात ।

इस्लाम में प्रतिपादित बंधुत्व की भावना उसका सबसे बड़ा आकर्षण है । इसके द्वारा वर्गगत विषमताएं समाप्त हो जाती हैं तथा परस्पर प्रेम, मैत्री और उदारता जैसे सद्भावों की नींव दृढ़ होती हैं । सब मुसलमान परस्पर भाई-भाई हैं । हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने अपने अंतिम हज और स्वर्गवास के निकट समय में अरफ़ात के मैदान में उपदेश देते हुए भ्रातृत्व भावना पर बल दिया था–जो हदीस में संकलति है ।

'तौहीद' पर विश्वास करने वाला प्रत्येक मुसलमान धर्म-बंधु होता है । इसमें निहित ईश्वरीय शक्ति सबको एकता के सूत्र में बांधती है । इसी भ्रातृत्व-भावना से अनुप्राणित होने के कारण इस्लाम का धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक पक्ष अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली रहा और अपने आविर्भाव के उपरांत कुछ ही वर्षों में एशिया, अफ़्रीक़ा और यूरोप के अधिकांश भू-भाग पर छा गया ।

इस्लाम के इस सांसारिक और व्यावहारिक स्वरूप ने मानव समाज के उस वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया जो धर्म, जाति एवं वर्गगत विषमताओं के शिकंजे में जकड़ा हुआ था । कुरआन में मानव जीवन संबंधी प्रत्येक समस्या का व्यावहारिक समाधान वर्तमान है । सांसारिक जीवन से जुड़े रहकर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुगमन करते हुए 'तौहीद' पर आधारित अपने 'ईमान' की रक्षा करना प्रत्येक मुसलमान का परम कर्तव्य है ।

कुरआन के अनुसार दीन-ए-इस्लाम हज़रत आदम से आरंभ होता है । आगे चलकर विभिन्न युगों में विभिन्न पैग़म्बरों द्वारा इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रकाश में आते रहे । अंत में हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) पर अल्लाह ने यह 'वह्य' उतारी कि 'आज मैंने तुम्हारे 'दीन' को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे 'दीन' की हैसियत से क़बूल कर लिया है । इस प्रकार हज़रत आदम से लेकर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) तक एक लाख चौबीस हज़ार पैग़म्बर हुए हैं और उन सबका धर्म इस्लाम ही था । इनमें से कुछ पैग़म्बरों के नाम ज्ञात हैं, शेष अज्ञात हैं । इस्लाम की दृष्टि में मनुष्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है ।

रूसी मिसाइलों से यात्री विमानों को ख़तरा

सीरिया में लड़कों को निशाना बनाकर रूस की ओर से दागी़ जा रही क्रूज मिसाइलों से इस मार्ग से होकर गुज़रने वाली अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बड़ा ख़तरा पैदा हो सकता है ।

संयुक्त राष्ट्र के संगठन 'इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर्गेनाइजेशन' (इकाओ) ने इस ख़तरे को भांपते हए इस बारे में सभी देशों की नागर विमानन सेवाओं के लिए एक चेतावनी जारी करने का फ़ैसला किया है । रूस की ओर से सीरिया में लड़ाकों के ठिकानों पर हवाई हमले किये जा रहे हैं । इस बीच कैस्पियन सागर से भी रूव अपने जंगी जहाज़ों से सीरिया में क्रूज मिसाइलें दाग़ रहा है ।

इन मिसाइलों के माग्र से कई अन्तर्राष्ट्रीय व्यावसायिक उड़ानें रोज़ाना गुज़रती हैं ऐसे में इनके लिए बड़ा ख़तरा हो सकता है । रूस ने उसकी ओर से दागी़ जा रही क्रूज मिसाइलों का एक एनिमेशन जारी किया है जिसमें मिसाइलों के मार्ग को दिखाया गया है । इस मार्ग से रोज़ाना कई अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें गुज़रती हैं ।

जिहाद क्या है ?

● संपादन प्रभाग

जिहाद क्या है ? अफ़सोस की बात यह है कि इसकी मीडिया के एक वर्ग द्वारा अक्सर ग़लत व्याख्या की जाती है । वास्तव में इस्लाम में जिहाद की सही अवधारणा को समझकर ही कोई निर्णय किया जा सकता है । अल्लाह की राह में जिहाद के विभिन्न हालात के लिए जिहाद की जो विभिन्न शक्लें और क़िस्में हैं वे इस प्रकार हैं–(1) दाख़िली जिहाद (2) दावती (आह्वानपरक) और फ़िक्री (वैचारिक) जिहाद और (3) मुसल्लह (सशस्त्र) जिहाद ।

दाख़िली (आंतरिक) जिहाद

दाख़िली जिहाद का अर्थ यह है कि स्वयं इस्लामी समाज के भीतर जो बुराइयां सिर उठाती नज़र आएं उनके ख़िलाफ़ संघर्ष किया जाए और उनका निवारण किया जाए । आंतरिक बुराइयां इस्लाम की राह में बड़ी ख़तरनाक रुकावट होती हैं ।

इस बारे में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का इरशाद सुनिए–

'मुझसे पहले अल्लाह ने जिस नबी को भी भेजा था उसे अपनी उम्मत में से ऐसे मुख़िलस (निष्ठावान) अनुयायी और साथी ज़रूर मिले जो उसके तरीक़े को मज़बूती से अपनाए रहते और उसकी हिदायतों की पैरवी करते रहते । फिर इनके बाद इनकी जगह ऐसे अवज्ञाकारी आते जिनका हाल यह होता कि कहते वह जिस पर अमल न करते, और करते वह जिसकी उन्हें हिदायत न होती । अत: जिसने इनके ख़िलाफ़ अपने हाथ से जिहाद किया वह मोमिन है, और जिसने अपनी ज़ुबान से जिहाद किया वह भी मोमिन है, और जिसने अपने दिल से जिहाद किया वह भी मोमिन है । इसके बाद राई बराबर भी ईमान का कोई दर्जा नहीं होता ।'

(मुस्लिम)

'क़ुरआन के ज़रिए जिहाद करने' का मतलब यह है और यही हो सकता है कि इस्लाम के इन्कारियों के सामने उन क़ुरआनी दलीलों को बराबर पेश करते रहो जो इस्लाम की सच्चाई को और उनके इन्कार के कारणों की महत्वहीनता को खोलकर रख देती हैं । और उस तर्कशैली से उनके दृष्टिकोण की कमज़ोरी बराबर स्पष्ट करते रहो जो क़ुरआन ने तुम्हें सिखायी है ।

ज़ाहिर है कि यह इरशाद सिर्फ़ एक ख़बर की हैसियत नहीं रखता, बल्कि एक हिदायत और हुक्म की हैसियत रखता है । इसका मक़सद दरअस्ल मुस्लिम उम्मत को यह बताना है कि आइंदा चलकर उसे भी ऐसे ही हालात पेश आने वाले हैं । और जब ये हालात पेश आ जाएं तो क्या कुछ करना होगा ।

एक हदीस से दोनों बात साफ़ हो जाती हैं–

1. एक तो यह कि मुस्लिम समाज के भीतर जो बुराई और गुमराही पैदा हो उसे ख़त्म कर देने की कोशिश 'जिहाद' है ।

2. दूसरी यह कि इस कोशिश या जिहाद की अमली सूरतें भिन्न-भिन्न हो सकती हैं, जिनके ईमानी इर्जे भी अलग-अलग होंगे ।

सबसे अच्छी सूरत तो यह है कि इस बुराई या गुमराही के ख़िलाफ़ मुनासिब अंदाज़ में क़ुव्वत का इस्तेमाल किया जाए, और अपने हाथों से उसे ख़त्म कर दिया जाए ।

लेकिन अगर कोई ऐसी पोज़ीशन नहीं रखता हो, या उसके अन्दर ऐसी जुर्रत न हो कि किसी मायने और किसी शक्ल में भी हाथ की शक्ति इस्तेमाल कर सके, तो फिर ज़बान की शक्ति से काम ले । बुराई को खुल्लमखुल्ला बुराई कहे, निंदा करे, समझाए, आख़िरत याद दिलाए । अल्लाह की नाराज़गी से डराए । और जब इन बातों से काम न चले तो हालात के अनुरूप सचेत भी करे ।

अगर इतनी हिम्मत भी न हो तो ऐसा तो लाज़िमन करे कि उस बुराई के ख़िलाफ़ उसका दिल बेचैनी से भर जाए । आंखों में वह कांटा बनकर चुभती रहे । तमन्ना करे

कि यह बुराई जल्द से जल्द मिट जाए । दुआएं करे कि ऐ अल्लह, अपने इस गुनाहगार बंदे को शैतान के हमले से बचा ले । इसके ज़मीर को ज़िंदा और इसके अहंकार को नष्ट कर दे, ताकि इस बुराई से उसे नफ़रत हो जाए और इस गंदगी से वह अपने को पाक कर ले ।

बुराइयों को मिटाने की जिन कोशिशें को इस हदीस में 'जिहाद' की संज्ञा दी गयी है, ठीक इन्हीं कोशिशों को कुछ हदीसों में 'बुराइयों को बदल देना' भी कहा गया है, जैसे–

'तुममें से जिस किसी को कोई बुराई नज़र आए तो चाहिए कि उसे अपने हाथों से बदल दे । अगर हाथ से ऐसा न कर सकता हो तो अपनी ज़ुबान से यह काम करे । अगर इसकी भी ताक़त न रखता हो तो उसे दिल से बुरा जाने, यह ईमान का सबसे निचला दर्जा होगा ।' (मुस्लिम)

फिर इन्हीं कोशिशों को 'नहि अनिल मुन्कर' (बुराइयों से रोकना) भी कहा गया है । क़ुरआन में है–

'भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको ।'

एक हदीस है–'नेकी की एक दूसरे को नसीहत करो ओर बुराई से एक-दूसरे को रोको ।'

(अबू दाऊद)

इन हवालों से मालूम हुआ कि मुस्लिम समाज के बुरे लोगों में 'जिहाद करना, उनकी 'बुराइयों को बदल डालना' और उन्हें 'बुराइयों से रोकना' ये सब दरअस्ल एक ही उद्देश्य का बयान करने वाले विभिन्न शब्द हैं–और हम इनमें से जिस लफ़्ज़ या शब्दावली को भी लें, निहितार्थ में कोई फ़र्क़ न होगा ।

फिर एक बात इन उद्धरणों से यह भी मालूम हुई कि यह 'जिहाद' उम्मत का सामान्य सर्वांगीण एवं स्थायी कर्तव्य है । इस कर्तव्य से न तो व्यक्ति मुक्त हैं, न समूह और न ही राज्य । बल्कि अपनी-अपनी हैसियत के अनुसार इस अज़ीम ज़िम्मेदारी में सब शरकी हैं ।

दलील और वज़ाहत की ज़रूरत हो तो क़ुरआन के ये फ़रमान भी सुनिए–

'मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के मित्र हैं, वे भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं ।'

(सूरह तौबा, आयत-71)

इस इरशाद का साफ़ मतलब यह है कि भलाई (मारूफ़) का हुक्म देना और बुराई (मुन्कर) से लोगों को रोकना, मुसलमान की कभी न अलग होने वाली सिफ़त (गुण) है । यह ईमान की फ़ितरत है, इस्लाम का मिज़ाज है । जहां मुसलमान होगा यह काम भी वहीं ज़रूर किया जा रहा होगा–और जो मुसलमान होगा वह यह काम ज़रूर करेगा ।

इस्लामी राज्य के बारे में इरशाद होता है–ये वे लोग हैं जिन्हें अगर हम ज़मीन पर प्रभुत्व प्रदान कर दें तो नमाज़ क़ायम करेंगे और ज़कात देंगे । भलाई का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे ।'

(सूरह हज, आयत-41)

इससे मालूम हुआ कि मुसलमान जिस तरह आनी आम और व्यक्तिगत हैसियत में बुराई को पनपते देखना गवारा नहीं कर सकता, उसी तरह सत्तासीन होकर भी वह ऐसा ही करेगा, और बुराइयों को मिटाना उसके सत्तासीन होने के बुनियादी मक़सद और कर्तव्यों में शालिम होगा ।

मुसलमानों को मक्का की कमज़ोर पोज़ीशन में अपनी सुरक्षा के लिए भी हाथ उठाने की इजाज़त नहीं दी गयी, हालांकि क़ुरैश के ज़ुल्म अपनी इंतिहा को पहुंचे हुए थे । यह इजाज़त हिजरत के बाद और मदीने का आज़ाद माहौल उपलब्ध हो जाने के बाद ही मिल सकी, जहां आपके नेतृत्व में विधिवत इस्लामी राज्य क़ायम हो चुका था । यही हाल उन नबियों का रहा जिनकी दावत सशस्त्र जिहाद के मरहले में दाख़िल हो चुकी थी ।

दावती और फ़िक्री जिहाद

'दावती व फ़िक्री (वैचारिक) जिहाद' का मतलब यह है कि ग़ैर-मुस्लिम हल्क़ों की तरफ़ से इस्लाम के ख़िलाफ़ जिन संदेहों को पेश किया जाए, तो एतराज़ उठाए जाएं जो दलीलें दी जाएं उनका मुनासिब जवाब दिया जाए–और कोई संदेह, एतराज़ या दलील ऐसी न रहने दी जाए जो इस्लाम के चेहरे का बारीक-सा परदा भी बना लिया जा सकता हो । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का मक्का का काल पूरी तरह से इसी जिहाद का दौर था, जब अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दे रखा था कि–

'अत: तुम इस्लाम के इन्कारियों की बात न मानो और कुरआन के ज़रिए उनसे पूरा-पूरा जिहाद करते रहो ।'

(सूरह फ़ुरक़ान, आयत-52)

'कुरआन के ज़रिए जिहाद करने' का मतलब यह है और यही हो सकता है कि इस्लाम के इन्कारियों के सामने उन कुरआनी दलीलों को बराबर पेश करते रहो जो इस्लाम की सच्चाई को और उनके इन्कार के कारणों की महत्वहीनता को खोलकर रख देती हैं । और उस तर्कशैली से उनके दृष्टिकोण की कमज़ोरी बराबर स्पष्ट करते रहो जो कुरआन ने तुम्हें सिखायी है–

दावती व फ़िक्री जिहाद दरअस्ल तर्कों के हथियारों से लड़ने का नाम है । यह लड़ाई उस वक़्त तक लड़ी जानी चाहिए जब तक कि इस्लाम के विरोध के सारे वैचारिक क़िले धराशायी न हो जाएं–चाहे वे आध्यात्मिकता से संबंधित हों या भौतिकवाद से । सभ्यता-संस्कृति के मैदान के हों या आर्थिक व राजनीति । विज्ञान से लिए हुए हों या दर्शनशास्त्र से ।

कुरआन ने अरबों की एक-एक दलील और उनके उठाए हुए एक-एक एतराज़ की जिस तरह धज्जियां उड़ाईं व किसी से छिपी हुई नहीं हैं । इसका हाल मालूम करने के लिए अल्लाह वे उस वादे के शब्दों को सुन लेना काफ़ी होगा, जिसका उसने इस सिलसिले में एलान फ़रमा रखा था–

'ऐ नबी ! ये लोग तुम्हारे सामने जो अनोखे से अनोखा एतराज़ भी ले आएंगे, हम उनके जवाब में तुम्हें ठीक बात और बेहतरीन वज़ाहत वाली दलील बता दिया करेंगे ।'

(सूरह फ़ुरक़ान, आयत-33)

यह वैचारिक एवं सैद्धांतिक लड़ाई जिस अंदाज़ से लड़ी जानी चाहिए उसके लिए कुरआन ने यह उसूली हिदायत दी है कि 'बहस का वह तरीक़ा अपनाओ जो सबसे अच्छा हो ।' (सूरह नह्ल, आयत-125) किसी तरीक़े की अच्छाई और बुराई का फ़ैसला यह बात करती है कि जिस मक़सद की ख़ातिर इसे अपनाया गया है, सीह तौर पर वह इससे किस हद तक हासिल हो सका ।

इसलिए इस्लाम के लिए बहस व मुबाहिसे का सही और कुरआनी तरीक़ा वही हो सकता है जो मुख़ातब (संबोधित पक्ष) को उसके क़रीब लाए, उसके दिमाग़ को उसकी सच्चाई का साक्षी बनाए, और उसके दिल के दरवाज़े उसके लिए खोल सके । और ऐसा उसी वक़्त हो सकता है जबकि इस्लाम के पक्ष में बोले जाने वाले शब्द एक ओर तो अक़्ल को अपील करने वाले हों, दूसरी ओर वे मुख़ातब के ज़ेहन और उसके मनोविज्ञान को सामने रखकर कहे गये हों । तीसरी ओर उनमें हार्दिक निष्ठा और लहज़े का सोज़ भरा हो ।

मुसल्लह (सशस्त्र) जिहाद

मुसल्लह जिहाद का मतलब यह है कि इस्लाम की राह रोकने वालों के ख़िलाफ़ सशस्त्र संघर्ष किया जाए–और उस वक़्त तक किया जाए जब तक कि वे इस राह को खुला छोड़कर हट नहीं जाते । यह जिहाद की आख़िरी शक्ल है । इसका दूसरा और विशिष्ट नाम क़िताल है । अमली तौर पर यह जिहाद की सबसे मुश्किल और सब्रआज़मा क़िस्म है, लेकिन दीन (धर्म) की बक़ा के लिए इसकी भी ज़रूरत आ पड़ा करती है । इसे उसी वक़्त स्पष्ट कर दिया गया था जिस वक़्त इस मुसल्लह जिहाद का सबसे पहला हुक्म दिया गया–

'ईमान वालो ! तुम पर लड़ाई फ़र्ज़ कर दी गयी है, यद्यपि वह तुम्हें नागवार महसूस हो रही है । लेकिन बहुत मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को नागवार महसूस करो और वह तुम्हारे हक़ में बेहतर हो ।' (सूरह बक़रा, आयत-216)

यह क़िताल और मुसल्लह जिहाद, इस्लाम और अह्ले इस्लाम के हक़ में 'बेहतर' और 'कल्याणकारी' किस तरह है, इसकी वज़ाहत इन आयतों में मिलती है, जिसमें क़िताल का उद्देश्य बताया गया है–

'तुम उनसे लड़ो यहां तक कि फ़ितना बाक़ी न रह जाए और दीन अल्लाह के लिए हो जाए ।'

(सूरह बक़रा, आयत-193)

अल्लाह के इन शब्दों से साफ़ और सुनिश्चित तौर पर मालूम जो जाता है कि हक़ के दुश्मनों से लड़ने का हुक्म एक बहुत बड़ी ज़रूरत के तहत दिया गया है–और वह ज़रूरत यह है कि अल्लाह का नाम लेने और उसके अहकाम से अनुसार ज़िन्दगी बसर करने की राह साफ़ हो जाए और फ़ितने की लानत ख़त्म हो जाए । 'फ़ितना' कुरआन की एक शब्दावली है, इसका भावार्थ यह है कि लोगों को दीन की पैरवी का अधिकार न दिया जाए और उन्हें अपने वास्तविक उपास्य (माबूदे हक़ीक़ी) की बंदगी से ज़बरदस्ती रोका जाए ।

ज़ाहिर है कि यह एक ऐसा ज़ुल्म है जिससे बड़ा और कोई ज़ुल्म नहीं हो सकता यहां तक कि रक्तपात भी इसके मुक़ाबले में न्यून होकर रह जाता है । क्योंकि अगर किसी की जान ली गयी तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यह है कि उसे दुनिया की कुछ दिनों की बहार से वंचित कर दिया जाए । लेकिन अगर किसी से उसकी 'ख़ुदापरस्ती' ले ली गयी और अपने रब का बंदा बनने से उसे ज़बरदस्ती रोक दिया गया तो इसका मतलब यह है कि इसकी अस्ल ज़िन्दगी तबाह कर दी गयी और उसे आख़िरत की अगणित नेमतों से महरूम कर दिया गया । निस्संदेह दोनों ही चीज़ें नापसंदीदा हैं । लेकिन जब इन दोनों नापसंदीदा चीज़ों में से एक को चुनना पड़ा जाए तो एक मूर्ख भी पहली के मुक़ाबले में दूसरी का चयन न करेगा । इसलिए क़ुरआन जब यह कहता है कि, 'फ़ितना क़त्ल से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है' (सूरह बक़रा, आयत-191) तो एक ऐसी बात फ़रमाता है जिसकी सच्चाई में दो राएं नहीं हो सकतीं–और अगर इस बात में दो बातें नहीं हो सकतीं तो कोई वजह नहीं कि अपनी जानों की क़ुरबानियां देकर अगर हक़ के रास्ते की रुकावटें दूर कर दी जाएं तो इसके बेहतर होने में दो राएं हो सकें । एक और आयत सुनिए जिसने मुसल्लह जिहाद की ज़रूरत पर नकारात्कक पहलू से रोशनी डाली है–'और यदि अल्लाह लोगों को एक-दूसरे से हटाता न रहता तो मठ और गिरजा और यहूदियों के उपासना गृह और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का अधिकता से नाम लिया जाता है, सब ढा दी जातीं । निश्चय ही अल्लाह उसकी सहायता करेगा जो उसके दीन की सहायता करेगा ।' (सूरह हज, आयत-40)

इस आयत से और ज़्यादा स्पष्ट हो गया कि अगर दीन की ख़ातिर कभी तलवार न उठायी जाए और फ़ितने की जड़ न काट दी जाए तो ख़ुद दीन की जड़ कट जाएगी । उपद्रवी तत्व ख़ुदा का नाम लेना दूभर कर देंगे और ख़ुदापरस्ती के एक-एक निशान को मिटाकर दम लेंगे । इसलिए दीन की बक़ा और तरक़्क़ी के लिए सशस्त्र संघर्ष भी एक अपरिहार्य ज़रूरत बन जाया करता है ।

मुसल्लह जिहाद की शर्तें

मुसल्लह जिहाद चाहे वह इक़दामी हो या दिफ़ाई (सुरक्षात्मक) हर हाल में नहीं किया जा सकता, सिर्फ़ ख़ास हालात में ही किया जा सकता है । यानी इसके लिए कुछ ज़रूरी शर्तें हैं । जब तक ये शर्तें पूरी न हो रही हों, वह किसी तरह सही न होगा–और न सिर्फ़ यह कि ऐसे जिहाद की कोई महत्ता न होगी, बल्कि वह सिरे से जिहाद ही न होगा और किसी अज्र व सवाब के बजाय अल्लाह की नाराज़गी का कारण बन जाएगा । ये शर्तें निम्न हैं–

1. जिहाद करने वाले मुसलमान आज़ाद और ख़ुदमुख़्तार (स्वायत्त, स्वाधीन) हों । उनकी अपनी एक विधिवत सामूहिकता स्थापित हो । एक ख़लीफ़ा यह अमीर उनका सरबराह (प्रमुख) हो । बग़ैर इस आज़ाद सामूहिक व्यवस्था के कोई जंगी क़दम नहीं उठाया जा सकता । जंगी इक़दाम (पहल) चाहे वह सुरक्षात्मक ही हो, एक आज़ाद माहौल में और एक अधिकार प्रमुख के नेतृत्व में ही किया जा सकता है ।[1]

अत: मुसलमानों को मक्का की कमज़ोर पोज़ीशन में अपनी सुरक्षा के लिए भी हाथ उठाने की इजाज़त नहीं दी गयी, हालांकि क़ुरैश के ज़ुल्म अपनी इंतिहा को पहुंचे हुए थे । यह इजाज़त हिजरत के बाद और मदीने का आज़ाद माहौल उपलब्ध हो जाने के बाद ही मिल सकी, जहां आपके नेतृत्व में विधिवत इस्लामी राज्य क़ायम हो चुका था । यही हाल उन नबियों का रहा जिनकी दावत सशस्त्र जिहाद के मरहले में दाख़िल हो चुकी थी ।

जब तक ये शर्तें पूरी नहीं हो जाती, उस वक़्त-तक दीन की ख़ातिर पहुंचाई जाने वाली तकलीफ़ों को बरदाश्त करना ही स्लि जिहाद है ।

2. विरोधी ताक़तों से लड़ने के लिए ज़रूरी ताक़त उपलब्ध हो । शरीअत ने अपने अहकाम की पैरवी के सिलसिले में विभिन्न उसूल पेश किये हैं–

'किसी व्यक्ति पर उसकी क्षमता के अनुसार ही ज़िम्मेदारी डाली जाती है ।'

इसी उसूल के अनुसार उसने यह इरशाद भी फ़रमाया–

---

1. इसका यह मतलब नहीं है कि किसी देश के मुसलमान अगर आज़ाद और ख़ुदमुख़्तार न हों और उनका दमन किया जा रहा हो तो इस दमन का प्रतिकार भी नहीं कर सकते । किसी ज़ालिम के ज़ुल्म का मुक़ाबला करना स्वयं में सवाब (पुण्य) का काम है । और अगर इस आत्मरक्षा के संघर्ष में कोई मुसलमान मारा जाए तो वह भी अल्लाह के नज़दीक शहीद का दर्जा पाएगा । मगर ज़ाहिर है जिस शब्दावली–जिहाद व क़िताल–की यहां चर्चा हो रही है वह और चीज़ है, और अपनी जान व माल के बचाव के लिए ज़ालिमों और हमलावरों का मुक़ाबला करना बिल्कुल दूसरी चीज़ है ।

'अल्लाह का तक़्वा (ईश-परायणता) अपनाओ जितना तुम्हारे बस में हो ।' (सूरह तग़ाबुन, आयत-16)

इसलिए जब तक दुश्मन से लड़ने के लिए ज़रूरी ताक़त मौजूद न हो, जिहाद करने की ज़िम्मेदारी भी मुसलमानों पर नहीं आती ।

3. यह जिहाद व क़िताल पूरी तरह 'फ़ी सबीलिल्लाह' (अल्लाह की राह में) हो । लड़ने वाले मुसलमान सिर्फ़ दीन की ख़ातिर और अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने के लिए लड़ रहे हों । बदी और ज़ुल्म को मिटाना, नेकी और इन्साफ़ को क़ायम करना ही उनका मक़सद हो । और यह सब कुछ भी सिर्फ़ इसलिए हो कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए । इसके अलावा कोई दूसरा मक़सद और प्रेरक इस जंग के पीछे काम न कर रहा हो ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से पूछा गया कि 'एक शख़्स माले ग़नीमत के लिए लड़ता है, दूसरा शोहरत के लिए और तीसरा दिखावे के लिए लड़ता है । इनमें से किसकी लड़ाई 'फ़ी सबीलिल्लाह' होती है ? आपने फ़रमाया–'जो शख़्स सिर्फ़ अल्लाह का कलिमा बुलंद करने के लिए लड़ता है, बस उसी का लड़ना 'फ़ी सबीलिल्लाह' होता है ।'

(बुख़ारी)

एक अन्य मौक़े पर किसी ने पूछा–'ऐ अल्लाह के रसूल ! एक शख़्स है जो अल्लाह की राह में जिहाद करना चाहता है, लेकिन साथ ही दुनिया का कोई मफ़ाद भी उसके सामने है ।' इस बारे में आप (सल्ल०) ने कहा–'उसे कोई अज्र नहीं मिलेगा ।' पूछने वाले ने तीन बार यही सवाल किया और आप (सल्ल०) ने तीनों बार जवाब दिया ।'

(अबू दाऊद)

इसी तरह आप (सल्ल०) ने कहा है कि 'नहीं है हममें से वह जो किसी अस्बियत (पक्षपात) के तहत लड़े और नहीं है हममें से वह जो किसी अस्बियत के तहत जान दे ।'

(अबू दाऊद)

जिहाद की पहली दो शर्तों की ज़रूरत तो बिल्कुल स्पष्ट है । लेकिन इस तीसरी शर्त की ज़रूरत समझने के लिए थोड़ा और ग़ौर करना पड़ेगा । इस्लाम ने बल प्रयोग का हुक्म बुराई और फ़ितने को मिटाने तथा नेकी व खुदापरस्ती के क़ायम करने के लिए दिया है, जैसा कि ऊपर के विवरण से मालूम हो चुका है । तो क्या वे लोग जो खुद अपने भीतर ग़लत जज़्बात पाल रहे हों, वे अपनी लड़ाई के नतीजे में नेकी और खुदापरस्ती को बढ़ावा दे सकते हैं ? ज़ाहिर है कि नहीं । ऐसे लोग जो कुछ भी करेंगे वह सिर्फ़ यह होगा कि एक बुराई की जगह दूसरी बुराई को लेकर स्थापित कर देंगे । और यह बात न सिर्फ़ यह कि इस्लाम की कोई ख़िदमत नहीं बल्कि उल्टा उसका प्रतिरोध है, क्योंकि ऐसे लोग बुराई का यह खेल इस्लाम के नाम पर खेलेंगे, जिसके नतीजे में अल्लाह की मख़्लूक़ इस्लाम से कुछ ओर दूर हो जाएगी ।

गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी
सआदत ख़ां

एक जुलाई, 1857 को इन्दौर दरबार के एक दराबारी तथा देशप्रेमी सआदत ख़ां ने भी इन्दौर रेज़ीडेंसी के अंग्रेज़ों पर आक्रमण करने के लिए सेना को आदेश दिया था और साथ ही यह भी घोषणा की थी कि हमें महाराज होल्कर से अनुमति मिल चुकी है ।

दरबारी सआदत ख़ां की आज्ञा मिलते ही सेना ने स्वाधीनता की पताका थामे रेज़ीडेंसी पर गोलाबारी प्रारंभ कर दी । रेज़ीडेंसी के अन्दर भारतीय सेना को जब क्रांति के सैनिकों पर जवाबी हमला करने का हुक्म दिया गया, तो उसने (सेना) ने अपने भाइयों (क्रांति सैनिकों) पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया था ।

रेज़ीडेंसी के अन्दर कंपनी सरकार के भारतीय सैनिकों ने इतनी उदारता ज़रूर दिखायी कि किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की और उन्हें बोरिया-बिस्तर बांधकर वहां से जाने दिया । इस तरह दरबारी सआदत ख़ां ने इन्दौर रेज़ीडेंसी को अंग्रेज़ों से ख़ाली करवा लिया था । महाराज होल्कर इस मामले में इस क़दर ख़ामोश रहे कि भारत में पूरी तरह अंग्रेज़-सत्ता क़ायम होने के बाद भी अंग्रेज़ यह पता न लगा पाए कि सआदत ख़ां के उस रेज़ीडेंसी-आक्रमण में होल्कर की भूमिका क्या थी ?

वस्तुतः अंग्रेज़-रेज़ीडेंसी पर आक्रमण करना सआदत ख़ां की अपनी सूझ-बूझ तो थी ही, साथ ही उनके देश-प्रेम की उत्कृष्ट लालसा ने ही उनसे यह भी कहलवाया कि महाराज होल्कर ने रेज़ीडेंसी पर आक्रमण की अनुमति दे दी है । इस तरह हम देखते हैं कि सन् 1725 से 1857 तक की आज़ादी की लड़ाई में हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों की भूमिका ज़्यादा और तीव्र रही है ।

मुनअम पब्लिक स्कूल

(इंगलिश मिडियम, सी॰बी॰एस॰ई॰, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त)

महाराजगंज, पो॰ दादपुर, ज़िला हज़ारीबाग, (झारखण्ड)

नामांकण सूचना : एल के जी से कक्षा नवम् तक

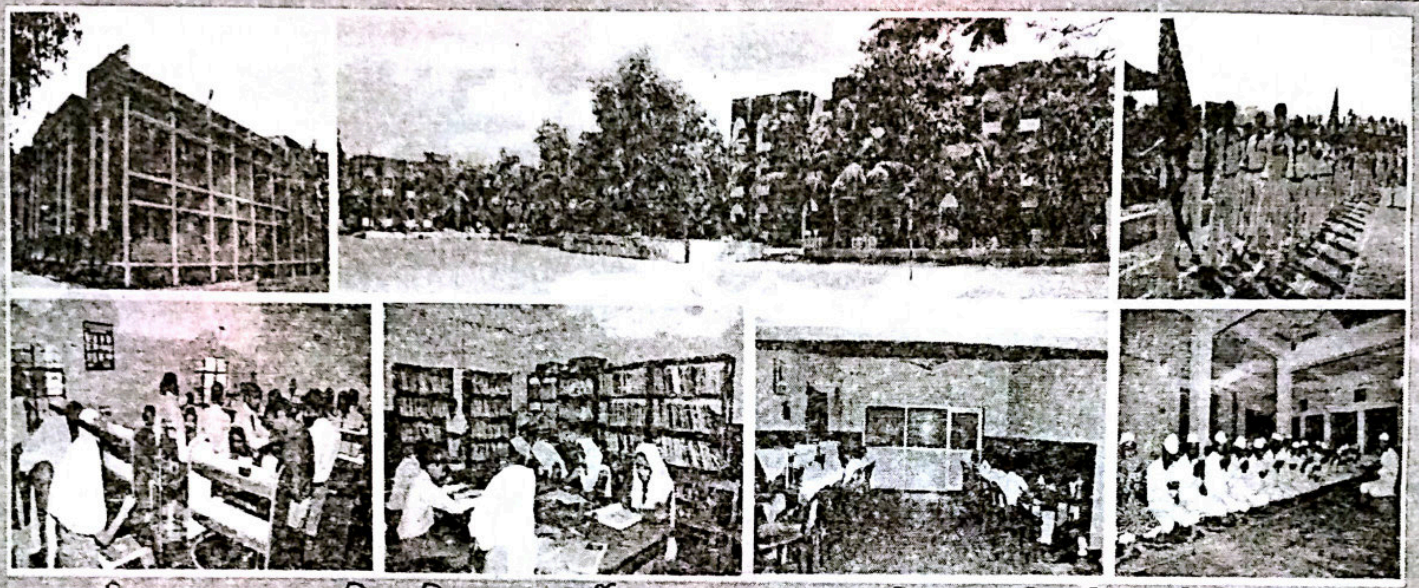

इस्लामी नहज पर आधुनिक शिक्षा का पूर्वी भारत का एकमात्र विद्यालय जिसके छात्रों ने दसवीं एवं बारहवीं के बोर्ड परीक्षा में शानदार कामयाबी हासिल की।

उपलब्ध सहूलियतें

विशाल कैंपस, भव्य इमारतें, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग आरामदेह साफ़-सुथरे छात्रावास की व्यवस्था, साइंस एवं कंप्यूटर लैब, ज्ञानवर्धक किताबों से भरपूर पुस्तकालय, स्पोर्ट्स एवं पी.टी. के लिए विशाल खेल मैदान, सभी विषयों के लिए अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की टीम, नमाज़ पंजगाना के लिए ख़ूबसूरत मस्जिद।

नामांकण फ़ार्म मिलने की अंतिम तिथि : 15 मार्च 2015

एम.ए., बी.एड.ए (अलीग.)
निदेशक

फ़ाज़िल, नदवा, लखनऊ
छात्रावास अधिक्षक

एम.एस.सी., बी.एड.
प्राचार्य

विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें

मोबाइल : 09431530878/7739748279, वेबसाइट : munammission.org

ई.मेल : hmpt.mission@gmail.com

ब्याज-दर के कारण

■ मौलाना अबुल आला मौदूदी

महाजनी कारोबार में एक महाजन प्राय: यह देखता है कि जो व्यक्ति उससे ऋण मांगने आया है वह कितना निर्धन है, कितना विवश है और ऋण न मिलने की सूरत में उसे कितना कष्ट उठाना पड़ेगा ? इन्हीं चीज़ों के लिहाज़ सेवह तय करता है कि मुझे इससे कितना ब्याज मांगना चाहिए । अगर वह कम ग़रीब है, कम धनराशि मांग रहा है और बहुत अधिक परेशान नहीं है तो ब्याज-दर कम होगा । इसके विपरीत वह जितना अधिक दरिद्र और ख़स्ताहाल होगा और जितना अधिक वह इच्छुक होगा, दर उतनी ही बढ़ती चली जाएगी । यहां तक कि अगर किसी भुखमरे आदमी का बच्चा बीमारी की हालत में दम तोड़ रहा हो तो चार-पांच सौ प्रतिशत ब्याज-दर भी उसके मामले में 'अनुचित' नहीं है । इस तरह की स्थिति में 'नैसर्गिक' ब्याज-दर लगभग उसी मानदंड के लिहाज़ से निर्धारित होता है जिस मानदंड के लिहाज़ से 1948 ई॰ प्रलयंकर उपद्रव ममें अमृतसर स्टेशन पर एक सिख ने एक मुसलमान से पानी के एक गिलास का मूल्य 'नैसर्गिक' 300 रुपये ले लिया था क्योंकि उसका बच्चा प्यास से मर रहा था और शरणार्थियों की ट्रेन से कोई मुसलमान नीचे उतरकर स्वयं पानी नहीं ले सकता था ।

इस प्रकार अंतत: रुपये का काम में लगना बन्द हो जाता है और आर्थिक प्रगति की रफ़्तार एकाएक रुक जाती है । फिर जब बाज़ार में मंदी का सख़्त फंदा पूरे व्यापारिक संसार पर पड़ जाता है और पूंजीपति देखता है कि उसकी अपनी तबाही निकट आ गयी है तो वह ब्याज-दर को इस हद तक गिरा देता है कि कारोबारी आदमियों को उस दर पर रुपया लेकर लगाने में लाभ प्राप्त होने की आशा हो जाती है और कला-कौशल शिल्प व व्यापार के बाज़ार में फिर पूंजी आनी शुरू हो जाती है ।

रही दूसरे प्रकार की बाज़ार संपत्तियां तो इसमें ब्याज-दर का निर्धारण और इसका उतार-चढ़ाव जितने आधारों पर होता है, इनके बारे में अर्थशास्त्रियों के दो मत हैं–

एक वर्ग (गिरोह) कहता है कि तलब और हिस्से का क़ानून इसका आधार है । जब रुपया लगाने के इच्छुक व्यक्ति कम होते हैं और ऋण देने के योग्य रक़में ज़्यादा हो जाती हैं तो ब्याज-दर गिरने लगता है यहां तक कि जब-जब वह बहुत अधिक गिर जाता है तो लोग इस अवसर को इच्छा समझकर कारोबार में लगाने के लिए रुपया ऋण लेने पर अधिकाधिक तत्पर होने लगते हैं । फिर जब रुपये की मांग बढ़नी आरंभ होती है और ऋण-योग्य रक़में कम होने लगती हैं तो ब्याज-दर चढ़ना शुरू हो जाता है यहां तक कि वह इस हद को पहुंच जाती है कि ऋण की मांग रुक जाती है ।

विचार कीजिए, इसका अर्थ क्या है ? पूंजीपति यह नहीं करता कि सीधे और उचित तरीक़े से कारोबारी आदमी के साथ हिस्सेदारी का मामला तय करे और न्याय के साथ उसके वास्तविक लाभ में अपना हिस्सा लगाए। इसके स्थान पर बजाय वह एक अनुमान लगाता है कि कारोबार में इस व्यक्ति को कम से कम इतना फ़ायदा होगा, अतएव जो रक़में उसे दे रहा हूं उस पर मुझे इतना ब्याज मिलना चाहिए । दूसरी तरफ़ कारोबारी आदमी भी अनुमान लगाता है कि जो रुपया मैं उससे ले रहा हूं वह अधिक से अधिक इतना लाभ अर्जित कर सकता है, अतएव ब्याज इससे अधिक न होनी चाहिए । दोनों अनुमानों (Speculation) से काम लेते हैं । पूंजीपति सदैव कारोबार के लाभ का अतिश्योक्तिपूर्ण अटकल लगाता है और कारोबारी आदमी लाभ की आशा के साथ हानि की आशंका को भी सामने रखता है । इस आधार पर दोनों के बीच सहयोग के

स्थान पर एक सतत् संघर्ष चलता रहता है । जब कारोबारी आदमी लाभ की आशा होने पर पूंजी लगाना चाहता है तो पूंजीपति अपनी पूंजी का मूल्य बढ़ाना शुरू कर देता है यहां तक कि इतना बढ़ जाता है कि इतने ब्याज़-दर पर रुपया लेकर काम में लगाना किसी तरह लाभप्रद नहीं रहता ।

इस प्रकार अंतत: रुपये का काम में लगना बन्द हो जाता है और आर्थिक प्रगति की रफ़्तार एकाएक रुक जाती है । फिर जब बाज़ार में मंदी का सख़्त फंदा पूरे व्यापारिक संसार पर पड़ जाता है और पूंजीपति देखता है कि उसकी अपनी तबाही निकट आ गयी है तो वह ब्याज-दर को इस हद तक गिरा देता है कि कारोबारी आदमियों को उस दर पर रुपया लेकर लगाने में लाभ प्राप्त होने की आशा हो जाती है और कला-कौशल शिल्प व व्यापार के बाज़ार में फिर पूंजी आनी शुरू हो जाती है ।

इससे स्पष्ट है कि अगर उचित शर्तों पर पूंजी और कारोबार के बीच भागीदारी का सहयोग होता तो एक संतुलित तरीक़े से संसार की अर्थव्यवस्था चल सकती थी । लेकिन जब क़ानून ने पूंजीपति के लिए ब्याज पर रुपया चलाने का रास्ता खोल दिया तो पूंजीऔर कारोबार के आपसी संबंधों में सट्टबाज़ी और जुआड़ीपन की रूह प्रविष्ट कर गयी और ब्याज-दर की कमोबेशी ऐसे जुएबाज़ी के तरीक़े पर होने लगी जिनकी वजह से पूरी दुनिया की आर्थिक ज़िन्दगी एक स्थायी संकट में फंसी रहती है ।

ब्याज केवल यही नहीं करता कि पूंजी जमा कराता और उसे कारोबार की तरफ़ खींचकर लाता है बल्कि वही उसके ऐसे इस्तेमाल को रोकता भी है जो फ़ायदा नहीं पहुंचाते । और ब्याज-दर वह चाबी है जो अच्छे ढंग से आप ही आप इस तथ्य का प्रबंध करती रहती है कि पूंजी कारोबार की विभिन्न संभव योजनाओं में से उन योजनाओं की तरफ़ जाए जो उनमें सर्वाधिक लाभप्रद हों ।

दूसरा गिरोह ब्याज-दर की व्याख्या कुछ इस तरह करता है : जब पूंजीपति रुपये को स्वयं अपने लिए इस्तेमाल में लाना अधिक पसन्द करता है तो वह ब्याज-दर बढ़ा देता है, और जब उसकी यह इच्छा कम हो जाती है तो ब्याज-दर भी घट जाती है । अब रहा यह प्रश्न कि पूंजीपति अपने पास नक़द रुपया रखने को क्यों प्राथमिकता देता है ? तो इसका उत्तर वे यह देते हैं कि इसके अनेक कारण हैं । कुछ न कुछ रुपया अपना निजी या कारोबारी ज़रूरतों के लिए रखना आवश्यक है और कुछ न कुछ आकस्मिक और अप्रत्याशित ज़रूरतों के लिए भी सुरक्षित रखना पड़ता है । जैसे : किसी निजी मामले में कोई असाधारण ख़र्च या किसी अच्छे लेन-देन का अवसर अचानक पैदा हो जाना । इन दो कारणों के अतिरिक्त तीसरा कारण जो कि अधिक महत्वपूर्ण है, यह है कि पूंजीपति यह पसन्द करता है कि भविष्य में किसी समय क़ीमतें गिरने या ब्याज-दर चढ़ने की सूरत में फ़ायदा उठाने के लिए उसके पास काफ़ी नक़द रुपया रहे । अब प्रश्न यह उठता है कि इन कारणों के आधार पर रुपये को अपने इस्तेमाल में लाने के लिए रखने की जो इच्छा पूंजीपति के मन में पैदा होती है, क्या वह घटती-बढ़ती है कि उसका प्रभाव ब्याज दर के उतार-चढ़ाव में प्रकट होता है ? इसके जवाब में वे कहते हैं कि हां, विभिन्न व्यक्तिगत, सामूहिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों से कुछ यह मांग बढ़ जाती है कि इसलिए पूंजीपति ब्याज-दर बढ़ा देता है और कारोबार की तरफ़ पूंजी लगना कम हो जाता है और कभी इस मांग में कमी आ जाती है इसलिए पूंजीपति ब्याज-दर घटा देता है और इसके घटने के कारण लोग व्यापार और उद्योग धंधों में लगाने के लिए अधिक से अधिक ऋण लेने लगते हैं ।

इस मनोरम व्याख्या की पृष्ठभूमि पर तनिक दृष्टिगत करके तो देखिए कि इसके पीछे क्या चीज़ छिपी हुई है । जहां तक घरेलू ज़रूरतों या निजी कारोबार की ज़रूरतों का संबंध है, उनके आधार पर साधारण और असाधारण सब प्रकार की परिस्थितियों में पूंजीपति की यह इच्छा कि वह पूंजी को अपने इस्तेमाल के लिए रोक रखे, अधिकाधिक उसकी पांच प्रतिशत पूंजी को प्रभावित करती है । इसलिए पहले दोनों कारणों को अनावश्यक महत्व देना उचित नहीं है । वह अपनी 95 प्रतिशत पूंजी को जिस आधार पर रोकता है और कभी बाज़ारू ऋण की तरह बहाता है, वह वस्तुत: तीसरा कारण है । और इसका विश्लेषण कीजिए तो उसके अन्दर से अस्ल सच्चाई यह सामने आएगी कि पूंजीपति हद दर्जा स्वार्थपरक

नीयत के साथ संसार के और खुद अपने देश और क़ौम के हालात को देखता रहता है । इन हालात में कभी वह कुछ सीमित आसार देखता है और इनके आधार पर चाहता है कि उसके पास वह हथियार हर समय मौजूद रहे जिसके द्वारा वह समाज की कठिनाइयों, आपदाओं और मुसीबतों का नाजायज़ फ़ायदा उठा सके और उसकी परेशानियों को बढ़ाकर के अपनी खुशहाली बढ़ा सके । इसलिए वह सट्टेबाज़ी के लिए पूंजी को अपने लिए रोक लेता है, ब्याज-दर बढ़ा देता है, व्यापार और उद्योग धंधों की ओर पूंजी की बहाव अचानक बन्द कर देता है, और समाज के लिए उस बड़ी विपत्ति का द्वार खोल देता है जिसका नाम मंदी है । फिर जब वह देखता है कि इस रास्ते से जो कुछ हरामख़ोरी वह कर सकता था कर चुका, आगे और अधिक फ़ायदे की कोई संभावना नहीं है बल्कि नुक़सान के कगार पर आने वाला है, तो "पूंजी को अपने इस्तेमाल के लिए रोक रखने की उसकी इच्छा" कम हो जाती है और वह कम ब्याज़-दर का लालच देकर कारोबारी लोगों को सार्वजनिक सूचना देने लगता है कि आओ, मेरे पास बहुत-सा रुपया पड़ा है जो तुम्हारे इस्तेमाल के लिए है ।



ब्याज-दर की बस यही दो व्याख्याएं वर्तमान काल के अर्थशास्त्रियों ने की है और अपनी-अपनी जगह दोनों ही सही हैं । मगर प्रश्न यह है कि इससे आख़िर एक 'उचित' और 'स्वाभाविक' दर किस प्रकार निश्चित होती या हो सकती है ? इसका इनमें से भले ही जो कारण हो । इसके लिए या तो हमें बुद्धि और उपयुक्तता और प्रकृति के भाव बदलने पड़ेंगे या फिर यह मानना पड़ेगा कि सूदख़ोरी जितनी अनुचित चीज़ है, उसकी दर भी उतनी ही अनुचित आधारों पर निर्धारित होती और घटती-बढ़ती है ।

इसके बाद ब्याज के अभिवक्ता यह बहस छेड़ देते हैं कि ब्याज एक आर्थिक आवश्यकता है और कुछ फ़ायदे ऐसे हैं जो उसके बिना प्राप्त नहीं हो सकते । इस दावे की पुष्टि के लिए जो तर्क और दलीलें वे पेश करते हैं उनका सार यह है–

1. मानवीय अर्थव्यवस्था का सारा कारोबार पूंजी के संग्रहण और जमाव पर निर्भर है और पूंजी का जमाव इसके बिना संभव नहीं कि लोग अपनी ज़रूरतों और मांगों पर पाबन्दी लगाएं और अपनी सारी आय को अपने पर ही व्यय न कर डालें बल्कि कुछ न कुछ जमा भी करते रहा करें । इसी सूरत से पूंजी इकट्ठी की जा सकती है । लेकिन आख़िर एक आदमी क्यों अपनी आवश्यकताओं को रोकने और मितव्ययता करने पर तैयार हो, मगर उसे इस आत्मानुशासन और इस त्याग का कोई फ़ायदा न हासिल हो । ब्याज़ ही तो वह फ़ायदा है जिसकी आशा लोगों को रुपया बचाने पर उभारती है । आप उसे हराम ठहरा देंगे तो सिरे से अतिरिक्त आय को संचित करने का सिलसिला ही बन्द हो जाएगा जो पूंजी की गतिशीलता का मूल माध्यम है ।

2. आर्थिक कारोबार की तरफ़ पूंजी के बहाव का सरलतम तरीक़ा यह है कि लोगों के लिए अपने संचित धन को ब्याज पर चलाने का द्वार खुला रहे । इस प्रकार ब्याज ही का लालच इनसे जमा कराता है । फिर ब्याज ही का लालच इनको इस बात पर भी उभारता रहता है कि अपनी जमा की हुई रक़मों को बेकार न डाल रखें बल्कि कारोबारी लोगों को दे दें और एक निर्धारित दर के अनुसार ब्याज लेते रहें । इस द्वार को बन्द करने का अर्थ यह है कि न केवल रुपया जमा करने का एक महत्वपूर्ण प्रेरक लुप्त हो जाए बल्कि जो थोड़ी-बहुत पूंजी जमा हो वह भी कारोबार में लगने के लिए न मिल सके ।

3. ब्याज केवल यही नहीं करता कि पूंजी जमा कराता और उसे कारोबार की तरफ़ खींचकर लाता है बल्कि वही उसके ऐसे इस्तेमाल को रोकता भी है जो फ़ायदा नहीं पहुंचाते । और ब्याज-दर वह चीज़ है जो अच्छे ढंग से आप ही आप इस तथ्य का प्रबंध करती रहती है कि पूंजी कारोबार की विभिन्न संभव योजनाओं में से उन योजनाओं की तरफ़ जाए जो उनमें सर्वाधिक लाभप्रद हों । इसके अतिरिक्त कोई ऐसा उपाय समझ में नहीं आता जो विभिन्न व्यावहारिक योजनाओं में से लाभ को हानि से और अधिक लाभ को कम लाभ से पृथक करे और लाभ की ओर पूंजी का रुख़ फेरता रहे । आप ब्याज को उड़ा देंगे तो इसका नतीजा यह होगा कि सर्वप्रथम तो लोग बड़ी बेपरवाही से पूंजी इस्तेमाल करने लगेंगे और फिर लाभ-हानि का बिना लिहाज़ किये हर तरह के उल्टे-सीधे कामों में इसे लगाना शुरू कर देंगे ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)

● डॉ० मुहम्मद अहमद

क्या आपने कभी सोचा कि इन्सानी ज़िन्दगी का अस्ल मक़सद क्या है ? इसकी वास्तविक मांग क्या है ? इसको सजाने-संवारने और कामयाब बनाने की तदबीरें क्या हैं ? वे कौन-सी चीज़ें हैं जिन्हें अपनाने से ज़िन्दगी में बहार आ सकती है ? यह खुली हुई बात है कि ईश्वर ने दुनिया बनायी और इसमें इन्सान को सभी जीवधारियों से श्रेष्ठ बनाया । इन्सानों पर ईश्वर का यह बड़ा एहसान है कि उसने इन्सानों को दूसरे जीवों के मुक़ाबले में विशिष्ट शक्तियां और योग्यताएं दीं । उसने अक़्ल देने के साथ सोचने-समझने और फ़ैसला करने की शक्ति दी । कर्म और इरादे का इख़्तियार दिया और इस बात की आज़ादी में उसकी परीक्षा भी रख दी कि इन्सान चाहे तो अच्छे काम करके ईश्वर की खुशनूदी और प्रसन्नता प्राप्त कर ले और चाहे तो बुरे कर्म करके ईश्वर की नाराज़ी और प्रकोप का भगीदार बन जाए ।

इन्सान की सबसे बड़ी अक़्लमंदी यह है कि वह ईश्वर की बतायी हुई राह पर चले और उसकी प्रसन्नता प्राप्त करे । ईश्वर बड़ा दयालु है । उसने हमारी ज़िन्दगी के लिए सैकड़ों सामान पैदा किए हैं । धरती और आकाश बनाये, सूरज, चांद और सितारों की रचना की, हवा, पानी आदि का प्रबंध किया, खाने-पीने की बहुत-सी चीज़ें बनायीं । उसने इन सबसे बढ़कर उपकार यह किया कि इन्सानों की रहनुमाई और उन्हें प्रकाशमान सीधा मार्ग दिखाने के लिए अपने नबियों, रसूलों और पैग़म्बरों को भेजने का सिलसिला शुरू किया, जो अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर समाप्त हो गया, क्योंकि किसी और ईशदूत के आने की ज़रूरत बाक़ी न रही ।

अल्लाह ने इन्सानों को उनकी ज़िन्दगी का अस्ल मक़सद बताने, उसे सजाने-संवारने और कामयाब बनाने के लिए जिन नबियों, रसूलों और पैग़म्बरों को भेजा, वे सभी नेक और अच्छे इन्सान थे । सभी ने इन्सानों को इस्लाम की शिक्षा दी । इन्सानों को अल्लाह की मर्ज़ी बतायी । सभी ने उपदेश दिया कि अल्लाह एक है । वही तुम्हारा और सारी दुनिया का उपास्य है । उसी की पूजा, उपासना और इबादत करो । उसी के आगे सिर झुकाओ, उसी से सहायता की प्रार्थना करो और उसी की आज्ञा का पालन करते हुए नेकी और भलाई के साथ ज़िन्दगी गुज़ारो । यदि तुम ऐसा करोगे तो इसका बेहतरीन बदला मिलेगा और जन्नत (स्वर्ग) नसीब होगी, लेकिन यदि तुमने ऐसा न किया और इरादे व

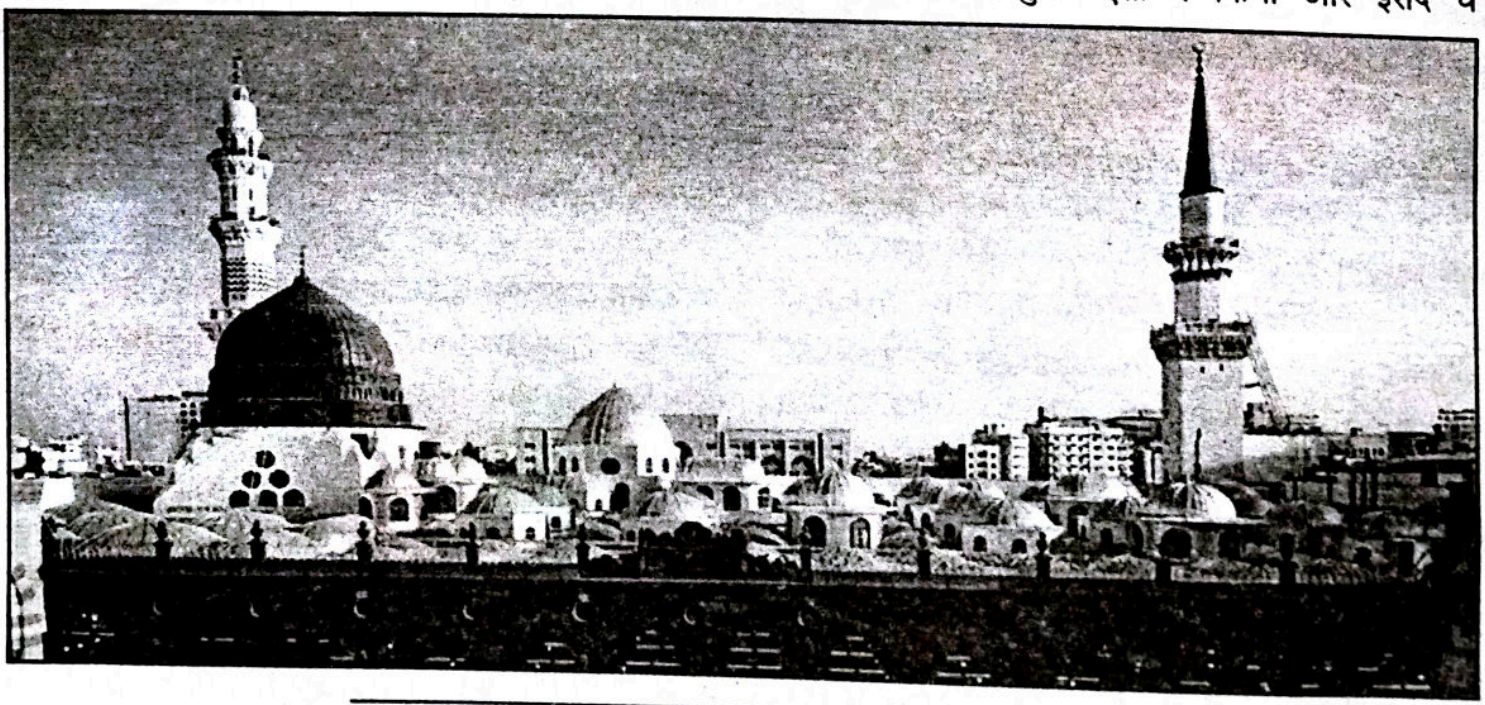

एक संक्षिप्त परिचय

अख़्तियार की अल्लाह द्वारा प्रदत्त आज़ादी का दुरुपयोग किया और उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो कड़ी सज़ा मिलेगी और जहन्न' (नरक) के पात्र ठहरोगे । लोग समय गुज़रने के साथ ही इन शिक्षाओं को भुलाते रहे और उनमें नैतिकता और धारणा संबंधी बुराइयां पैदा होती रहीं । अत्यंत कृपाशील और दयावान अल्लाह ने इन्सानों की बदहाली को दूर करने और उनके सुधार व मार्गदर्शन के लिए दुनिया के हर हिस्से में अपने नबी, रसूल और पैग़म्बर भेजे, जिन्होंने लोगों को अल्लाह की मर्ज़ी पर चलकर ज़िन्दगी बिताने का तरीक़ा बताया ।

इन्सानी सभ्यता की तरक़्क़ी के साथ-साथ जन-सुविधाओं का भी विकास हुआ । परिवहन, आवागमन के रास्ते बने, यातायात के साधन बढ़े । दुनिया की विभिन्न क़ौमों और विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले इन्सानों के बीच संपर्क बढ़ा । जल मार्ग खोजे गये और व्यापार के साथ ही आचार-विचार का आदान-प्रदान होने लगा । अब वह समय आ गया कि यदि सारी दुनिया के लिए ईश्वरीय जीवन-व्यवस्था भेजी जाए, तो वह दुनिया के लिए काफ़ी हो जाए और सारी दुनिया के लोगों को संबोधित करके दो टूक अंदाज़ में यह बता दिया जाए कि इन्सानों की ज़िन्दगी का अस्ल मक़सद क्या है ? उनका सहज-स्वाभाविक धर्म कौन-सा रहा है और है ? अल्लाह की मर्ज़ी क्या है ? इन्सान को पैदा करने का मक़सद क्या है ? इन्सान कैसे अपने पालनहार की प्रसन्नता और निकटता प्राप्त कर सकता है ? आदि इसके लिए सर्वशक्तिमान अल्लाह ने अपने एक सबसे अच्छे बन्दे हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को अरब प्रायद्वीप में भेजा और आप (सल्ल०) पर नुबूवत (ईशदूतत्व) के सिलसिले को ख़त्म कर दिया । इसमें ज़बरदस्त हिकमत मालूम होती है । अरब में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को भेजे जाने की एक वजह यह भी थी कि अरब दुनिया में ऐसी जगह पर है, जहां से एशिया, यूरोप और अफ़्रीक़ा सब निकट हैं । अरब इन सबके बीच में स्थित है । यहां से पूरी दुनिया को संबोधित करने की आसानी अच्छी तरह समझी जा सकती है । अल्लाह ने हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को इस्लाम की पूरी शिक्षा और जीवन-विधान देकर इसलिए भेजा कि अब रहती दुनिया तक अल्लाह का भेजा हुआ उसका एकमात्र प्रिय धर्म–इस्लाम दुनिया के सभी इन्सानों को ज़िन्दगी का सीधा मार्ग दिखाता रहे ।

इन्सानों को जो मौलिक शिक्षा हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने दी, वही पहले के नबियों की भी शिक्षा थी । आप (सल्ल०) ने बताया–लोगो ! तुम्हारा अस्ली मालिक वही है जिसने तुमको पैदा किया । उसकी ही बन्दगी करो । वह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं और उसके जैसा कोई नहीं । अल्लाह को हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है । तुम उसी की आज्ञा का पालन करो । उससे बड़ा और महान कोई नहीं । मैं भी उसी का बन्दा हूं । उसके हुक्मों पर चलता हूं । अल्लाह ने मुझे अपना पैग़म्बर बनाया है । उसने वे सब बातें बता दीं है, जिनसे वह ख़ुश होता है और वे बातें भी बता दी हैं जो उसे पसंद नहीं । जो लोग मुझे अल्लाह का रसूल मानेंगे, उसकी भेजी हुई किताब ('क़ुरआन') को सच्चा जानेंगे और अल्लाह के उन आदेशों पर चलेंगे जो उसने भेजे हैं, वही कामयाब होंगे । दुनिया की ज़िन्दगी परीक्षा की ज़िन्दगी है । अस्ल ज़िन्दगी तो आख़िरत (परलोक) की ज़िन्दगी है । मरने के बाद एक दिन सारे इन्सान फिर ज़िन्दा किये जाएंगे । सब अल्लाह के सामने पेश होंगे । जो दुनिया की ज़िन्दगी में उसकी मर्ज़ी पर चला होगा, वह उस ज़िन्दगी में हमेशा सुख भोगेगा और जिसने उसके हुक्मों को न माना होगा, उसके लिए दुखद यातना है ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अल्लाह के हुक्मों को ठीक-ठीक इन्सानों तक पहुंचाया और स्वयं उन पर चलकर दिखा दिया । आप (सल्ल०) के पवित्र जीवन और कार्यों का इन्सानों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा । जब आपका दुनिया में आगमन हुआ, तो सारी दुनिया पर अज्ञानता और अंधविश्वास का अंधकार छाया हुआ था । लोग अपने वास्तविक ईश्वर को भूल गये थे और अनेक प्रकार के उपास्य बना डाले थे । इन्सानी सभ्यता विभिन्न कुसंस्कारों

में फंसी सिसक रही थी । आप (सल्ल०) के अनुपम व्यक्तित्व का यह कारनामा भी है कि इन्सान के व्यक्तित्व और सामूहिक कुसंस्कारों-कुप्रवृत्तियों का ख़ात्मा हो गया । इन्सान की बिगड़ी प्रकृति का पूरी तरह सुधार हुआ और इन्सानी समाज में नयी क्रान्ति और चेतना आ गयी । मस्जिद से बाज़ार, स्कूल से अदालत और घर से सार्वजनिक स्थल– सब जगह बदलाव दिखायी पड़ने लगा और इन्सान की चहुंमुखी तरक़्क़ी एवं नैतिकता, न्याय और सद्गुणों पर आधारित ज़िन्दगी की आधारशिला रखी गयी । आप (सल्ल०) और आपके बाद के चारों आदरणीय ख़लीफ़ा के काल में ऐसा ही आदर्श समाज वजूद में आया था और ऐसा हर काल में संभव है, आज भी यदि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षाओं और आपके बताये हुए तरीक़े को ठीक-ठीक अमल में लाया जाए, तो यह दुनिया अम्न, शांति और सलामती का गहवारा बन सकती है एवं इन्सान लोक-प्रलोक की सफलता प्राप्त कर सकता है । इस्लाम के द्वारा एक ऐसा स्वस्थ और मिसाली समाज वजूद में आ जाता है, जो जुल्म-ज़्यादती, अन्याय, ऊंच-नीच, भेद-भाव, छुतछात और शोषण आदि बुराइयों से मुक्त रहता है । शर्त यह है कि आप (सल्ल०) की शिक्षाओं और आपके तरीक़े को भली-भांति अपनाया जाए ।

अल्लाह के आख़िरी पैग़म्बर और महानतम व्यक्तित्व हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का इन्सानी सभ्यता पर एक बड़ा उपकार यह भी है कि आपने इन्सानों के सभी रिश्तों-नातों को मज़बूत बुनियादों पर खड़ा किया । एक-दूसरे की ज़िम्मेदारियां स्पष्ट कीं और सबके अधिकार और कर्तव्य निश्चित किये । यही वजह है कि नबी (सल्ल०) ने जिस इस्लामी राज्य का गठन किया, उसमें कोई वर्ग-संघर्ष और टकराव न था । उसमें धनवान, निर्धन, शिक्षित, अशिक्षित सभी भाई-भाई बन गये । उसमें अपराध न के बराबर थे । लोग एक-दूसरे पर जुल्म करने वाले, सरकारी माल और ज़िम्मेदारियों के ख़ियानत करने वाले और रिश्वतें समेटन वाले न थे । हर एक-दूसरे के काम आता था । यह बिल्कुल एक नयी दुनिया की तामीर की मुहिम थी । नबी (सल्ल०) ने 23 वर्ष की अपनी पैग़म्बराना ज़िन्दगी में लाखों इन्सानों की ज़िन्दगियां बदल दीं । उन्हें विशुद्ध एकेश्वरवादी बनाया और उनमें अल्लाह के सिवा दूसरों की बन्दगी कदापि न करने की सुदृढ़ धारणा विकसित की । आप (सल्ल०) ने उनको इकट्ठा करके एक नयी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था बनायी । आपने इस व्यवस्था को अमल में लाकर सारी दुनिया को दिखा दिया कि आपके द्वारा पेश किये गये उसूलों के आधार पर कैसा समाज और जीवन बनता है और दूसरी जीवन प्रणालियों के मुक़ाबले में वह कितना पवित्र, शुद्ध और कल्याणकारी है । इस महान कारनामे के आधार पर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को 'सरवरे-आलम' या 'विश्वनेता' कहते हैं । आपका यह कार्य किसी विशेष जाति या क़ौम के लिए न था, बल्कि सारी इन्सानी बिरादरी के लिए था । यह इन्सानियत की संयुक्त धरोहर है, जिस पर किसी का अधिकार किसी से कम या अधिक नहीं है । जिसकी भी इच्छा हो, इससे लाभ उठा सकता है, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभ उठाये । अल्लाह की किताब कुरआन में है– "ऐ नबी ! हमने तो तुमको दुनिया वालों के लिए रहमत (दयालुता) बनाकर भेजा है ।" (कुरआन, 21:107)

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का संक्षिप्त जीवन परिचय

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का पवित्र जीवन पूरी तरह इतिहास के प्रकाश में है । आप (सल्ल०) की शिक्षा और जीवन के बारे में हम जो कुछ भी जानना चाहें जान सकते हैं । आपका व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक जीवन प्रकाश में है । आपकी पवित्र जीवनी का जो भी खुले मन से अध्ययन करेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि आप सारी इन्सानियत के हितैषी, उपकारक, उद्धारक और पथ-प्रदर्शक एवं आदर्श हैं । आपकी शिक्षाओं का अनुसरण करके प्रत्येक व्यक्ति अपनी ज़िन्दगी सुधार सकता है ।

अब आइए हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के पवित्र जीवन पर, एक संक्षिप्त दृष्टि डाल लें, ताकि सामान्य जन उस रिश्ते और मधुर संबंध को भलीभांति जान लें जो उनके और आप (सल्ल०) के बीच पाया जाता है । आप (सल्ल०) का जन्म अरब के मशहूर शहर मक्का में 12 रबीउल अव्वल, सोमवार को सन 571 ई० में प्रतिष्ठित कुरैश वंश में हुआ था । जन्म से पहले ही आपके पिता अब्दुल्लाह की मृत्यु हो

चुकी थी । शुरू में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पाला, फिर उनके मरने के बाद चचा अबू तालिब ने पालन-पोषण किया । अभी आप छह साल के थे कि आपकी मां का भी देहान्त हो गया । बचपन ही से आपके स्वभाव में ऐसी नरमी, आकर्षण और विनम्रता थी कि परिवार और शहर के लोग आपका आदर करते थे । आपकी सच्चाई और नेकी की चारों तरफ़ चर्चा होने लगी ।

क़ुरैश के लोगों का पेशा व्यापार था । मुहम्मद (सल्ल०) के चचा अबू तालिब भी व्यापार करते थे । एक बार 12 वर्ष की उम्र में आप (सल्ल०) चचा के साथ एक तिजारती सफ़र पर शाम (सीरिया) गये । जवान हुए तो कारोबार के लिए दूसरे व्यापारियों का माल लेकर स्वयं शाम जाने लगे । आप लेन-देन और मामलात में इतने सच्चे और खरे थे कि लोग आपको 'सादिक़' (सच्चा) और 'अमीन' (अमानतदार(की उपाधि के साथ पुकारा करते थे । आपकी शोहरत सुनकर हज़रत ख़दीजा नामक एक धनवान विधवा ने भी आपको व्यापारिक सामान देकर सफ़र पर भेजा । वे आपके काम, सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुईं और बड़े-बड़े सरदारों के पैग़ाम को नज़रअंदाज़ करते हुए आपसे विवाह के लिए अपनी एक सहेली के द्वारा आपके पास प्रस्ताव भेजा, जिसे आपने चचा की अनुमति से स्वीकार करके उनसे विवाह कर लिया । उस समय हज़रत ख़दीजा की उम्र 40 वर्ष की थी और आप (सल्ल०) 25 वर्ष के थे । आप (सल्ल०) उस समय की सामाजिक कुरीतियों और लोगों की समस्याओं से बहुत दुखी थे । आप मक्का से लगभग 6 मील दूरी पर स्थित 'हिरा' नामक गुफा में जाकर अल्लाह को याद करते और लोगों को संकट से उबारने के लिए उससे दुआएं करते । आपकी उम्र चालीस वर्ष की थी, जब अल्लाह ने आपको अपना नबी (रसूल, पैग़म्बर) बनाया । एक दिन गुफा में आप पर अल्लाह की ओर से वह्य (प्रकाशना) आयी और भटकी हुई इन्सानियत को सीधा मार्ग दिखाने और ईश्वरीय सन्देश पहुंचाने का काम आपके ज़िम्मे कर दिया गया । अल्लाह ने मानव-कल्याण के लिए आप पर दिव्य ग्रंथ क़ुरआन उतारने का सिलसिला शुरू किया, जो 23 वर्षों में पूरा हुआ । अल्लाह की ओर से 'वह्य' आने और नबी बनाये जाने के साथ ही हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के जीवन का धर्म-प्रचार काल शुरू होता है । अल्लाह के आदेशानुसार आप इन्सानों के मार्गदर्शन और रहनुमाई का काम करते रहे । समाज के स्वार्थी और सत्तावान लोगों ने आपका ज़बरदस्त विरोध किया । सज्जन और उपेक्षित लोगों ने आपकी शिक्षा को अपना लिया और मुसलमान बन गये । आप और आपके साथियों के साथ मक्का के दुष्ट लोगों ने तरह-तरह की ज़ुल्म-ज़्यातियां कीं ।

इन सबके बावजूद अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने सत्य धर्म की दावत और प्रचार-प्रसार का काम निर्भीकता के साथ जारी रखा । आप गली-गली जाकर एक-एक व्यक्ति तक अल्लाह का सन्देश पहुंचाते रहे । आप लोगों को अल्लाह की इबादत की ओर बुलाते, उसके एक होने की शिक्षा देते, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को साझी ठहराने से रोकते, मूर्तियों, पत्थरों, पेड़ों और जिन्न की पूजा से मना करते, बेटियों को ज़िन्दा दफ़्न करने से रोकते, व्यभिचार, शराब और जुए की बुराइयां स्पष्ट करते, मन को बुरे विचारों से, ज़ुबान को गन्दी बातों से, जिस्म और कपड़े को गन्दगी से पाक रखने की नसीहत करते । आप (सल्ल०) उपदेश देते कि केवल अल्लाह ही सारी सृष्टि और दुनिया का पैदा करने वाला है । इन्सान, सूरज चांद, सितारे सब उसी के पैदा किये हुए हैं और सभी उसके मुहताज हैं । अल्लाह ही प्रार्थनाएं सुननेवाला, इच्छाएं और आरज़ुएं पूरी करने वाला है । मरने के बाद हर व्यक्ति को उसके सामने अपनी ज़िन्दगी का हिसाब पेश करना है और कर्मों के अनुसार अल्लाह पुरस्कार और दंड देगा यानी जन्नत और जहन्नम ।

मक्का के दुष्टों ने आपको और आपके साथियों को सताना और यातनाएं देना जारी रखा । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और आपके परिवार वाले एक घाटी में जा ठहरे और तीन साल तक बड़ी कठिनाइयों का सामना किया । लोगों को अक्सर पेड़ों के पत्ते खा-खाकर समय बिताना पड़ता था,.यहां तक कि सूखा चमड़ा उबालकर खाने की नौबत आ गयी । मक्का में इस्लाम के प्रचार-प्रसार में ज़बरदस्त रुकावटें खड़ी करने की विरोधियों की कोशिशों के बीच हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने मक्का से बाहर इस्लाम का सन्देश पहुंचाने की बात सोची । आप ताइफ़ नगर गये, जहां के लोगों ने आपके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया ।

उत्पीड़न का सिलसिला जब बहुत अधिक तेज़ हो गया, तो आपको और आपके साथियों को वतन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा । आप और आपके साथी मदीना चले गये । मक्का के विरोधियों ने वहां भी हमला किया । कई लड़ाइयां हुईं । फिर भी अल्लाह के रसूल (सल्ल०) का उनके साथ बड़ा ही उदारतापूर्ण व्यवहार रहा । जब मक्का में सूखा और अकाल पड़ा, तो आपने मदीना से राहत सामग्री भिजवाई । इस्लामी संदेश लोगों तक पहुंचता रहा । और इस्लाम अरब में हर तरफ़ फैल गया । लोग सत्य-मार्ग को अपनाकर अपनी ज़िन्दगियां सुधारते-संवारते रहे ।

मक्का एकेश्वरवारद का प्राचीन केन्द्र था । यहीं से हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को वतन छोड़कर मदीना जाना पड़ा था । अल्लाह की मेहरबानी से इस्लाम बराबर फैलता रहा और आख़िरकार आपको मक्का पर विजय प्राप्त हो गयी । मुसलमानों की सेना जब मक्का के क़रीब पहुंची तो कुरैश के एक सरदार अबू सुफ़यान, जो छिपकर टोह ले रहे थे, गिरफ़्तार कर लिये गये । उनको हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के सामने पेश किया गया, लेकिन आपने इस सख़्त दुश्मन के साथ अत्यंत दयापूर्ण व्यवहार किया । अबू सुफ़यान इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए और मुसलमान होकर मुसलमानों की सेना में शामिल हो गये । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की मक्का विजय पर मक्केवाले बहुत आशंकित व भयभीत हुए । उन्होंने मुसलमानों को ख़ूब सताया था और उन पर तरह-तरह से जुल्म ढाये गये थे । लेकिन आप (सल्ल०) ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, "आज तुम्हारी कोई पकड़ नहीं । जाओ तुम सब आज़ाद हो ।" आप (सल्ल०) प्रेम, दया और करुणा के सागर थे । आपको अल्लाह ने 'रहमतुल्लिल आलमीन' (सारे संसार के लिए रहमत) बनाकर भेजा है । वास्तव में, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति न गुज़रा होगा, जिसने एक-दो नहीं, प्राय: अपने सारे दुश्मनों और विरोधियों को माफ़ कर दिया और उन्हें सम्मान दिया । इस प्रकार इन्सानियत का उच्चतम आदर्श पेश किया ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के जीवन में ही अरब के एक बड़े क्षेत्र पर सत्य का राज्य क़ायम हो गया । राज्य में ग़रीबों, उपेक्षितों और पीड़ितों को पूरा सम्मान मिला । आपने कहा–"तुम अपने गुलामों को वैसा ही खाना खिलाओ जैसा तुम ख़ुद खाते हो, और वैसा ही कपड़ा पहनाओ जैसा तुम ख़ुद पहनते हो, क्योंकि वे सभी अल्लाह के बन्दे हैं । उनको कष्ट देना उचित नहीं ।" आपने कहा– "ऐ लोगो ! जान लो तुम्हारा रब एक है । तुम्हारा पिता (हज़रत आदम) एक है । किसी अरबी को किसी ग़ैर अरबी पर कोई प्राथमिकता नहीं, न किसी ग़ैर अरबी को किसी अरबी पर, न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर, प्राथमिकता अगर किसी को है तो सिर्फ़ तक़्वा और परहेज़गारी से है ।" अर्थात रंग, जाति, नस्ल, देश क्षेत्र किसी श्रेष्ठता का आधार नहीं है । आप (सल्ल०) ने फ़रमाया, "वह आदमी ईमान वाला नहीं है, जो ख़ुद तो पेट भरकर खाये और उसका पड़ोसी भूखा सोये ।"

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के आगमन से पहले औरतों के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया जाता था । उनका हर तरह शोषण किया जाता और उन्हें भोग-विलास की वस्तु समझा जाता था । आपने इस गन्दी मानसिकता को बदल दिया और औरतों को उनके स्वाभाविक अधिकार देकर समाज में उन्हें आदर-सम्मान प्रदान किया । आपने कहा–"मोमिनों में ईमान की दृष्टि से सबसे पूर्ण वह है, जो तुममें अख़्लाक़ की दृष्टि से सबसे अच्छा हो और तुममें सबसे अच्छा वह है जो अपनी औरतों के प्रति अच्छा हो ।" आपने कहा–"औरतों के मामले में अल्लाह से डरो । तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर अधिकार है ।" इसी तरह लड़कियों के प्रति भेदभाव और अत्याचारपूर्ण रवैये को सदा के लिए ख़त्म करते हुए आपने यह भी कहा कि जो आदमी अपनी बेटियों की अच्छी तरह परवरिश करेगा और बेटे व बेटियों के प्रति भेदभाव नहीं करेगा, वह जन्नत में मेरे साथ रहेगा ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) बहादुर होने के साथ बहुत ही नरम दिल थे । आप कमज़ोर लोगों के साथ ही बेज़ुबान जानवरों तक के बारे में नरमी का हुक्म फ़रमाते थे । आप (सल्ल०) सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल सन् 11 हिजरी को ठीक दोहपर से कुछ पहले इस दुनिया से विदा हो गये । आप (सल्ल०) की जीवन व शिक्षा का सार और उद्देश्य यह है कि इन्सान अपने एकमात्र स्रष्टा और पालनहार के बताये हुए मार्ग पर चलकर ही ज़िन्दगी गुज़ारे ताकि वह इस लोक और परलोक में सफलता प्राप्त कर सके ।

पग-पग ये प्रेम पुष्प लुटाते हुए चलो

ईश्वर का नाम मन में बरसाते हुए चलो
भक्ति की भावना को जगाते हुए चलो ।

मानव से प्रेम करना ही मानव का धर्म है
हर धार्मिक विभेद मिटाते हुए चलो ।

सत्कर्म से विमुख है मानव समाज आज
तुम सत्य की पताका उड़ाते हुए चलो ।

इन्सानियत नहीं है जो तुम में से कुछ नहीं
यह बात हर मनुष्य को बताते हुए चलो ।

मानवता का है मार्ग जो दुर्गम तो क्या हुआ
जैसे भी हो क़दम को बढ़ाते हुए चलो ।

छाया हुआ है घोर अंधेरा अधर्म का
तुम धर्म-ज्योति परन्तु जलाते हुए चलो ।

मानव ये, अब वो पहला-सा मानव नहीं रहा
उसको वह पहला चित्र दिखाते हुए चलो ।

संमार्ग भूलकर जो भटकते हैं शून्य में
तुम उनको सत्य मार्ग बताते हुए चलो ।

सूखा पड़ा हुआ है जो ईमान का चमन
तुम उस चमन में फूल खिलाते हुए चलो ।

इन्सानियत का, प्रेम का संदेश सबको दो
भटके हुओं को राह दिखाते हुए चलो ।

रास्ते में थक के बैठ गये हैं जो पथ-भ्रष्ट
उनको भी साथ ले के चलाते हुए चलो ।

सेवा करो हर एक की निःस्वार्थ भाव से
मन से हरेक स्वार्थ मिटाते हुए चलो ।

ऊंचा उठो तो ऐसे कि जैसे गगन का चांद
कण-कण पर अपनी 'ज्योति' लुटाते हुए चलो ।

फाहा सहानुभूति का ज़ख़्मों पे रख के तुम
जो रो रहे हैं उनको हंसाते हुए चलो ।

जो क्रूर हैं कठोर हैं हिंसक पशु समान
उनको भी प्रेम पाठ पढ़ाते हुए चलो ।

रिश्वत हो बेईमानी हो या भ्रष्टाचार हो
इन सारे दुर्गुणों को मिटाते हुए चलो ।

यह सत्व है कि धर्म भिन्न हैं मानव तो एक हैं
मानव का मान जग में बढ़ाते हुए चलो ।

पतझड़ में भी वसंत का संदेश दो 'क़मर'
पग-पग पे प्रेम पुष्प लुटाते हुए चलो ।

● क़मर रामनगरी

हाय वह मैच

कई दिनों मुहल्ले के कुछ लड़के हर दिल अज़ीज़ मिर्ज़ा साहब को अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों से इसके लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे थे कि वह अपने मैदान में एक क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित कराएं और खुद उस मैच के अम्पायर भी बनें ताकि पूरी आज़ादी के साथ खेला जा सके और मेहमान टीम पर दबाव बनाया जा सके । क्योंकि एक कहावत भी तो मशहूर है जिसकी लाठी उसकी भैंस । पहल तो मिर्ज़ा साहब इन्कार करते रहे लेकिन जब लड़कों ने बहुत मजबूर किया तो आख़िरकार मिर्ज़ा साहब तैयार हो गये । लड़कों का इसरार कोई यूं ही तो था नहीं, इसमें भी एक राज़ छिपा था कि मैच करवाने में जो भी ख़र्चा था उसे मिर्ज़ा साहब को ही देना था । लड़कों ने ख़ूब सोच-समझकर मिर्ज़ा साहब को चुना था । क्योंकि वह खुद भी क्रिकेट के बड़े ही शौक़ीन थे और अपनी दिलचस्पी का प्रदर्शन करते थे ।



रिलाइंस कप के दौरान तो उन्होंने हद ही कर दी थी । घर में तो बेचारे टेलीविज़न के इर्द-गिर्द फटक भी न सकते थे । टेलीविज़न चालू करने की सख़्त मनाही थी । अगर वह चालू करते तो उन्हें ख़ूब अच्छी तरह मालूम था कि बेगम ज़रूर अपने मैके चली जाएंगी । और उनको मनाने के लिए दो माह की आवश्यकता पड़ती । इसलिए मिर्ज़ा साहब ने मुहल्ले के टेलीविज़न पर मुंह मारना शुरू कर दिया । बेगम ने मिर्ज़ा साहब को कुछ सामान ख़रीदने के लिए बाज़ार भेजा तो साहब बहादुर सड़क पर एक टेलीविज़न देखने को जो खड़े हुए तो समय का ध्यान ही नहीं रहा जब मैच ख़त्म हुआ तो उन्हें घर की याद आयी और वे सर पर पैर रखकर दौड़ पड़े । बेगम यूं ही जली-भुनी बैठी थी । मिर्ज़ा साहब को बेगम की डांट सुननी पड़ी लेकिन मिर्ज़ा साहब की सेहत पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा और वे खाने पर टूट पड़े ।

मिर्ज़ा साहब अम्पायर बनने की खुशी में फुले न समा रहे थे । लड़के आपस में बात कर रहे थे कि मिर्ज़ा साहब ने सारा ख़र्च उठाने का वादा कर लिया था । मिर्ज़ा साहब ने पांच सौ रुपये बल्ले, गेंद, विकेट, पैडद्व ग्लव्स वग़ैरह में ख़र्च कर दिये । लड़कों ने एक रुपया भी नहीं ख़र्च किया । फिर यह तय किया गया था कि जो टीम जीत जाएगी वह विरोधी टीम का सारा सामान अपने साथ ले जाएगी । दूसरे दिन मैच खेला जाना था । और सुबह दोनों टीमें क्रिकेट मैदान में पहुंच गयीं । टॉस हुआ और मिर्ज़ा साहब की टीम टॉस जीत गयी और पहले बल्लेबाज़ी करने का फ़ैसला किया ।

इससे पहले मिर्ज़ा साहब घर से छुप-छुपकर बाहर आ गये ताकि बेगम न पूछ बैठे क्यों जी आज सुबह-सुबह कहां चल दिये छैला बनकर । ये तो अच्छा हुआ कि मिर्ज़ा साहब की बेगम रसोई में नाश्ता बनाने में व्यस्त थीं । मिर्ज़ा साहब बेचारे भूखे प्यासे मैदान की तरफ़ अपनी लंबी शेरवानी पहने दौड़ पड़े । क्योंकि मिर्ज़ा साहब के पास कोई काला कोट ही नहीं था । जो वह उसे पहनकर अम्पायरिंग करते । उन्होंने शादी की शेरवानी पहनकर ही काम चलाया । और रात में बीवी से कह भी रहे थे । सुना बेगम कल सुबह मुझे एक मुशायरे में जाना है । ज़रा जल्दी नाश्ता तैयार कर देना । बेगम तपाक से बालीं अरे हिन्दुस्तान में सवेरे भला कहां मुशायरे होते हैं । लगता है यह बेरोज़गारों का मुशायरा है । बेगम की बातों से मिर्ज़ा

साहब का चेहरा पीला हो गया । ओर उन्होंने ख़ामोश रहना ही ज़रूरी समझा । क्योंकि वे जानते थे कि अगर ज़्यादा बात की तो वह फंस जाएंगे । और वह अपने बिस्तर में जा घुसे । अगर वह नाश्ते का इन्तिज़ार करते तो बेगम को ज़रूर शक हो जाता कि मैं किसी मुशायरे में नहीं बल्कि किसी मैच में अम्पायर बनने जा रहा हूं । ज़ाहिर-सी बात थी बीवी सारा घर अपने सिर पर उठाकर मुहल्ले के दस चक्कर लगाती और सुबह होते ही मौक़े की नज़ाकत को देखकर घर से फ़रार हो गये । और उन्होंने मैच के लिए जगह भी ऐसी रखी थी जहां बेगम की परछाई भी न पहुंच सके । मैच का आग़ाज़ मिर्ज़ा साहब ने चाय बिस्कुटों से किया । फिर मैच शुरू हुआ । मिर्ज़ा साहब की अम्पायरिंग के बावजूद स्थानीय टीम 25 ओवर में 150 रन ही बना सकी ।

ज़ुहर की नमाज़ के बाद खेल दोबारा शुरू हुआ । मेहमान टीम ने बैटिंग शुरू कर दी औ कुल दस ओवर में उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया । और जो कुछ भी बनाया वह सब चौके-छक्कों की मदद से बनाए गये थे । मिर्ज़ा साहब की अम्पायिरंग भी स्थानीय टीम को विजय दिलाने में कोई मुख्य रोल अदा न कर सकी और मेहमान टीम मैच जीत कर सारा सामान लेकर चली गयी ।

मिर्ज़ा साहब सिर पकड़े वहीं बैठे रह गये और लड़कों को कोसने लगे । कम्बख़्तो अल्लाह तुम्हारा बेड़ा ग़र्क़ करे मुझे कहीं का नहीं छोड़ा । ऐसी अम्पायरिंग पर भी तुम न जीत सके अरे अगर मैं ऐसी अम्पायरिंग काश रिलाइंस कप में करता तो कभी भी वो कप आस्ट्रेलिया जैसी मामूली टीम के पास न जाता । आज तुम लोगों ने मुझे बरबाद कर दिया ।

मिर्ज़ा साहब हारे हुए जुआरी की तरह घर पहुंचे पत्नी ने जब पति की ये हालत देखी तो बोलीं क्यों जी कहां से तशरीफ़ ला रहे हैं । लगता तो नहीं कि आप किसी मुशायरे में से आ रहे हैं । ऐसा लगता है किसी अखाड़े में कुश्ती लड़कर चले आ रहे हो । मिर्ज़ा साहब फ़ौरन जले हुए लहजे में बोले अरे बेगम देखो न कम्बख़्तों ने मुशायरा हाल के बजाय मैदान में टाट बिछाकर आयोजन किया था । अब तुम ही सोचो वहां धूल-मिट्टी के अलावा और क्या हो सकता था बेगम मुस्कुराती हुई अपने काम में व्यस्थ हो गयीं और मिर्ज़ा साहब दिल ही दिल में उन लड़कों को गालियां देने लगे, जिन्होंने एक अच्छा-ख़ासा मैच गंवा दिया ।

मुहम्मद क़य्यूम मेव (लेखक)
ए-4, अय्यूब मंज़िल, करीम नगर,
ज़िला : पी॰ओ॰ ताजगंज, आगरा (यू॰पी॰)

M/s. ABBAS SOAP FACTORY

77/2, Topsia Road (South)
KOLKATA - 700 046

अगर कोई अपने ब्रांड के नाम से माल बनवाना चाहते हैं तो भी राबिता क़ायम करें ।

PRODUCTS

- ✓ WASHING POWDER
- ✓ TOILET SOAP
- ✓ WASHING SOAP
- ✓ DETERGENT POWDER
- ✓ BATH SOAP

Contact For Business
For
Agency & Distributor Ship

M : 08100226137 (Mohd. Abbas)
M : 09831496237 (Mohd. Khalid)
M : 08981605834 (Mohd. Khalid)

बढ़ती असहिष्णुता, सिकुड़ता लोकतंत्र

■ एल॰ एस॰ हरदेनिया

पिछले कुछ दिनों में हमारे देश में ऐसी घटनाएं घटी हैं और केन्द्र और राज्यों ने ऐसे फ़ैसले किये गये हैं जिनसे हमारे प्रजातंत्रात्मक समाज की नींव कमज़ोर होना अवश्यंभावी है । इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्नाटक के एक महान क्रांतिकारी चिंतन की निर्मम हत्या है । दिनांक 30 अगस्त को प्रात: 8:30 बजे कर्नाटक के धारवाड़ नगर में प्रोफ़ेसर एम॰एम॰ कलबुर्गी की उन्हीं के निवास स्थान पर हत्या कर दी गयी । उस दिन सुबह-सुबह दो युवक आये । उन्होंने घर की घंटी बजायी, अपना परिचय छात्रों के रूप में दिया । प्रोफ़ेसर कलबुर्गी ने दरवाज़ा खोला । दरवाज़ा खुलते ही हत्यारों ने गोली चलायी और उनकी हत्या कर दी गयी ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों से कर्नाटक में साम्प्रदायिक शक्तियों ने अनेक घिनौनी करतूतें की हैं । इन शक्तियों का विश्व हिन्दू परिषद व बजरंग दल से सीधा संबंध है । एक सौ तीन पुस्तकों और 400 से ज़्यादा विचारोत्तेजक लेखों के सर्जक, साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त कन्नड़ साहित्यकार शिक्षाविद और समाज सेवी डॉ॰ एम॰एम॰ कलबुर्गी की धर्मान्ध साम्प्रायिक तत्ववादियों द्वारा नृशंस हत्या की देश के लेखकों, कलाकारों रंगकर्मियों, बुद्धिजीवियों ने तीव्र भर्त्सना की है । भोपाल में भी आयोजित एक सभा में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी । सभा में कहा गया कि यह दुर्भाग्यजनक है कि दो साल में तीन विचारकों की नृशंस हत्या की गयी । अंधविश्वास और अंधश्रद्धा विरोधी नरेन्द्र दाभोलकर की पुणे, तर्कशील शोधकर्ता और शिवाजी के जीवनी लेखक डॉ॰ पंसारे की कोल्हापुर और अब डॉ॰ कलबुर्गी की कर्नाटक में हत्या की गयी । इनमें से किसी के हत्यारे आधिकारिक तौर पर पकड़े नहीं गये हैं । ग़ौरतलब है कि ये हत्याएं भाजपा-शिवसेना शासित महाराष्ट्र और भाजपा के दक्षिण में प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में हुई है ।

धर्म के नाम पर स्वतंत्र चेता व्यक्तियों की हत्याएं की जा रही हैं । बंद दिमाग़ी के विरुद्ध उठने वाली आवाज़ें ख़ामोश की जा रही हैं । यह हमला केवल व्यक्तियों पर नहीं है, हमले की जड़ में विचार, स्वतंत्र विवेक और विचारधारा तो है ही, स्वतंत्रता, समता, न्याय, प्रगति समावेशी वैज्ञानिक चेतना वाले मूल्य भी हैं जो भारतीय संविधान की मूल प्रतिज्ञाओं में सन्निहित हैं । ये हमले लोकतंत्र की मूल आत्मा पर भी हैं । ये हमले उस मिथक को भी ध्वंस करते हैं जिसमें हम अपने को सहिष्णु समाज और देश कहते आये हैं । असहिष्णु हमलावरों के संगठन बनाए जा रहे हैं । ये वे हैं जो असहमति या मित्र दृष्टिकोण को नाक़ाबिले बर्दाश्त मानते हैं और तर्क से असहमति को या विचार को ख़ारिज करने की बजाए बंदूक़ से आवाज़ों को ख़ामोश कर रहे हैं । अफ़सोस है कि इन हत्यारी प्रवृत्तियों को केन्द्र के सत्तारूढ़ गठबंधन, भगवा राज्य सरकारों और कथित संघ परिवार के गठजोड़ का संरक्षण मिला हुआ है । संवैधानिक मूल्यों के इन हत्यारों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी तकलीफ़देह ही नहीं निंदनीय भी है ।

यह एक कटु सत्य है कि केन्द्र में भाजपा की सरकार के गठन के बाद देश में एक ऐसा वातावरण तैयार हो गया है जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव बोलने और लिखने की आज़ादी पर भी पड़ रहा है । न सिर्फ़ यह किसानों और मज़दूरों के वर्षों के संघर्ष के बाद हासिल किये गये अधिकारों को भी छीना जा रहा है । भूमि अधिग्रहण विधेयक के द्वारा केन्द्र सरकार ने किसानों के अधिकारों पर कुठाराघात करने का प्रयास किया था । प्रस्तावित विधेयक में यह प्रावधान किया गया था कि बिना सहमति प्राप्त किये सरकार, किसानों की ज़मीन अन्य उपयोग के लिए ले सकती है । चूंकि यह विधेयक संसद में पारित नहीं हो सकता था इसलिए बार-बार अध्यादेश से उसे क़ानून का रूप देने का प्रयास किया गया । किसानों के अधिकार छीनने वाले इस विधेयक का पूरे देश में जमकर विरोध हुआ ।

संसद के मानसून सत्र के बाद एक बार फिर से अध्यादेश के माध्यम से भूमि अधिग्रहण विधेयक को क़ानून

का रूप देने का प्रयास किया गया । परंतु पूरे देश में इस क़ानून के विरोध ने व्यापक रूप ले लिया । कांग्रेस के नेतृत्व में अनेक दलों और संगठनों ने इसका विरोध किया । नतीजे में केन्द्र सरकार ने फिर से अध्यादेश जारी करने का इरादा त्याग दिया । सच पूछा जाए तो यह देश के किसानों की महान विजय है ।

इस तरह मज़दूरों ने भी उनके अधिकारों पर हुए कुठाराघात का ज़ोरदार विरोध करना प्रारंभ किया । इस विरोध के चलते भारत बंद का आह्वान किया गया । पिछले दो सितम्बर को हुआ भारत बंद अद्‌भुत रूप से सफल रहा । बंद में सम्मिलित मज़दूर संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि मज़दूर विरोधी क़ानून को वापस नहीं लिया गया तो एक लंबी अवधि के विरोध के कार्यक्रम की रूपरेखा बनायी जाएगी । कुल मिलाकर केन्द्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद देश की जनता से वह सब कुछ छीने जाने का प्रयास किया जा रहा है जो उसने फ्रांस, रूस और अमेरिका की क्रांतिकारी से प्रेरणा पाकर हासिल किया था । केन्द्र की सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिनसे मीडिया के अधिकारों का भी हनन हो रहा है ।

केन्द्र सरकार की ओर से एक ऐसा आदेश जारी किया गया है कि जिसके चलते अब दिल्ली के मंत्रालयों में पत्रकारों के प्रवेश के अधिकार सीमित हो गये हैं अभी कुछ दिन पहले केन्द्र सरकार ने तीन इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स को चेतावनी दी और उनसे यह जानना चाहा कि उन्होंने क्यों कुछ विशेष समाचार प्रसारित किये । केन्द्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद देश में असहिष्णुता का वातावरण निर्मित हो रहा है ।

मध्य प्रदेश में एक ऐसा क़ानून बन गया है जिसके माध्यम से अब एक जनहित याचिका पेश करना कठिन हो जाएगा । यदि आप कोई जन याचिका पेश करते हैं तो अदालत महाधिवक्ता से पूछेगी कि क्या इस याचिका पर विचार किया जाए ? यदि महाधिवक्ता की राय विपरीत होती है तो उस याचिका पर विचार नहीं होगा । न सिर्फ़ यह बल्कि अदालत को यह भी अधिकार दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बार-बार याचिका पेश करता है तो उससे यह अधिकार सदा के लिए छीन लिया जाएगा । सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस क़ानून के माध्यम से राज्य की सरकार ने इस तरह के व्यक्तियों की अपील करने के अधिकार को भी छीन लिया है । महाराष्ट्र सरकार ने भी कुछ ऐसे क़दम उठाये हैं जिससे वहां के नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ा है । आज़ादी न सिर्फ़ आम नागरिकों की छीनी जा रही है बल्कि अभी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनसे केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकारों पर भी अंकुश लगाया गया है ।

संसदीय परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री को समान व्यक्तियों के बीच प्रथम माना जाता है । अर्थात मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य बराबर के अधिकार रखते हैं । प्रधानमंत्री सिर्फ़ मंत्रिपरिषद में प्रथम स्थान रखता है । अंग्रेज़ी में प्रधानमंत्री को 'फ़र्स्ट एमंग इक्वल' कहा जाता है । परंतु नरेन्द्र मोदी ऐसा नहीं सोचते हैं । अभी हाल में उन्होंने केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के मंत्रालय को जो सचिव दिया है उसे पदस्थ करने के पूर्व उन्होंने राजनाथ सिंह की राय को जाना उचित नहीं समझा । यहां तक कि जो अधिकारियों के नाम राजनाथ सिंह ने सुझाये उनमें से एक को भी उन्होंने गृह मंत्रालय का सचिव नहीं बनाया । इस तरह यदि केन्द्रीय मंत्रियों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा तो आम नागरिकों की क्या स्थिति होगी, यह कल्पना ही की जा सकती । यह आश्चर्य की बात है कि राजनाथ सिंह चुपचाप यह अपमान पचा गये ।

दोहे

देना मुझको वोट तुम, यही लगाते टेर,
फिर नेता जी जीत कर, लेते मुंह को फेर ।

मिली चुनावी जीत जब, गये वादे भूल,
जनता को चुभते रहे, इन वादों के शूल ।

अफ़सर-नेता अब सभी, मिलकर खेलें खेल,
चूसे ख़ून ग़रीब का, बनकर अम्बर बेल ।

आज देश में हो रहा, सचमुच बड़ा कमाल,
अब परतों में खुल रहा, भ्रष्टाचारी जाल ।

रोम-रोम में चुभ रही, महंगाई की कील,
चीज़ें सस्ती अब कहां, साथ ले गयी चील ।

रोहित यादव
मंडी अटेली, हरियाणा

कॉमन सेंस

बलराम बाबू की धनीराम भईया से घनिष्ठ शत्रुता थी । जी हां ! शत्रुता होने पर भी यह दोनों चौरसिया पान भंडार पर प्रतिदिन मिला करते थे । दोनों में प्रतिदिन सुबह-शाम, तरह-तरह के मुद्दों पर चर्चा होती थी, पर वह भी किसी दूसरे के नाम का सहारा लेकर, कोई किसी का नाम लेकर कुछ नहीं कहता था । बलराम बाबू स्वभाव के ज़िद्दी थे । इस कारण उनकी किसी के साथ बनती नहीं थी । बलराम बाबू अपने नाम को सार्थक करते हुए हर बात पर बहुत 'बल' देकर बोलते थे जो किसी को पसन्द नहीं था । बलराम बाबू का एकमात्र प्यारा साथी उनका कुत्ता ही था जो हमेशा उनके साथ रहता था । एकमात्र यह कुत्ता ही बलराम बाबू को झेल पाता था । अन्यथा किसी और में इतना साहस नहीं था । इन्हें लगता था कि जिस तरह वह कुत्ते को अपने आगे-पीछे नचा लेते हैं, उसी तरह लोगों को भी नचा सकते हैं । वे किसी की बात को ख़ास तवज्जो नहीं देते थे और हमेशा ईमानदार होने का ढोंग रचते थे ।

इनके स्वभाव के विपरीत धनीराम भईया थे जो नाम के अनुसार ही स्वभाव के भी धनी थे । समाज में भी उन्हें इज़्ज़त, सम्मान मिलता था । स्कूल में यह एक आदर्श शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं । रोज़ की तरह शाम को दोनों की मुलाक़ात चौरसिया पान भंडार पर हुई । उन्होंने सारे उद्योगपतियों और राजनेताओं को दर्जन भर गालियां दी उन्हें सड़क पर दौड़ाकर मारने तक को कहा । बहुत ही सरल और सहज स्वभाव होने के कारण धनीराम जी ने अपनी बात शांति भाव से रखी । धनीराम ने कहा बहुत हद तक यह बात सही है यह कहकर अन्ना के पक्ष में कहते हुए उन्होंने अपना मत भी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट किया । धनीराम जितने ऊपर से अच्छे थे उतने भीतर से भी ।

जो मन में आता था वही साफ़-साफ़ बोल देते थे इसी प्रकार भ्रष्टाचार जैसे विषय पर अपना मत उन्होंने साफ़-साफ़ प्रकट किया, कहा भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अन्ना या देशवासियों की यह क़दम तो सही हैं पर एक बार विदेश में जमा काला धन वापस आ जाने पर एक बार भी भ्रष्टाचार की समस्या समाप्त नहीं होगी । यदि इसे जड़ से मिटाना है तो हमें अपने मन से भ्रष्टाचार जैसे शब्द को मिटाना होगा । हमें नैतिक रूप से बलवान होना पड़ेगा । 'घूस, चोरी, मिलावट, काला धंधा हम भी करते हैं और बड़े-बड़े राजनेता, उद्योगपति भी अन्तर सिर्फ़ इतना है कि वह बड़े स्तर पर करते हैं और हम छोटे स्तर पर । दोषी तो दोनों हैं, सज़ा तो दोनों को ही मिलनी चाहिए । अत: हमें अपने मन से, कर्म से ईमानदार होना पड़ेगा । दरअस्ल 'ईमानदार' शब्द का प्रयोग हम ईमानदार बनने मात्र के लिए करते हैं । हम ईमानदारी से ईमानदार नहीं होते । चाहे कुछ भी हो जाए हमें हर हाल में ईमानदार होना होगा । तभी समस्या का अंत होगा अन्यथा नहीं ।

बलराम बाबू यह सब सुनकर सनक गये क्योंकि वह अपने कार्यालय के कामों में काफ़ी हेर-फेर किया करते थे । दस लीटर दूध में यदि आधा कप पानी मिला दिया जाए तो उसे पानी मिलाना नहीं कहेंगे यह कहकर चलते बने । मन ही मन बड़बड़ाते हुए पार कर रहे थे कि एक साइकिल वाले से वह टकरा गये बलराम बाबू और उनका कुत्त दोनों दो दिशा में थे । साइकिल वाला भाग खड़ा हुआ । बलराम बाबू का चश्मा जिसके बग़ैर वह देख नहीं सकते थे और छड़ी जिसके बग़ैर वह उठतने में अक्षम थे, दोनों दो दिशाओं में गिरे पड़े थे । बलराम बाबू को असहाय देखकर उनका कुत्ता दूसरे गाड़ी वाले से बचते हुए उनका चश्मा और छड़ी बारी-बारी मुंह में दबाकर लाकर देता है । जब-जक की लोग उन्हें उठाने आते कुत्ता अपनी वफ़ादारी दिखा चुका होता है । कुत्ते की वफ़ादारी की वजह से बलराम बाबू की जान बच जाती है । धनीराम जी यह सब देखकर कहते हैं कुत्ता तो जानवर है उसमें तो विवेक नहीं है फिर भी वह अपने मालिक के प्रति वफ़ादार है । यह आज आपका साथ छोड़ देता तो आपको कुछ भी हो सकता था । हम तो फिर भी मनुष्य हैं फिर भी हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति ईमानदार क्यों नहीं हैं ? क्या हम सब साथ मिलकर अपने विवेक और बुद्धि से भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर विचार नहीं कर सकते, इसे मिटा नहीं सकते । क्या हममें इतना भी कॉमन सेंस नहीं जितना इस कुत्ते में है ।

राम प्रवेश रजक

शोध छात्र, शांति निकेतन (प०बं०)

आंतरिक भावों का महत्व

असंख्य किताबों, अनगिनत समाचार पत्रों, जीवनी, धार्मिक ग्रंथ, पत्रिकाएं आदि के गहन अध्ययन से मात्र एक परिणाम प्राप्त हुआ है कि व्यक्ति को भीतर की भावनाओं के विषय में सोचना चाहिए । जब तक ये सुन्दर न हो, व्यक्ति बाह्य देह रूपी सुन्दरता को लेकर केवल खुश ही हो सकता है ।

ये भीतर के स्वच्छ भाव ही हैं जो आपके कर्मों में झलकते हैं, ये आपके विचार ही हैं जो आपसे अच्छे या बुरे कार्य कराते हैं । आपकी सबसे बेशक़मती संपत्ति आपके विचार हैं । प्रत्येक क्षण आपके भीतर जैसे विचार उठते रहते हैं, आप वैसे ही कार्य करते जाते हैं । फिर क्यों कोई अपनी बाह्य ख़ूबसूरती को निखारने के लिए घंटों अपनी क़ीमती समय गंवाते रहते हैं ?

क्या प्रत्येक व्यक्ति जो बेहद ख़ूबसूरत हो, वह भीतर की ख़ूबसूरती को भी निखारने की कोशिश करता है । समय जो कि पल-पल बीतता हुआ हमारे सामने से ही गुज़रता है मगर हम इन्हें थाम नहीं सकते अपितु इन्हीं गुज़रते हुए पलों में अपने अच्छे विचार से आने वाली पीढ़ी को कुछ नया दे सकते हैं ।

बाहर की सुन्दरता को निखारने के लिए हम प्राणी जाने कौन-कौन सी औषधि, दवाएं, हर्बल आदि का इस्तेमाल करते हैं मगर हम ये नहीं जान पाते कि भीतर के भावों में क्या और क़ौन-सा बदलाव लाए कि हम, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा ब्रह्माण्ड और ख़ूबसूरत हो जाए ।

जो लोग भी अपने भीतर के भाव बदले हैं, वे सफलता की सबसे ऊंचे मक़ाम तक पहुंचे हैं, शेष लोग उनके सफलता कारा पूछते रहते हैं । कितनी अनोखी बात है जिस शरीर का कोई ठिकाना नहीं, जाने कब इस मिट्टी में मिल जाएं, उसके लिए हम क्या-क्या करते हैं–

"सांसों की क़ीमत नहीं यहां
क़ीमत है मात्र इस तन का,
भावनाओं को कौन देखता है,
ख़ूबसूरती दिखती है मात्र इस बदल का ।"

आख़िर इस अदृश्य मन को संवारने के लिए कोई क्यों नहीं कहीं जाता । अपने भावों को और सुन्दर भाव में बदलने के लिए कोई प्रयत्न क्यों नहीं करता ?

मुझे ये ज्ञात नहीं है कि मेरे ये भाव आपके भाव से कितने मैच करते हैं मगर इस लेख के माध्यम से असंख्य लोगों को ये बताना चाहती हूं कि भीतर की सुन्दरता से अपना जीवन और सुन्दर बनाया जा सकता है । पिछले कई वर्षों से असंख्य सफल लोगों की जीवनी और उनके द्वारा लिखी गयी किताबें पढ़ती आयी हूं, प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे उनकी ईमानदारी, परिश्रम, दयालुता, धैर्य, सहनशीलता आदि ही मानवीय गुण की प्रधानता रही है जिससे वे जीवन में सफलता के मक़ाम तक पहुंच सके हैं । दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मन की सुन्दरता ही मुख्य कारण रहा है ।

मुझे ये भी मालूम है कि इस प्रकार के सोच के लिए कई गुरु, साधु, संत आदि अपने विचार देते आये हैं, कई योग सेन्टर भी खुले हुए हैं । लेकिन फिर भी पारिवारिक या बाहर की समस्याएं जहां के तहां ही हैं । आये दिन वैवाहिक जीवन बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं । जो महिला या लड़की इसी विवाह के लिए महीनों पार्लर दौड़ती हैं, वह बाद में क्यों हताश-सी दिखलायी पड़ती हैं ? क्यों नहीं हम कुछ ऐसा करें कि तन की सुन्दरता के साथ-साथ मन की सुन्दरता बढ़े । मन में विवाह के प्रति उठते असंख्य सवालों का समाधान ढूंढ़ें ।

वे सभी संस्थाएं जो जीवनोद्धार में लगी हैं, वे मन की सुन्दरता के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, ताकि जीवन यथार्थ रूप में सुन्दर बने ।

मेरी कोशिश है कि जीवन के प्रत्येक क्षण प्राकृतिक सुन्दरता से परिपूर्ण हो, जो कि मात्र विचारों के परिवर्तन से ही संभव है ।

के॰ कविता
हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि॰
कोरवा, अमेठी (उ॰प्र॰)

طبقات دوزخ سات ہیں۔ستر۔سعیر۔فطی۔حطمہ۔جحیم۔جہنم اور ہاویہ۔

قادری دواخانہ کی کامیاب ترین یونانی دوائیں

LARGEST UNANI G.M.P. CERTIFIED COMPANY

قادری قبض روجن

گیسٹک کے درد میں؟



بدہضمی، بھوک کی کمی، درد جگر، قبض، سینے کی جلن اور پیٹ کے امراض میں بہت ہی مفید ہے

زعفرانی تیل

گٹھیا کے درد میں؟

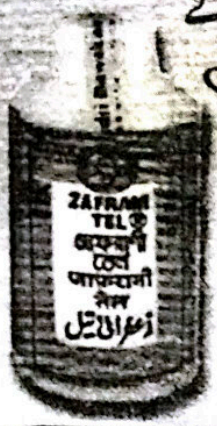

کسی بھی قسم کے درد چوٹ موچ۔ گٹھیا۔ جلنے کٹنے اور بچوں کی مالش میں بہت ہی مفید ہے۔

پشٹک چورن

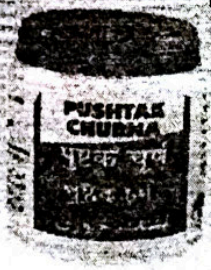

جریان، کثرت احتلام، سرعت انزال، ضعف باہ اور جملہ امراض مردانہ میں بہت مفید ہے

ذیابطیش سی

شوگر کی کامیاب دوا



مثانہ کو قوت پہنچاتی ہے۔ پیشاب کی زیادتی اور ذیابطیش سے ہونے والی کمزوری میں بے حد مفید ہے

زعفرانی مالٹ

ہر عضو کی کمزوری کے لئے



دماغ و اعصاب کے لئے محرک ہے۔ ضعف باہ کو دور کرتی ہے اور اعلیٰ درجہ کا ممسک بھی ہے۔ اس کے متواتر استعمال سے مردانہ قوت اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ صبح و شام۔ ۵ گرام دودھ کے ساتھ

کیسر فورٹ

قوت باہ کی طاقت میں اضافہ کے لئے



مقدار خوراک روزانہ ایک گولی سوتے وقت دودھ کے ہمراہ

Qadri Dawakhana ™

B-18, Nawab Wajid Ali Shah Road, Kol-24
(O) S-152, S. A. Farooquie Road, (Akra Road) Kolkata- 700 018
Ph. No. 2469-3173-2489-3539 (M) 9830009616 / 9674013169
Website : www.qadridawakhana.com
Email : qadridawakhana60@yahoo.co.in

STOCKIST

Qadimi Dawakhana
1397, Ballimaran, Delhi - 6
Ph : 011 23966395

M/s. Shifa Clinic
A-280, Moti Masjid Road,
P.O. Chikamberpur, Shaheed Nagar
Ghaziabad, Ph : 0120 - 2621286

रईस मेकरानी का बड़ा कारनामा

■ डॉ॰ मुहम्मद अहमद

"पढ़ो अपने पालनहार का नाम लेकर, जिसने पैदा किया। पैदा किया इन्सान को एक लोथड़े से। पढ़ और तेरा पालनहार बड़ा ही उदार है, जिसने ज्ञान सिखाया, क़लम के द्वारा, ज्ञान दिया इन्सान को उस चीज़ का जिसको वह नहीं जानता था" (क़ुरआन 96:1-5)। हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की पवित्र शिक्षाएं भी इस्लाम में शिक्षा और ज्ञानार्जन के महत्व को उभारती हैं। कैस बिन कसीर कहते हैं कि एक बार मैं हज़रत अबू दरदा (रज़ि॰) के साथ दमिश्क की मस्जिद में बैठा था कि इतने में एक आदमी आया और कहने लगा, ऐ अबू दरदा! मैं मदीने से आपके पास इसलिए आया हूं कि मुझे ख़बर मिली है कि आप मुहम्मद (सल्ल॰) की हदीस बयान करते हैं। हज़रत अबू दरदा ने फ़रमाया, मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) से सुना है, आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए रास्ता तय करके आगे बढ़ता है। उसके रास्ते में फ़रिश्ते पर बिछाते हैं और ईश्वर उसके रास्ते को आसान कर देता है।"

(अबू दाऊद, तिरमिज़ी)

एक अन्य हदीस में है–हज़रत अनस (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए निकलता है वह अल्लाह के रास्ते में है, यहां तक कि वापस आ जाए" (तिरमिज़ी)। इन्हीं शिक्षाओं के अनुपालन से ही मुसलमानों ने सदैव ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में महत्तम योगदान किया है और आज भी कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश के सागर निवासी कार मेकेनिक मुहम्मद रईस मेकरानी एक बड़े आविष्कार के लिए चर्चाओं का केन्द्र बने हुए हैं। उन्होंने आविष्कार किया है एक ऐसी कार का जो पेट्रोल या डीजल के बजाय पानी से दौड़ती है। हम जानते हैं कि आपको यह बात बिल्कुल अटपटी लग रही होगी, लेकिन यह पूरी तरह सच है। 44 साल के रईस मेकरानी ने ऐसी कार बनायी है, जो विशुद्ध रूप से पानी से दौड़ती है। पानी के अलावा इसमें कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है।

रईस ने यह कार छह महीने की कड़ी मेहनत से तैयार की है। अपनी खुद की वर्कशाप में उन्होंने खुद इसे तैयार



किया है। इस कार की ख़ासियत यह भी है कि ये पूरी तरह इको फ्रैंडली है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती क़ीमतों के कारण उनके दिमाग़ में ऐसी कार बनाने की बात आयी जिसके लिए जेब ज़्यादा ढीली न करनी पड़े। पानी से चलने वाली यह कार मात्र दस से बीस पैसे प्रति किलोमीटर की दर से दौड़ती है। अस्ल में रईस ने अपनी एक पुरानी कार के इंजन में बदलाव करके इसे पानी से चलने के लिए तैयार किया है। इसके फ्यूल टैंक में पेट्रोल-डीजल की जगह पानी ही डाला जाता है। पानी डालने के बाद इसमें कैल्सियम कार्बाइड का मिश्रण डाला जाता है। पानी और कैल्सियम कार्बाइड के मिश्रण से एसिटीलीन गैस तैयार होती है जो कार में ईंधन का काम करती है। पानी के साथ कैल्सियम कार्बाइड का संपर्क होते ही यह धधकने लगता है, जिसके बाद इसके ढक्कन को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद तेजी से गैस फ्यूल टैंक से होते हुए इंजन तक पहुंचती है। विशेष रूप से तैयार किया गया इंजन एसिटिलीन गैस के संपर्क आते ही काम करना शुरू कर देता है। यह कार दूसरे ईंधन से चलने वाली अन्य कारों की तरह पूरा काम करती है। इसकी रफ़्तार देख आश्चर्य में पड़ना स्वाभाविक है।

आविष्कारक रईस ने बताया कि उनके इस आविष्कार के बाद लोगों को पेट्रोल की बढ़ती क़ीमतों से आज़ादी मिलेगी। वे अपने इस आविष्कार का पेटेंट भी करवाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक चीनी फर्म से संपर्क भी किया है। उसने इस आविष्कार के प्रति रुचि भी दिखायी है। इसका कारख़ाना स्थापित करने की बात चल रही है।

कोलकाता में क़याम के लिए उमदा रिहाइश का मर्कज़



HOTEL AL-FALAH

Ph. : 033-22837901 , Cell : 9836015030
E-mail : hotelal_falah@hotmail.com

A/c Rooms & Non A/c Rooms

With

Attatch Bath Rooms

कोलकाता के शहर के दामन में (पार्क सर्कस) मुनासिब दामों पर रिहाइश का माक़ूल इन्तिज़ाम

एक बार ख़िदमत का मौक़ा ज़रूर दें।

83, Fazlul Haque Sarani, Kolkata - 700 017
WEST BENGAL

इस्लामी राज्य में वैचारिक स्वतंत्रता

■ प्रो॰ अब्दुल करीम ज़ैदान

इस्लामी राज्य में राय की आज़ादी व्यक्ति का बुनियादी और महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसे न तो राज्य छीन सकता है और न व्यक्ति के लिए उससे होना जायज़ हो सकता है। यह व्यक्ति के वैचारिक और इन्सानी वजूद के लिए और एक मुसलमान के इस्लामी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अति आवश्यक है। भलाई का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना इस्लाम का अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इस काम के लिए राय की स्वतंत्रता ज़रूरी है, इस विषय में क़ुरआन कहता है–ज़माने की क़सम! इन्सान वास्तव में घाटे में है, सिवा उन लोगों के जो ईमान लाए और भले कार्य करते रहे और एक-दूसरे को सत्य की नसीहत और धैर्य रखने का उपदेश देते रहे।

मोमिन पुरुष और मोमिन स्त्रियां यह सब एक-दूसरे के साथी हैं भलाई का हुक्म देते और बुराई से रोकते हैं। तुममें कुछ लोग ऐसे ज़रूर होनो चाहिएं जो नेकी की तरफ़ बुलाएं, भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से रोकते रहे। हदीस में है–'जिसने कोई बुराई देखी तो उसे चाहिए कि वह अपने हाथ से उसे बदल दे। अगर इसकी ताक़त न रखता हो तो ज़ुबान से मना करे और उसकी भी ताक़त न हो तो अपने दिल में बुरा समझे और यह ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है।

शासकों की देख-रेख, उनकी भलाई, और उनके अधिकारों पर जनता को आलोचना करने का जो अधिकार प्राप्त है, उसका भी यह तक़ाज़ा है कि उन्हें राय देने की भरपूर स्वतंत्रता मिली हो।

शूरा (सलाहकार परिषद) के नियम और उसके परिणामस्वरूप पैदा होने वाले मतभेद और चुनाव अधिकार भी उसी समय सार्थक हो सकते हैं जबकि राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो। राय की स्वतंत्रता को अनुपस्थिति में शूरा का चलाना असंभव है और यह बड़ी विचित्र बात है कि सरकार एक ओर शूरा-व्यवस्था को कार्यान्वित करने की घोषणा करे और दूसरी ओर राय की स्वतंत्रता के अधिकार को लोगों से छीन ले।

इसलिए इस्लामी राज्य के शासक व्यक्तियों की दीक्षा राय की स्वतंत्रता की बुनियाद पर करते थे और जब लोग अपने इस अधिकार का उपयोग नहीं करते थे, तो उन्हें ताने देते थे। एक व्यक्ति ने एक बार हज़रत उमर (रज़ि॰) को टोका: "ऐ उमर! अल्लाह से डरो।" आपने फ़रमाया "ठीक है। तुम लोग टोकते रहा करो अगर तुम लोग यह काम न करोगे तो तुम्हारे अन्दर कोई अच्छाई बाक़ी नहीं रहेगी और अगर हम उसे ठंडे दिल से न सुनें, तो हमारे अन्दर कोई अच्छाई नहीं रह जाएगी।" यहां अल्लाह से डरने का जो उपदेश दिया गया है, उसमें उपदेश, नसीहत, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना सभी शामिल हैं और ये सभी चीज़ें राय की स्वतंत्रता पर आधारित हैं।

एक ज्ञान वह है जो प्रत्येक मुसलमान के लिए प्रापत करना अनिवार्य है, जैसे उन इबादतों का ज्ञान जो प्रत्येक मुसलमान पर व्यक्तिगत रूप से अनिवार्य है और एक ज्ञान वह है जिसका मुस्लिम समुदाय के अन्दर पाया जाना ज़रूरी है। इसका संबंध ज्ञान की उन सभी क़िस्मों से है जिनकी दुनिया और दीन के लिए ज़रूरत पड़ती है। जैसे उद्योग धंधे, शासकों और राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति का मामला आदि। निस्संदेह वे ज्ञान जो आज जीवन के विभिन्न भागों में प्रकट हो चुके हैं और जिनकी मुस्लिम समुदाय को ज़रूरत पड़ सकती है।

राय की स्वतंत्रता के लिए साहस चाहिए

इस स्वतंत्रता से लाभान्वित होने के लिए केवल यही काफ़ी नहीं है कि व्यक्तियों के उस अधिकार को मान लिया जाए, बल्कि यह भी ज़रूरी है कि उनके अन्दर साहस, धैर्य, पुरुषत्व, निर्भीकता, निर्भयता पूरी तरह पायी

जाए, इसलिए कि भय, कायरता और कमज़ोरी आदमी को अपनी राय को व्यक्त करने से रोक देती है और यह मुस्लिम समुदाय की मौत और अल्लाह की मदद से वंचित होने का चिन्ह है । नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

'जब मेरे अनुयायी समुदाय को देखो कि वह ज़ालिम को ज़ालिम कहते हुए डरता है, तो समझ लो कि उसे विनाश के लिए छोड़ दिया गया है ।

एक मुसलमान के अन्दर वीरता, साहस और हृदय की शक्ति उस समय पैदा हो सकती है, जब उसके दिल में तौहीदे ख़ालिस (विशुद्ध एकेश्वरवाद) का अक़ीदा अच्छी तरह जम गया हो और दिल व दिमाग़ में उसका अर्थ मौजूद हो । जब एक मुसलमान को चेतना और विश्वास की गहराइयों से यह मालूम हो जाएगा कि हानि-लाभ अकेले अल्लाह के हाथ में है, दूसरी सभी शक्तियां और व्यक्ति उसके मुहताज हैं और किसी लाभ या हानि पहुंचाने में समर्थ नहीं हैं और राष्ट्रपति और उसके अलावा सभी केवल रचनाएं हैं और अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं तो उसे इस बात का कोई भय नहीं होगा कि वह अपनी राय को व्यक्त करे और शासकों से अपनी राय और समझ के अनुसार मामला करे, इसलिए कि अल्लाह उनसे कहीं बड़ा है, अन्न और आयु सब उसी के हाथ में है । इसमें किसी का कोई दख़ल नहीं है ।

राय की स्वतंत्रता की सीमाएं

यह आज़ादी बेक़ैद नहीं है बल्कि कई शर्तों और रुकावटों की पाबन्द है ।

पहली शर्त यह है कि वह बीच की राह, शिष्टता और अच्छी और भली नीयत को अपने सामने रखे, राय की स्वतंत्रता के पीछे सत्य मार्ग पर चलते रहने का इरादा हो, समाज के सुधार की तड़प हो, लोगों की भलाई और लाभ की भावना हो, इस्लाम और शासकों की भलाई चाही जा रही हो और आम मुसलमानों की भलाई सामने हो, जैसा कि अल्लाह ने आदेश दिया है ।

दूसरी शर्त यह है कि राय की स्वतंत्रता का उपयोग घमंड और गर्व के लिए न हो और दूसरों को अपमानित करना उद्देश्य न हो, उनकी बुराइयों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश न करना हो और किसी पद का लोभ और लाभ सामने न हो ।

तीसरी शर्त यह है कि इस्लामी सिद्धांतों और अक़ीदों पर सदैव ध्यान देना चाहिए । किसी व्यक्ति को इस्लामी राज्य के अन्दर राय की स्वतंत्रता के परदे में इस्लाम, उसके रसूल और उसके प्रस्तुत किये हुए अक़ीदे पर व्यंग्य करने की अनुमति नहीं होगी कि इससे एक मुस्लिम धर्म-विमुख हो जाता है । इस पर यह दंडनीय हो जाता है । इन अवसरों पर राय की स्वतंत्रता की कोई दलील काम न आएगी ।

चौथी शर्त है कि इस्लाम के नैतिक सिद्धांतों का ध्यान रखे । वह किसी की इज़्ज़त पर हमला नहीं कर सकता, किसी को गाली नहीं दे सकता और न किसी पर झूठे आरोप लगा सकता है और न तोहमत लगा सकता है । यह स्वतंत्रता उस समय छिन जाएगी, जिस समय उससे फ़साद के स्रोते फूट रहे हों और लोगों को हानि हो रही हो ।

राय की स्वतंत्रता और राज्य को हानि पहुंचाना

राज्य के निवासियो को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य के मामलों में और शासकों के कार्यों के विषय में अपनी राय को खुले रूप में व्यक्त करें, जब उनके किसी काम पर उन्हें संतोष न हो, उसे पसन्द न करें, लेकिन उन्हें यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वे उसकी सीमाओं में बिगाड़ और फ़साद फैलाएं और अपने विरोधियों से संघर्ष छेड़ दें । जब तक उनसे किसी बिगाड़ या समाज को नुक़सान पहुंचने का भय न हो, राज्य उन पर कोई पाबन्दी नहीं लगा सकता, यही वह सीमा है, जहां व्यक्ति की राय की स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग कर सकता है और दूसरी स्थिति छीन भी लेता है ।

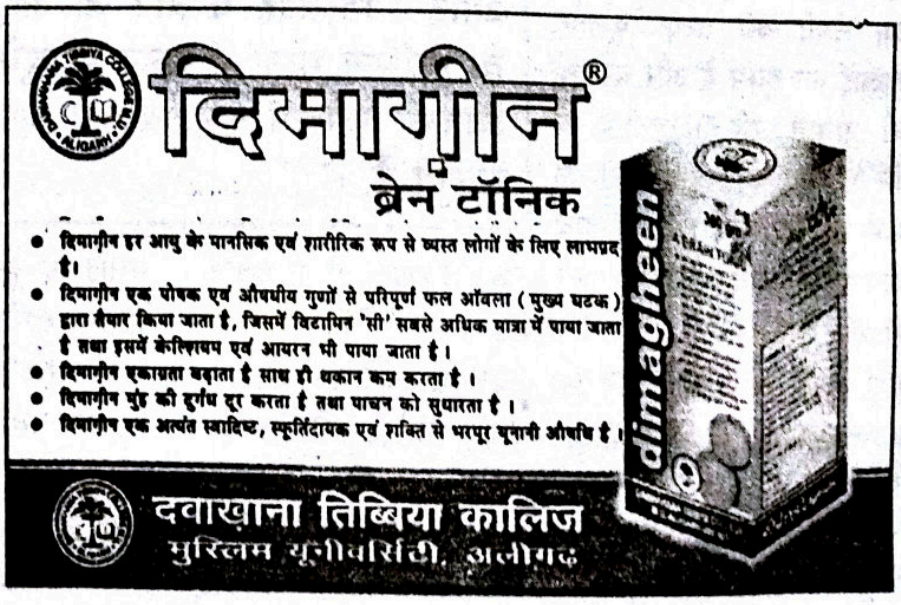

ख़ारजियों के बारे में हज़रत अली (रज़ि॰) की सख़्त और तेज़ राय प्रसिद्ध है, लेकिन इसके बावजूद आपने उनसे फ़रमाया था–

"हम तुमसे युद्ध का प्रांभ उस समय तक न करेंगे, जब तक तुम बिगाड़ न फैलाने लगो ।"

(नैलुल अवतार, भाग 5, भाग 158-159)

इसीलिए राज्य की भिन्न मत रखने वाले को न तो देश से बहिष्कार करेगा और न उससे युद्ध करेगा जब तक वह लोगों को बलपूर्वक और दबाव से अपनी राय मानने पर विवश नहीं करे । सरकार के लिए ज़रूरी है कि वह उसको नसीहत करे और उसकी राय की त्रुटियां उसको बता दे ।

अबू याला ने 'अल-अह्काम-अस-सुलतानिया' में ख़ारजियों पर चर्चा करते हुए लिखा है कि–

"अगर वे अपने अक़ीदे की घोषणा करें और आम मुसलमानों से सामाजिक संबंध रखें, उस समय का इनाम उनके अक़ीदे की ख़राबी और उनकी नयी खोजों की ग़लती उन पर खोलेगा, ताकि वे उससे दूर होकर सही अक़ीदा अपना सकें और 'जमाअत' (समूह) का साथ दें ।"

(अमताउल अस्माअ, पृष्ठ 101)

ज्ञान प्राप्ति का अधिकार

इस्लाम में ज्ञान का स्थान बहुत उच्च है । उसने विद्वानों को आदर और सम्मान दिया है, ज्ञान की प्राप्ति पर काफ़ी ज़ोर दिया है । अल्लाह का फ़रमान है–

ऐ नबी ! तू कह, ऐ मेरे रब ! मेरे ज्ञान में वृद्धि कर ।

कर्मों की स्वीकृति के लिए ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि वही कार्य अल्लाह के यहां स्वीकार किया जाएगा, जो अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए किया जाए और जो शरीअत के अनुसार हो और इसका पता ज्ञान ही से लग सकता है ।

एक ज्ञान वह है जो प्रत्येक मुसलमान के लिए प्रापत करना अनिवार्य है, जैसे उन इबादतों का ज्ञान जो प्रत्येक मुसलमान पर व्यक्तिगत रूप से अनिवार्य है और एक ज्ञान वह है जिसका मुस्लिम समुदाय के अन्दर पाया जाना ज़रूरी है । इसका संबंध ज्ञान की उन सभी क़िस्मों से है जिनकी दुनिया और दीन के लिए ज़रूरत पड़ती है । जैसे उद्योग धंधे, शासकों और राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति का मामला आदि । निस्संदेह वे ज्ञान जो आज जीवन के विभिन्न भागों में प्रकट हो चुके हैं और जिनकी मुस्लिम समुदाय को ज़रूरत पड़ सकती है, वे फ़र्जे किफ़ाया' में से हैं जिनका प्रसारित करने का दायित्व राज्य पर आ पड़ता है ।

राज्य की सरकार मुस्लिम समाज की नायब और उसकी प्रतिनिधि है इसलिए सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि राज्य के नागरिकों के लिए ज्ञान प्राप्ति के तरीक़े आसान और सामान्य जनता की पहुंच के योग्य बनाने का यत्न करे । प्यारे नबी (सल्ल॰) की 'सुन्नत' में यह मिसाल भी मिलती है कि आप ने बद्र के युद्ध के बन्दियों की रिहाई के लिए चालीस औक़िया चांदी की धन-राशि निश्चित की थी, लेकिन जिस बन्दी के पास यह राशि नहीं थी, उसकी रिहाई के लिए यह शर्त रखी गयी कि वह दस मुसलमानों को पढ़ना-लिखना सिखा दे । इस मिसाल से मालूम हुआ कि सरकार पर मुस्लिम समाज के व्यक्तियों की शिक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्य है ।

परिणाम दिखाने का यह अवसर है

आशाओं के दीप जलाने का यह अवसर है,
अब तो प्रिय मुस्कान खिलाने का यह अवसर है ।

वक़्त रहा प्रतिकूल सदा ही, पर हो ना मायूस,
अब उजड़ा संसार बसाने का यह अवसर है ।

द्वेष, बैर, कटुता ने बांटा, भाई-भाई को,
वैमनस्य-दीवार ढहाने का यह अवसर है ।

लेकर हाथ चलें हाथों में, मिलें क़दम-क़दम से,
चैन-अमन का गांव बनाने का यह अवसर है ।

पीर, दर्द, ग़म और व्यथाओं का है यह आलम,
मानव-मन को आज सजाने का यह अवसर है ।

महके मानवता का घर अब, अपनापन बिखरे,
नेह-प्रेम के भाव निभाने का यह अवसर है ।

बहुत हो चुका, तंद्रा तोड़ो, उठो 'शरद' अब सारे,
अब तो नव परिणाम दिखाने का यह अवसर है ।

प्रो॰ शरद नारायण खरे
विभागाध्यक्ष, इतिहास
शासकीय महिला महाविद्यालय, मंडला (म॰प्र॰)

विरोधी भावों का त्याग

■ सीताराम गुप्ता

सबसे पहले हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें करना क्या है । लक्ष्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए । एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह स्कूल की फाइनल कक्षाकी परीक्षाओं के बाद निश्चित कर ले कि उसे किस क्षेत्र में जाना है । उसे विज्ञान, कॉमर्स अथवा का किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है । विज्ञान में भी मेडिकल में जाना है अथवा इंजीनियरिंग में यह निश्चित करना बहुत ज़रूरी है । हमें नौकरी करनी है अथवा व्यापार या अन्य क्षेत्र विशेष में जाना है यह निश्चित करना बहुत ज़रूरी है । यदि लक्ष्य डांवाडोल होगा तो सफलता भी संदिग्ध रहेगी ।

सबसे पहले लक्ष्य को निर्धारित कर उसे काग़ज़ पर लिखकर अपने पास रख लें अथवा डायरी में लिख लें । डायरी लिखना या प्लानर मेंटेन करना एक उपचार पद्धति ही है । जब हम दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या अन्य अवधि विशेष में संपन्न किये जाने वाले कार्यक्रमों को लिख लेते हैं तो लिखने के साथ ही इसकी प्रोग्रामिंग हमारे मन द्वारा हमारे मस्तिष्क में हो जाती है और डायरी में लिखे कार्य हमें बिना डायरी देखे भी प्राय: उचित समय पर आभासित हो जाते हैं । ये एक प्रकार की स्वीकारोक्ति या संकल्प ही तो है जो हमने काग़ज़ पर लिख लिया है ।

दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है लक्ष्य को न भूल जाना अर्थात आपका लक्ष्य निरंतर आके मन में बना रहे और इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने लिखे हुए काग़ज़ को अपने पास रखें और बार-बार देखते रहें । या फिर अपने निर्धारित लक्ष्य को काग़ज़ पर लिखकर एक जैसी कई प्रतियां तैयार कर लें और उनको घर या कार्य करने के स्थान पर इतनी ऊंचाई पर लगा दें जिससे वे आपको बार-बार दिखलाई पड़ें । लिखाई साफ़ मोटी होनी चाहिए ताकि दूर से भी आसानी से पढ़ी जा सके । काग़ज़ यदि सुन्दर और साफ़ अक्षरों में लिखा है तो उसकी प्रभावोत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है, जितनी बार आप इन्हें देखेंगे, मन में अवश्य दोहराएंगे और आपका कार्य अर्थात अपेक्षत लक्ष्य प्राप्ति सरल हो जाएगा । जब लक्ष्य आपके सामने है और उसे प्राप्त करने के लिए आप कृत-संकल्प हैं तो प्रयास भी अवश्य करेंगे ।

लक्ष्य प्राप्ति में लक्ष्य के विरोधी भावों का त्याग भी अनिवार्य है । मन में लक्ष्य की सफलता को लेकर न केवल संदेह ही नहीं पैदा होना चाहिए, अपितु लक्ष्य के विरोधी भाव किसी भी प्रकार मन में आने पाएं । विश्वास के साथ लक्ष्य को याद रखना और उसकी पूर्णता के लिए पूरी तरह आशावादी होनी ज़रूरी है । आपका लक्ष्य आपकी इच्छा ही तो है उत्कट इच्छा, जिसे पूर्ण करने के लिए आप कृतसंकल्प हैं । तो आपका लक्ष्य एक संकल्प के रूप में सामने है । इस संकल्प की मूल भावना का विरोधी भाव मन में हरगिज़ न आने पाये । प्राय: हमारे संकल्प की मूल भावना के विरोधी भाव ही नये विरोधाभासी संकल्प के रूप में उपस्थित होकर हमारे मुख्य संकल्प को क्षीण या तटस्थ करके लक्ष्य पूर्ति में बाधक बनते हैं । जब भी कोई विरोधी भाव या नकारात्मक विचार मन में आसे उसे नकार दें । मन में आये विरोधी भाव का भी विरोधी भाव सकारात्मक स्वीकारोक्ति के रूप में दोहराएं ।

जीवन में सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारित करें न कि असफलता के लिए । जीवन में ऐसा लक्ष्य निर्धारित न करें जिस पर आप खुद विश्वास करने को तैयार न हों । आपके विश्वास का स्तर आपकी लक्ष्यपूर्ति में बहुत महत्वपूर्ण है । हर सफलता को अपनी धार्मिक आस्था से जोड़ने का प्रयास करें । इससे आपके विश्वास में वृद्धि होगी और आपको अगले लक्ष्यों की प्राप्ति में अपेक्षाकृत शीघ्र सफलता मिलेगी ।

For Information On
City Shops, RoaosQ, Restaurants, Magazines, Schools and much more.
Syed Shahbaz Alam Barvi
Business Development Director (09049185093)
Visit us:
www.shoppinglanes.com

मानवता एवं देश-प्रेमी : शाह वली उल्लाह (रह०)

■ भरत राम भट्ट

अंग्रेज़ और ग़ैर भारतीय लेखक 1857 की क्रांति को ग़दर की संज्ञा तो प्रदान करते ही रहे हैं। साथ ही उस क्रांति को गाय और सूअर की चर्बी से युक्त कारतूसों के उपयोग के विरुद्ध भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावना उभारकर सैनिक विद्रोह कराने के षड्यंत्र का भी आरोप लगाते रहे हैं, जो बिल्कुल निराधार है। सच्चाई यह है कि जब अंग्रेज़-व्यापारियों ने सूरत, कलकत्ता में व्यापार के निमित्त कोठियां खड़ी कर लीं और भारत में ख़रीदे गए कच्चे माल को बन्दरगाहों तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा का सवाल उठा तो उन्होंने दो से पांच सौ के बीच गोरे सैनिक रखने की इजाज़त उस समय के भारतीय शासकों से ले ली थी।

बढ़ते और फैलते व्यापार को अच्छी तरह व्यवस्थित करने में जब गोरे सैनिक उन्हें कम लगे तो भारतीयों में से भी उन्होंने सैनिकों की भरती की। इन सैनिकों की संख्या अंग्रेज़ सैनिकों से अधिक थी। क्योंकि भारतीय सैनिक उन्हें काफ़ी कम वेतन पर मिल जाते थे, जबकि गोरे सैनिकों को भारतीयों की तुलना में ज़्यादा सुविधाएं और वेतन देना पड़ता था, जिससे ईस्ट इंडिया कम्पनी का व्यापारिक मुनाफ़ा कम हो जाता था।

व्यापार तो बहाना था भारत को लूटने का। दरअस्ल भारत पर क़ब्ज़ा करके अपनी सरकार क़ायम करना और सदियों तक शोषण के लिए इस देश को गुलाम बनाए रखना, ईस्ट इंडिया कम्पनी और उसके मालिकों का ख़ास मक़सद था। जब वे भारत की कई रियासतों पर अपनी चालबाज़ी और मक्कारी से क़ब्ज़ा करने में सफल हो गए, तो फ़ौज की तादाद बढ़ाना लाज़िम था, अतः हिन्दू-मुसलमान-दोनों समुदायों के लोग उनकी सेना में भरती हुए। इस तरह भारतीय फ़ौज का क़ाफ़िला लम्बा हो गया।

लेकिन हिन्दू और मुसलमान, जो सेना में थे, अपने मुल्क और संस्कृति के साथ गहरे जुड़ाव को देखते हुए, उन्हें देश और संस्कृति-प्रेम की तरफ़ से काटना ज़रूरी था। इस काम के लिए ज़रूरी था कि उनमें ईसाइयत का प्रचार और उन्हें ज़्यादा-से-ज़्यादा ईसाई बनाया जाए। इस काम के लिए उन्होंने अनेक अंग्रेज़-पादरियों को फ़ौज में मेजर, कर्नल पद देकर ईसाइयत का बड़ी सतर्कता और गुपचुप ढंग से प्रचार-प्रसार की सोची-समझी योजना की शुरुआत की। कुछ समझदार हिन्दू और मुसलमान फ़ौजियों को जब इस बात का एहसास हुआ और इस मामले में जब अंग्रेज़ तेज़ी से आगे बढ़ने लगे, तब मई-जून, 1857 की क्रांति ने जन्म लिया।

इस बात को एक मुसलमान बुज़ुर्ग शाह अब्दुर्रहीम ने बादशाह औरंगज़ेब के शासन काल में सन् 1857 से क़रीब 137 साल पहले सन् 1719 से पूर्व ही भांप लिया था, जो दिल्ली के कूचा चेलान में अपने पूर्वजों के समय से स्थापित एक मदरसे में शिक्षक का काम किया करते थे।

जब औरंगज़ेब और शाह अब्दुर्रहीम ज़िन्दगी के आख़िरी पड़ाव पर थे, तब एक मौक़े पर शाह अब्दुर्रहीम ने कहा था-"हालांकि बादशाह औरंगज़ेब अपने जीवन में निहायत पाक चरित्र और धार्मिक रहा है, फिर भी हिन्दुओं और शिक्षा वर्ग के प्रति उचित न्याय न करने की उसकी नीति भारतवर्ष के भविष्य और मुग़ल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध होगी।"

बुज़ुर्ग शाह अब्दुर्रहीम के विद्वान पुत्र शाह वली उल्लाह ने सन् 1719 में अपने पिता की मृत्यु के बाद 17 साल की आयु में मुसलमानों में चेतना जगानी शुरू कर दी थी। साथ ही अपने पिता के स्थान पर उसी मदरसे में पढ़ाया भी। वह मात्र धर्म-शिक्षक अथवा समाज सुधारक नहीं थे, बल्कि उस समय की भारतवर्ष की राजनीतिक स्थिति पर उन्होंने

गहरा चिन्तन, मनन करते हुए मुसलमानों में राजनीतिक चेतना के जागरण के साथ देश-प्रेम की भावना उदय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी ।

अंग्रेज़ों ने भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर अपने व्यापारिक संस्थान और बड़े-बड़े भवन तो खड़े कर ही लिए थे, लेकिन दूसरी तरफ़ फ्रांसिसी डूमास ने भी बारह सौ यूरोपियनों और पांच हज़ार भारतीयों की सेना खड़ी कर ली थी और वही उस सेना का सेनापति भी था ।

विद्वान शाह वली उल्लाह (रह०) ने भारतीय मुसलमानों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए छोटी-बड़ी कई पुस्तकें लिखीं और उनमें एकता, देश-प्रेम तथा राजनीति को मुख्य विषय बनाया । अपनी एक पुस्तक–'हुज्जतुल्ला-हिल-बालिग़ा' में एक जगह वह लिखते हैं–

'यदि कोई क़ौम सांस्कृतिक क्षेत्र में लगातार उन्नति करती रहे, तो उसका कला-कौशल श्रेष्ठता की चरम-सीमा तक पहुंच जाता है । उसके बाद अगर शासक-वर्ग सुख और भोग-विलास का जीवन व्यतीत करने लगता है, तो उसका बोझ मज़दूर-वर्ग पर इतना बढ़ जाता है कि समाज का बहुसंख्यक भाग पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो जाता है ।

ऐसी स्थिति में मनुष्यता की सामूहिक-संस्कृति नष्ट हो जाती है और जब बल या शक्ति के आधार पर उनको सामूहिक संकट सहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है तो वे गधों व बैलों की तरह केवल पेट भरने के लिए मेहनत करते हैं ।

ये विचार उस व्यक्ति के हैं, जिसे न अंग्रेज़ी-भाषा का ज्ञान था और न कार्ल-मार्क्स का ! क्योंकि तब तक कार्ल-मार्क्स पैदा ही नहीं हुए थे । फिर इस तरह के क्रांतिकारी विचार शाह वली उल्लाह (रह०) ने उस दिल्ली में बैठकर व्यक्त किए, जहां उन्हीं के समुदाय के लोग गद्दी पर विराजमान थे ।

उस समय दिल्ली शहर का मुख्य अधिकारी नजफ़ अली ख़ां था । जब शाह वली उल्लाह के उपदेश की सूचना उसे मिली, तो वह आग-बबूला हो गया और उसने शाह साहब को सबक़ सिखाने की सोची । लेकिन वह उनके ज्ञान और जन-सम्मान को देखते हुए डरता भी था । अधिकार, फ़ौज और दूसरे साधन जिनसे वह भरपूर था, के होते हुए भी वह उन पर प्रत्यक्ष आक्रमण करने से घबराता था, अत: उसने उन्हें चुपचाप ठिकाने लगाने की योजना तैयार की ।

एक दिन जब शाम को शाह वली उल्लाह अपने कुछ साथियों के साथ फ़तहपुरी मस्जिद में नमाज़ अदा करने गए तो कुछ हथियारबन्द लोगों ने मस्जिद का मुख्य द्वारा घेर लिया । नमाज़ के बाद जब उन्हें पता चला, तो वह पिछले दरवाज़े से बाहर निकलने के लिए वहां गए, लेकिन उस दरवाज़े पर भी कुछ हथियारबन्द लोग खड़े थे ।

शाह वली उल्लाह और उनके साथियों ने उनसे पुछा–तुम लोग इस तरह लड़ने पर क्यों आमादा हो? और हमारा क़ुसूर क्या है ? तो वे बोले–हम सब मौलवी हैं । अब तक क़ुरआन लिख, बेचकर रोटी खाते थे । तुमने (शाह) क़ुरआन का तर्जुमा करके हमें रोटी से महरूम कर दिया है, इसलिए हम तुम्हें क़त्ल करेंगे । शाह वली ने सब्र के साथ उन्हें समझाया कि धर्मग्रंथ सबके लिए होता है, उसका फ़ायदा आम आदमी को भी मिलना चाहिए, इसलिए क़ुरआन का तर्जुमा करना गुनाह नहीं है । लेकिन उन्हें जान से मारने के लिए जैसे ही उन लोगों ने हथियार उठाए, शाह वली उल्लाह के साथियों ने भी अपनी तलवारें खींच लीं यह देख वे लोग चले गए ।

बाद में शाह वली उल्लाह को बताया गया कि वे नगराधिकारी नजफ़ उल्लाह ख़ां के आदमी थे, जो उन्हें क़त्ल करने के लिए भेजे थे । क़ुरआन का तर्जुमा और मौलवी बताने की बात तो सिर्फ़ बहाना था । तो न्याय, सच्चाई (ईश्वर पर विश्वास) संयम और बाहर-भीतर से पाक रहना, उन पर अमल करना शाह वली उल्लाह ज़िन्दगी के लिए ज़रूरी समझते थे । लेकिन राजनीति में शासक कैसा हो ! यह बात अपनी पुस्तक– 'हुज्जतुल्ला हिल बालिग़ा' में इस तरह कही है ।

"...मतलब यह कि इन्सानी समूह के लिए ज़िन्दगी बसर करने के लिए हक़ दौलत बराबर-बराबर बहुत ज़रूरी है । हर इन्सानी-समाज को ऐसी अर्थ-व्यवस्था दरकार होती है, जो उसको जीवनोपयोगी सामग्री देने की ज़िम्मेदार हो । मनुष्य और समाज आर्थिक तौर पर सन्तुष्ट होने के बाद, अवकाश के समय जीविका के ठीक से चलने के बाद बची सामग्री (दौलत) से सभ्यता और संस्कृति की उन्नति की ओर अपना मार्ग प्रशस्त करता है । यही मानवता का वास्तविक रूप है ।'

महान सन्त और राजनीतिक-चेतना के धनी शाह वली उल्लाह ने इन्सान की आर्थिक-समता और सच्ची इन्सानियत का जामा अब से 250 साल पहले पहनकर देशवासियों को भी उस चेतना से अवगत कराया था ।

भारत की एकता के संबंध में अपनी पुस्तक–'बुदूरे बज़्मे गाह' में वे लिखते हैं–

'भारतवर्ष में छोटी-छोटी सरकारें हो सकती हैं, लेकिन उनका केंद्र एक ही होना चाहिए, जिससे सारे भारतवर्ष की हानि-लाभ की दृष्टि से विचार किया जा सके ।

साफ़ ज़ाहिर है कि वह भारत की एकता के हिमायती होने के साथ ही प्रान्तों के रूप में व्यवस्थित शासन-प्रणाली के द्वारा समाज को ज़्यादा सुख देने के पक्ष में थे । अपनी उसी पुस्तक में वे लिखते हैं– 'राज्य की ओर से सबके लिए क़ानून एक प्रकार के होने चाहिएं । फिर चाहे लोग उनका पालन अपनी-अपनी परंपरा के मुताबिक़ कैसे भी करें ।

यानी शाह वली उल्लाह का आशय हिन्दू-मुसलमानों के लिए एक तरह के क़ानूनों से था उनका पालन भी वह देखना, करवाना चाहते थे । जमीअतुल उलमा की नींव उन्हीं के द्वारा रखी गई थी । उन्होंने संगठन को मज़बूत बनाने और मुसलमानों में मानवता तथा शोषण के विरुद्ध प्रचार के लिए एक शिष्य-मंडली भी तैयार की थी, जो ज़मींदार और आम मुसलमानों में जाकर इन्सानियत, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास का प्रचार करते थे । ऐसे लोगों में मौलाना मुहम्मद आशिक़ फुलती, मौलवी नूरुल्लाह बुढ़ानवी और मौलाना मुहम्मद अमीन काश्मीरी आदि प्रमुख थे ।

सही ढंग से प्रचार और अमीर-ग़रीब मुसलमानों में इन्सानियत की मूल भावना पैदा करने के कारण उनका संगठन 'वली उल्लाई' ताक़तवर होता चला गया और तब उन्होंने गुप्त रूप से एक स्थायी सरकार का गठन भी किया । यही संगठन बाद में 'जमीअतुल उलमा' के नाम से जाना गया ।

उन दिनों यानी औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद दिल्ली का सिंहासन डांवाडोल था और उसे हासिल करने के लिए रोज़ाना षड्यंत्रों का एक न टूटने वाला माहौल बन गया था । शाह वली उल्लाह इस सबसे परेशान थे । लेकिन वे मौक़े के इन्तिज़ार में थे, अत: अपने सहयोगियों और शिष्यों से धैर्यपूर्वत अपना काम करते रहने को कहा करते । वह तलवार के ज़ोर पर नहीं, विचारों के बल पर शासन व सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर थे । अहिंसात्मक ढंग से जुल्मो सितम के विरुद्ध प्रचार के लिए क़लम के योद्धा सन्त, सुधारक और राजनीति को इन्सानियत का चोला पहनाने के दृढ़ संकल्पी शाह वली उल्लाह की वैचारिक क्रांति के ख़तरे को भांपते हुए दिल्ली के मुख्य अधिकारी नजफ़ अली ख़ां ने उनके हाथों के दोनों पंजे बेकार करवा दिए, ताकि वह कुछ लिख ही न सकें ।

इतना ही नहीं, उनके बेटों–शाह अब्दुल अज़ीज़ और शाह रफ़ीउद्दीन– को देश निकाला की सज़ा देकर अपने राज्य की सीमा तक उन्हें पैदल चलवाया, फलस्वरूप लू लगने से शाह अब्दुल अज़ीज़ हमेशा के लिए अंधे हो गए । दिल्ली के शासक द्वारा उनके साथ इतना कुछ किए जाने के बावजूद शाह वली उल्लाह अपने पाक उसूलों से टस-से-मस न हुए और अपनी भारी शिष्य-मंडली और साथियों को बुराइयों, जुल्म से जूझने के लिए लगातार नैतिक बल प्रदान करते रहे । सदियों में पूरा होने वाला उद्देश्य एक ही ज़िन्दगी में पूरा हो पाना मुमकिन न था, लेकिन सामाजिक शैक्षणिक और राजनैतिक चेतना की न बुझने वाली लौ जलाकर शाह वली उल्लाह सन् 1793 में ख़ुद चले गये ।

जानकारों का कहना है कि सन् 1914-18 में 'रेशमी पत्रों का षड्यंत्र' की नींव दरअस्ल मई, 1731 में ही बन चुकी थी, जब शाह वली उल्लाह ने वली उल्लाई संस्था को जन्म देकर जागरण का बिगुल बजाया था । लोगों को अपने कर्तव्य तथा अधिकारों के बारे में सचेत किया था ।

लेखकों एवं रचनाकारों से

''कान्ति'' में प्रकाशनार्थ जो रचनाएं हमें मिलती हैं, उनकी स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना अथवा रचनाओं की वापसी के लिए अपना पता लिखा लिफ़ाफ़ा डाक टिकट सहित अवश्य भेजें । इसके अभाव में रचनाओं के विषय में हम आपको जानकारी देने में असमर्थ हैं । ध्यान रहे कि पर्याप्त डाक टिकट लगाकर प्रकाशनार्थ सामग्री भेजें, ताकि डाक, बैरंग न हो । आशा है, आपका सहयोग मिलता रहेगा ।

-संपादक

मौसमी तापमान में वृद्धि ख़तरनाक

■ डॉ॰ अनुराग श्रीवास्तव

प्रदूषण तथा मानव की अनुचित स्वेच्छाचारितापूर्ण कार्य शैली के चलते हमारा नैसर्गिक तथा भौगोलिक परिवेश आज सहज नहीं रह पा रहा है । पर्यावरणीय संतुलन तथा मौसमी क्रम इतना गड़बड़ हो रहा है कि यदि हम इस दिशा में शीघ्र समय पर न चेते तो मानवजाति को इसकी भारी क़ीमत चुकानी होगी । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के भू-भौतिकी विभाग के तत्वावधान में इस संबंध में किया गया शोध इस विषय में ख़तरनाक संकेत कर रहा है ।

शोध के निष्कर्षों के अनुसार वर्ष 1901 से अब तक वर्ष पतिवर्ष गर्मी के दिन बढ़ते जा रहे हैं जबकि ठंड के दिनों में घटोत्तरी हो रही है । यदि मौसमी तापमान में बदलाव का यह सिलसिला इसी प्रकार जारी रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब ठंड के दिन साल में सिर्फ़ 2 माह तक सिमटकर रह जाएंगे तथा वातावरण के तपने के दिवसों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी । प्रचंड तापमान में सामान्य जन जीवन दुश्वार हो जाएगा । इतना ही नहीं, गर्मी के दिन बढ़ने से टुण्ड्रा क्षेत्र तथा हिमालय जैसी शैल श्रृंखलाओं पर आच्छादित बर्फ़ पिघलेगी तथा ऐसी स्थिति में सागरवर्ती नगरों के अस्तित्व को ख़तरा उत्पन्न हो जाएगा तथा वे तबाह हो जाएंगे । संपूर्ण विश्व भयानक सूखे की चपेट में आ जाएगा । मौसमी तापमान में वृद्धि अनावृष्टि तथा अल्प वृष्टि होने से फसल चक्र प्रभावित होगा तथा प्रकृति के परिवर्तित तेवर के चलते अनेकानेक बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा ।

विश्वविद्यालय के भू-भौतिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1901 से अब तक 22 गर्म वर्ष रहे जिनमें 11 गर्म वर्ष सन 1995 से सन 2015 तक मात्र 20 वर्षों में ही दर्ज किये गये । अकेले वाराणसी में प्रत्येक 10 साल में 12 ऐसे दिवस रहे जिनकी रातें सर्वाधिक गर्म रही । यहां के न्यूनतम तापमान में भी प्रत्येक 10 वर्ष में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है जो अशुभ तथा विनाशकारी भविष्य का संकेतक है ।

भू-भौतिकी वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर जीवन के संतुलन की दृष्टि से एक वर्ष में लगभग 93 दिन ठंड का

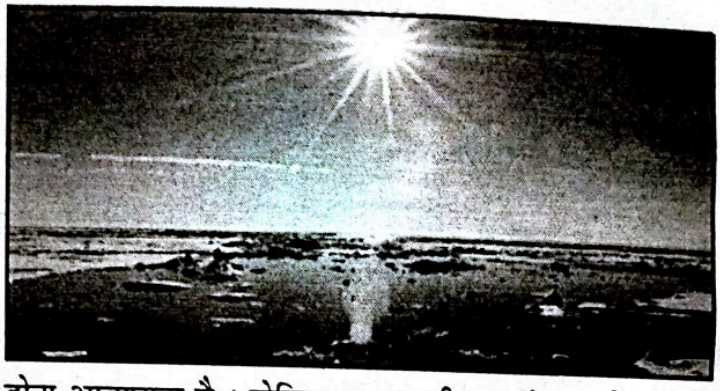

होना आवश्यक है । लेकिन वातावरणीय असंतुलन के कारण देश में हर 10 वर्षों में ठंड 2.2 दिन कम होता जा रहा है । यदि इस रफ़्तार का सिलसिला इसी प्रकार क़ायम रहा तो आगामी 100 सालों में ठंड का मौसम महज़ 2 माह के वक़्ती दायरे में सिमटकर रह जाएगा । तथ्यों के अनुसार वर्ष 1901 से अब तक जहां गर्मी के सर्वाधिक 22 वर्ष रहे, वहीं ठंड के महज़ 14 साल । इससे ज़ाहिर है कि गर्मी में इज़ाफ़ा हो रहा है तथा ठंड और बारिश में गिरावट आर रही है । स्थिति यह है कि विगत शताब्दी वर्ष की तुलना में आज गर्मी 30 फ़ीसद बढ़ गयी है ।

इसके प्रमुख कारणों में बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि, वनों की अंधाधुंध कटाई, कंक्रीट की इमारतों का निर्माण, वाहनों के अनियंत्रित प्रयोग तथा उनसे हानिकारक धुओं का उत्सर्जन आदि शामिल है । इनके अलावा अनेक प्रकार के प्रदूषणों का भी मौसमी तापमान के संतुलन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है । यदि हमें मौसमी तापमान में हो रहे असंतुलन के दुष्प्रभाव से धरती तथा मानव जीवन को सुरक्षित बचाना है तो एतदर्थ हमें जागरूक तथा कटिबद्ध होना होगा । हमें न केवल अधिकाधिक पौधरोपण करना होगा, बल्कि बहुमंज़िली इमारतों के निर्माण, वाहनों के मनमाने उपयोग, जनसंख्या वृद्धि तथा पेड़-पौधों की अंधाधुंध कटान पर भी नियंत्रण करना होगा । प्रदूषण फैलाने वाले कल कारख़ानों पर रोक लगानी होगी । यदि हम समय पर न चेते तो प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा हमारे लिए घातक सिद्ध होगा और हमें इसकी भारी क़ीमत चुकानी होगी । छेड़छाड़ का दंड एक न एक दिन कभी न कभी प्रकृति हमें विनाश तथा बीमारी की शक्ल में अवश्य देगी ।

नेपाल का नया संविधान

■ क़ुतुबुद्दीन ख़ान

बरसों पहले की बात है कि मैं नेपाल में कोसी नदी में कोठार बांध के निर्माण के सिलसिले में अपने विभाग सर्वे आफ़ इंडिया की ओर से नियुक्त था । कोसी नदी पर इस मुख्य परियोजना के लिए भारत सरकार के चार और विभाग नेपाल के इंजीनियर की मदद कर रहे थे । कोसी नदी नेपाल से बिहार में आती है । कोसी नदी पर बांध से भारत को भी बिजली सप्लाई इत्यादि का लाभ हो सकता था, लेकिन जबहम नेपाली इंजीनियरों या अन्य मुख्य लोगों से बात करते, तो उन लोगों का व्यवहार भारत के विरुद्ध रहता अर्थात वे कहते कि हम भारत को इस बांध से बिजली नहीं देंगे । यह कहने का उद्देश्य यह है कि लंबे समय से भारत विरोधी भावनाएं नेपाली जनता और सरकार के अक्सर पदाधिकारियों और राजनीतिज्ञों में थीं ।

पूर्व प्रधानमंत्री कोइराला के भारत के साथ हद से ज़्यादा लिप्त होने पर पूर्व राजा महेन्द्र ने उन्हें हटा दिया, क्योंकि इससे चीन की नाराज़गी का अंदेशा था । (सन 1962 ई॰ के चीन-भारत फ़ौजी झड़पों के बाद चीन भारत-नेपाल संबंधों पर प्रभावशाली होने की कोशिश करता रहा है) नेपाल की कोशिश यह रही है कि उसके आंतरिक मामलों में भारत हस्तक्षेप न करे और उसकी विदेश नीति पर भी भारत प्रभाव न डाले ।

इस बीच में 2006 ई॰ के नेपाली हालात और फिर नेपाल में नये संविधान की मंज़ूरी ने नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष संविधान प्रदान किया । यह बात स्पष्ट रहे कि नेपाल विश्व का अकेला 'हिन्दू देश'' था जहां हिन्दुत्व सरकारी धर्म था, लेकिन नये परिवर्तनों के बाद देश में एक धर्मनिरपेक्ष संविधान मंज़ूर कर लिया गया और नेपाल को आठ सूबों में विभाजित करने की घोषणा कर दी गयी ।

अब नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष देश है और नये संशोधनों के कारण सूबों में विभाजित भी । यहां एक और बात का स्पष्टीकरण करना ज़रूरी है कि दक्षिण नेपाल की सीमाएं भारत के साथ हैं और यहां कई मधेसी भी आबाद हैं, जो भारतीय विचारधारा वाली भावनाएं रखते हैं । इन मधेसियों को न यह बात हज़म हो रही है कि नेपाल आठ सूबों में विभाजित हो, न ही नेपाल का धर्मनिरपेक्ष संविधान ।

सीमावर्ती क्षेत्रों और दक्षिणी नेपाल में मधेसी न केवल आबाद हैं, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के बिहारी और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बड़ी संख्या ने भारत-नेपाल सीमा पर न केवल अपनी आबादी बढ़ायी है, बल्कि दीनी (इस्लामिक) मदरसों का एक जाल भी बिछा दिया है । इनमें सीमांचल के मुसलमानों की एक बड़ी संख्या है । इससे अतिरिक्त इन सीमावर्ती क्षेत्रों के लगभग 60 लाख लोग नेपाल-भारत के सीमावर्ती राज्यों में कामकाज और अन्य नौकरियां कर रहे हैं । होना तो यह चाहिए था कि इतने सौहार्द से भारत बड़े भाइयों वाला व्यवहार नेपाल के साथ अपनाता, मगर भारत का व्यवहार हमेशा नेपाल के साथ शासकीय रहा है । यही चीज़ भारत के विरुद्ध नेपाली जनता की भावनाएं उभारती है और उसे दूसरे बड़े पड़ोसी चीन के क़रीब ले जाती है । एक तो शाही शासन से बेज़ारी और दूसरे चीन के साम्यवादी विचारधारा के प्रभाव का परिणाम यह निकला कि नेपाल में माओवादी शक्तिशाली होते चले गये और सरकार गठन में उनकी मुख्य भूमिका रही । नेपाल में धर्मनिरपेक्ष संविधान की मंज़ूरी में इन तत्वों का भी बड़ा हाथ रहा है ।

एक और हल्क़ा जो नेपाल में जनमत को बदलने में बड़ी भूमिका निभा रहा है वे है नेपाली मूल के अमेरिकी । अमेरिका के ग्रीन कार्डधारी और अमेरिका में रहने वाले नेपाली लोग अपने ग़रीब देश में सुधारों के बड़े इच्छुक हैं । ये नेपाली अपने देश से संपर्क में हैं । इन्हीं लोगों की कोशिश से नेपाल में धर्मनिरपेक्ष संविधान मंज़ूर हुआ है और प्रशासनिक सुधारों के लिए नेपाल को आठ सुबों में बांटा गया है । भारत नेपाली व्यापार का बड़ा पार्टनर है । विदेशी पूंजीवाद के लिहाज़ से भी भारतीय पूंजी भी नेपाल में लगायी गयी है । पर्यटन के लिहाज़ से भी भारतीय पर्यटकों से नेपाल को काफ़ी आय होती है । खुली सीमाओं के

कारण दोनों देशों के बीच अपार व्यापारिक संपर्क हैं, जिससे दोनों देशों के छोटे व्यापारियों को लाभ प्राप्त होता है ।

इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या भारत-नेपाल संबंध केवल धर्मनिरपेक्ष संविधान के कारण ख़राब होने चाहिए, इसका एक जायज़ा लिया जाना चाहिए । वास्तव में आम तौर से पहाड़ी क्षेत्रों के लोग मैदानी क्षेत्रों के लोगों के साथ सभ्यता और सांस्कृतिक मेल-मिलाप नहीं रखते । यही कारण है कि उत्तरी नेपाल के लोग अपने पहाड़ी कल्चर और वर्चस्व के कारण मधेसी मैदानी क्षेत्रों के लोगों की नज़रों में खटकते रहते हैं ।

मधेसियों को यह अंदेशा है कि नये संविधान के लागू होने के साथ उन्हें मिलने वाले अवसर कम होते चले जाएंगे और जो मधेसी पिछड़े और निर्धन हैं, इसलिए उन्हें सत्ता से फिर वंचित किया जा रहा है । उनके अधिकार उच्च जाति के कस्तुरिया ब्राह्मण और ठाकुरों के हाथों (जिनके हाथ में हमेशा नेपाल की सत्ता रही है) ख़त्म हो जाएंगे और ये हमेशा पिछड़े ही रहेंगे । मधेसियों को भड़काने और वरग़लाने में कुछ लोगों का बड़ा हाथ है और अब सप्लाइयों को रोक कर भारत दबाव की इस नीति के द्वारा नेपाली सरकार को संविधान-संशोधन पर विवश करना चाहता है ।



मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-110006 से मुद्रित । फ़ोन : 011-26949430, 09818799223

संपादक : डॉ॰ मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।



With Best Compliments From :

DILKUSHA NURSING HOME PVT. LTD

94A, Dilkusha Street, Kolkata-700 017
Phone : (033) 2287 4318, 22803639, 2290 1971
Fax : (033) 2290 1970
E-mail : ddilkusha@gmail.com

- This is a 36 bedded Modern Nursing Home including 6 bedded Elegant INTENSIVE CARE UNIT general surgery LAPAROSCOPIC, GALL BLADDER, APPENDEX AND ORTHOPAEDIC Surgery with latest C-ARM IMAGE INTENSIFIER and also provision for all categories of patients including Maternity and Modern Nursery attached with full fledged DIAGNOSTIC DIVISION equipped with latest U.S.G., X-Ray machines and PATHOLOGY UNIT etc.
- Maxillofacial & Microvascular Reconstruction of the Oro-Facial Region with Radial Forearm Flap. Plastic and Cosmetic Surgery Piles Removal by imported IRC etc. are regularly done. Specialists in all streams including Oncolgy, Urology, Gastroenterology etc.
- Polyclinic, In-house Medicine Shop, 24-hours expert Doctors, RMOs, Matrons, Trained Nursing Staff.
- charges moderate.

Posted on 20-21 November 2015
December 2015
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.11.2015
Total Pages-52 (With Covers)

कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2015-2017
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2015-2017

Cell no:9822150053(R.K.)
9822100083(R.K.)
9822163036(J.K)
8600825867(S.K)
Office no: 08326450183

KHAN BROS



M/s. GOA BARREL SUPPLIERS
M/s. HINDUSTAN CONTAINERS
M/s. GOA GUNNY TRADERS
M/s. JAY KAY PLASTICS

PLOT: S/2, COLVALE INDUSTRIAL ESTATE-COLVALE-MAPUSA- GOA
(Dealers in all industrial Scrap materials & reconditioning of input materials)





